SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

# पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

## वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए

**हरियाणा सरकार**

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

# पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर
# वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
# वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए

**हरियाणा सरकार**

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

## विषय सूची


| विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|
| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| प्राक्कथन | | v |
| विहंगावलोकन | | vii-xi |
| **भाग-क: पंचायती राज संस्थाएं** | | |
| **अध्याय - I** | | |
| **पंचायती राज संस्थाओं का प्रोफाइल** | | |
| प्रस्तावना | 1.1 | 1 |
| लेखापरीक्षा व्यवस्था | 1.2 | 1-2 |
| पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना | 1.3 | 3-4 |
| वित्तीय प्रोफाइल | 1.4 | 4-6 |
| लेखांकन व्यवस्था | 1.5 | 6-7 |
| लेखापरीक्षा का क्षेत्र | 1.6 | 7 |
| बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद | 1.7 | 7 |
| **अध्याय - II** | | |
| **पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम** | | |
| विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं | 2.1 | 9-10 |
| कृषि योग्य शामलात भूमि को पट्टे पर न देना | 2.2 | 11 |
| बकाया गृह कर की गैर-वसूली | 2.3 | 12 |
| दुकानों/भवनों के बकाया किराए की गैर-वसूली | 2.4 | 12-14 |
| अपूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों पर निष्फल व्यय, बैंक खातों में निधियों की पार्किंग और निधियों का अवरोधन | 2.5 | 14-17 |
| ई-निविदा के बजाय कोटेशन के आधार पर खरीद/कार्यों का निष्पादन | 2.6 | 17-18 |
| ग्राम पंचायतों को वार्षिकी का गैर-वितरण | 2.7 | 18-19 |
| भुगतानों में अनियमितताएं | 2.8 | 19-20 |
| पूर्व सरपंचों से वसूलनीय शेष राशि | 2.9 | 21 |
| सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लगाए गए जुर्माने की गैर-वसूली | 2.10 | 21-22 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|
| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| **भाग-ख: शहरी स्थानीय निकाय** | | |
| **अध्याय - III** | | |
| **शहरी स्थानीय निकायों का प्रोफाइल** | | |
| प्रस्तावना | 3.1 | 23 |
| लेखापरीक्षा व्यवस्था | 3.2 | 23-24 |
| शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना | 3.3 | 24-25 |
| वित्तीय प्रोफाइल | 3.4 | 26-27 |
| लेखांकन व्यवस्था | 3.5 | 27 |
| लेखापरीक्षा का क्षेत्र | 3.6 | 27-28 |
| बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद | 3.7 | 28 |
| **अध्याय - IV** | | |
| **शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम** | | |
| भूमि को पट्टे पर देने में विलंब तथा पट्टे की गलत गणना के कारण हानि | 4.1 | 29-30 |
| विकास प्रभारों की वसूली न होना | 4.2 | 30-32 |
| राइट ऑफ वे प्रभारों का कम निर्धारण | 4.3 | 32-33 |
| दुकान का वसूलनीय किराया | 4.4 | 33-34 |
| वस्तु एवं सेवा कर से छूट का लाभ न उठाना | 4.5 | 35-36 |
| बकाया अग्रिम | 4.6 | 36-37 |
| ई-निविदा के बजाय कोटेशन के आधार पर की गई खरीद | 4.7 | 37 |
| कर्मचारी भविष्य निधि और सेवा कर को विलंब से जमा करने/जमा न करने के कारण ब्याज और जुर्माने का परिहार्य भुगतान | 4.8 | 37-39 |
| एजेंसियों से रियायत फीस की वसूलनीय राशि | 4.9 | 39-40 |
| संपत्ति कर का कम निर्धारण/गैर-निर्धारण | 4.10 | 40-42 |
| ई-सेवाओं और आई-क्लाउड सेवाओं पर निष्फल व्यय | 4.11 | 42-43 |
| इलेक्ट्रिक कार्ट (ई-कार्ट) की खरीद और रखरखाव में अनियमितताएं | 4.12 | 43-45 |
| पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी से पट्टा प्रभारों की कम वसूली - ₹ 43.62 लाख | 4.13 | 45 |
| ₹ 89.70 लाख की बैंक गारंटी जब्त न करने के कारण परिहार्य हानि | 4.14 | 45-47 |

## परिशिष्ट


| परिशिष्ट | विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| 1.1 | अगस्त 2023 तक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति | 1.3.1 | 49-50 |
| 1.2 | 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सूची | 1.6 | 51-54 |
| 2.1 | महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना की स्थिति | 2.1(क) | 55 |
| 2.2 | अंबाला जिले में खेती योग्य शामलात भूमि को पट्टे पर न दिए जाने से संबंधित विवरण | 2.2 | 56 |
| 2.3 | वसूलनीय गृह कर का विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 2.3 | 57 |
| 2.4 | ई-निविदा के बजाय सीधे या कोटेशन पर की गई खरीदारी | 2.6 | 58 |
| 2.5 | सोलर/स्ट्रीट लाइट की अनियमित खरीद | 2.6 | 59-63 |
| 2.6 | मस्टर रोल पर बिना नाम और बिना हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के किए गए भुगतान का विवरण | 2.8(i) | 64 |
| 2.7 | अलग-अलग कार्यों पर एक साथ लगे मजदूरों को किए गए भुगतान का विवरण | 2.8(ii) | 65 |
| 2.8 | पूर्व सरपंचों/पंचों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि का विवरण | 2.9 | 66-67 |
| 4.1 | भूमिगत केबल अनुमति प्रभारों की कम वसूली के विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 4.3 | 68-70 |
| 4.2 | मोबाइल टावर अनुमतियों के वार्षिक पट्टा प्रभारों के अवनिर्धारण को दर्शाने वाली विवरणी | 4.3 | 71 |
| 4.3 | निवल सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता को भुगतान किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 4.5 | 72-73 |
| 4.4 | ई-निविदा प्रक्रिया के बजाय कोटेशन के आधार पर की गई खरीद को दर्शाने वाली विवरणी | 4.7 | 74 |
| 4.5 | वसूलनीय विज्ञापन फीस | 4.9 | 75-76 |

## प्राक्कथन

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग के निबंधनों के अनुसार हरियाणा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

2019-22 की अवधि हेतु नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामलों के साथ-साथ वे मामले भी, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे किंतु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे, इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

## विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में विभाजित है और इसमें चार अध्याय शामिल हैं। भाग क, जिसमें अध्याय I और II हैं, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से संबंधित है और भाग ख, जिसमें अध्याय III और IV हैं, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित है।

### पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का प्रोफाइल - (अध्याय - I)

मार्च 2022 तक, राज्य में 22 जिला परिषदें (जैडपी), 142 पंचायत समितियां (पीएस) और 6,235 ग्राम पंचायतें (जीपी) थी।

पंचायती राज संस्थाओं का नियंत्रण अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के पास निहित है। ये विभाग अपने निदेशकों के माध्यम से कार्य करते हैं।

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 पारित किया। बाद में, इसने हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 और हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और निर्माण कार्य) नियम, 1996 का निर्माण किया। ये कानून पंचायती राज संस्थाओं को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य करने की अनुमति देते हैं।

संस्वीकृत 8,621 पदों में से 4,986 पद रिक्त रहे। 2019-20 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अनुदान का उपयोग 48 प्रतिशत रहा। 2020-21 के दौरान राज्य वित्त आयोग के अंतरण अनुदान का उपयोग 19 प्रतिशत रहा। सितंबर 2022 तक पूर्ण हो चुकी लेखापरीक्षा के लिए, जनवरी 2024 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर क्रमशः 483 और 2,683 हो गई। 2019-22 के दौरान, 9 जिला परिषदों, 58 पंचायत समितियों और 602 ग्राम पंचायतों के लेखा अभिलेखों की नमूना-जांच की गई।

***(अध्याय I)***

### पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा की मुख्य विशेषताएं - (अध्याय - II)

**विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं**

*महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना:* पंचायत भूमि की अनुपलब्धता के कारण अंबाला और कैथल के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों (डीडीपीओ) ने 14,018 पात्र परिवारों को प्लॉट आवंटित नहीं किए। उपहार विलेख के निष्पादन/कब्जा मिलने के पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 33,615 लाभार्थियों में से 32,771 लाभार्थियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था।

*आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना-* सीवान ब्लॉक में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के कार्यान्वयन के लिए अगस्त 2017 में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), कैथल को ₹ 30 लाख की सामुदायिक प्रोत्साहन निधि प्रदान की गई थी, जिसमें से ₹ 12.54 लाख की शेष राशि सामुदायिक आधारित संगठन (सीबीओ), सीवान के पास अप्रयुक्त पड़ी रही।

***(अनुच्छेद 2.1)***

अंबाला जिले में, कुल 6,232.19 एकड़ शामलात भूमि में से, वर्ष 2016-20 के दौरान 1,785.70 एकड़ भूमि पट्टे पर नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इस भूमि की क्षमता अप्रयुक्त रह गई।

***(अनुच्छेद 2.2)***

28 ब्लॉक विकास एवं पंचायत कार्यालयों (बीडीपीओ) और इन ब्लॉक विकास एवं पंचायत कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों द्वारा ₹ 6.92 करोड़ के बकाया गृह कर की वसूली नहीं की गई।

***(अनुच्छेद 2.3)***

दो जिला परिषदों और पांच ब्लॉक विकास एवं पंचायत कार्यालयों में, 87 दुकानों के किरायेदारों और आठ भवनों के कब्जाधारियों से ₹ 30.85 लाख की किराया राशि वसूलनीय थी।

***(अनुच्छेद 2.4)***

अंबाला में, 13 आंगनवाड़ी केंद्रों के अनुमोदन के बावजूद केवल आठ केंद्र ही शुरू किए गए। इन आठ आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया गया ₹ 41.83 लाख का व्यय कार्य पूरा न होने के कारण निष्फल रहा।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल के पास ₹ 3.49 करोड़ की निधियां की पार्किंग पाई गई। नौ योजनाओं के लिए सितंबर 2011 से जनवरी 2020 के दौरान प्राप्त निधियां सरकारी खातों से बाहर रखी गई थी।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्राप्त ₹ 23.63 करोड़ की निधियों का अब तक निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्राप्त ₹ 17.42 करोड़ की निधियां अंबाला और कैथल में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा अप्रयुक्त रही।

अपूर्ण कार्य और अनुचित निधि प्रबंधन के कारण, लाभार्थियों को इन योजनाओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिला। लेखापरीक्षा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे इन मामलों के कारण कार्यान्वयन में देरी हुई और संसाधन अप्रयुक्त रह गए।

***(अनुच्छेद 2.5)***

नमूना-जांच किए गए जिलों और ब्लॉकों में, राज्य सरकार की निविदा नीति का उल्लंघन करते हुए, खुली निविदाएं आमंत्रित किए बिना कोटेशन के आधार पर कुल ₹ 5.72 करोड़ की खरीद की गई।

***(अनुच्छेद 2.6)***

तीन ब्लॉक विकास एवं पंचायत कार्यालयों ने ग्राम पंचायतों को ₹ 65.21 लाख की वार्षिकी का संवितरण नहीं किया था।

***(अनुच्छेद 2.7)***

मस्टर रोल पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिए बिना 210 श्रमिकों को ₹ 13.91 लाख का भुगतान किया गया। एक ही समय में एक से अधिक कार्यों पर तैनात पाए गए 30 श्रमिकों को ₹ 1.24 लाख का भुगतान किया गया; जिसके धोखाधड़ीपूर्ण होने की आशंका है।

***(अनुच्छेद 2.8)***

पूर्व सरपंचों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ₹ 69.08 लाख का नकद शेष नहीं सौंपा गया था।

***(अनुच्छेद 2.9)***

चार जिलों में, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधिरोपित ₹ 16.27 लाख के जुर्माने की राशि नामित जन सूचना अधिकारियों से वसूलनीय थी।

***(अनुच्छेद 2.10)***

**शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का प्रोफाइल - (अध्याय - III)**

31 मार्च 2022 तक, राज्य में 11 नगर निगम, 23 नगर परिषदें और 54 नगरपालिकाएं थी। शहरी स्थानीय निकायों का समग्र नियंत्रण, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से अपर मुख्य/प्रधान सचिव (शहरी स्थानीय निकाय), हरियाणा सरकार के पास होता है। 74वें संविधान संशोधन ने 1992 में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसे लागू करने के लिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 पारित किया और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया। शक्तियां और उत्तरदायित्व शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए। लंबित अनुच्छेद 2017-18 में 1,653 से बढ़कर 2023-24 में 2,727 हो गए। यह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ध्यान और प्रभावी कार्रवाई की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 34 शहरी स्थानीय निकायों (आठ नगर निगमों, आठ नगर परिषदों, 18 नगरपालिकाओं), एक राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, पांच सिटी मिशन प्रबंधन इकाइयों और निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय के अभिलेखों की समीक्षा की गई थी।

**शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की मुख्य विशेषताएं - (अध्याय - IV)**

नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा होटल ताज विवांता सूरजकुंड को अनधिकृत उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने देने और मनमाने तरीके से पट्टा दरों को निर्धारित करने के परिणामस्वरूप ₹ 46.54 लाख की वित्तीय हानि हुई।

***(अनुच्छेद 4.1)***

राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुविधाएं-अभावग्रस्त क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित 176 कॉलोनियों के निवासियों से ₹ 140.79 करोड़ के विकास प्रभार की वसूली की जानी थी।

***(अनुच्छेद 4.2)***

नगर निगम, पंचकुला ने दूरसंचार कंपनियों से राइट ऑफ वे प्रभारों का अवमूल्यांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.02 करोड़ की हानि हुई।

***(अनुच्छेद 4.3)***

11 शहरी स्थानीय निकायों में नगरपालिका की दुकानों के किराएदारों से ₹ 30.82 करोड़ की पट्टा राशि वसूलनीय थी। इसमें से अब तक केवल ₹ 4.37 करोड़ ही वसूल किए जा सके हैं।

***(अनुच्छेद 4.4)***

महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकुला और 13 नगरपालिकाओं ने भारत सरकार की छूट अधिसूचना में परिकल्पित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की छूट का लाभ नहीं उठाया और जनशक्ति आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को वस्तु एवं सेवा कर की मद में ₹ 9.40 करोड़ का भुगतान किया।

***(अनुच्छेद 4.5)***

पांच शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कार्य निष्पादन एजेंसियों को दिए गए ₹ 95.94 लाख के अग्रिम समायोजन/वसूली के लिए लंबित थे।

***(अनुच्छेद 4.6)***

तीन शहरी स्थानीय निकायों ने मौजूदा नीति के उल्लंघन में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का पालन करने के बजाय कोटेशन के आधार पर अप्रैल 2014 से नवंबर 2019 के दौरान फर्नीचर, एयर कंडीशनर, अन्य स्टोर मदों की खरीद और कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 71.83 लाख का व्यय किया।

***(अनुच्छेद 4.7)***

सात शहरी स्थानीय निकायों ने स्वच्छता कार्य में लगे संविदा कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि और बीमा अंशदान को या तो जमा नहीं किया या देरी से जमा किया, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ₹ 133.51 लाख का ब्याज और जुर्माना लगाया।

***(अनुच्छेद 4.8क)***

नगर निगम, करनाल ने सेवा कर की प्राप्तियों को कर प्राधिकारियों के पास देरी से जमा किया। कर प्राधिकारियों ने नगर निगम, करनाल पर ₹ 38.29 लाख का ब्याज लगाया।

***(अनुच्छेद 4.8ख)***

विज्ञापन स्थलों को सौंपे जाने की तारीख से तीन एजेंसियों ने नगर निगम, फरीदाबाद के पास रियायत फीस जमा नहीं की थी। अनुबंध के अनुसार इन चूककर्ता एजेंसियों के विरूद्ध कार्रवाई न करने के कारण, नगर निगम, फरीदाबाद को ₹ 8.09 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

***(अनुच्छेद 4.9)***

नगर निगम, फरीदाबाद और पंचकुला में, दो वाणिज्यिक भवनों के अंतर्गत, बेसमेंट क्षेत्र को छोड़कर संपत्ति कर की गणना की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.05 करोड़ का अवमूल्यांकन हुआ। इसके अतिरिक्त, नगर निगम, करनाल और नगरपालिका, राजौंद के पास ₹ 3.04 करोड़ के संपत्ति कर की वसूली लंबित थी।

***(अनुच्छेद 4.10)***

नगर निगम, फरीदाबाद को संपत्ति कर और पानी व सीवर प्रभारों आदि के मांग संग्रह रजिस्टर के अभिलेख और डेटा न सौंपने के कारण, ई-सेवाओं और आई-क्लाउड सेवाओं के लिए किया गया ₹ 60.84 लाख का भुगतान निष्फल रहा।

***(अनुच्छेद 4.11)***

नगर निगम, पंचकुला ने एल-1 फर्म के बजाय एल-2 फर्म को अनुबंध देकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत इलेक्ट्रिक कार्ट (ई-कार्ट) खरीदे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.07 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अलावा, गारंटी अवधि के दौरान इन ई-कार्ट में खराबी आने के बावजूद नगर निगम, पंचकुला ने मरम्मत पर ₹ 5.86 लाख का व्यय किया।

***(अनुच्छेद 4.12)***

नीति के अनुसार वार्षिक वृद्धि लागू न करने के कारण गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति के लिए पट्टा प्रभार ₹ 43.63 लाख कम लिया गया।

***(अनुच्छेद 4.13)***

एक डेवलपर द्वारा बाहरी विकास प्रभार का भुगतान न करने के बावजूद ₹ 89.70 लाख की बैंक गारंटी को जब्त नहीं किया गया।

***(अनुच्छेद 4.14)***

# भाग-क:
# पंचायती राज संस्थाएं

## भाग-क: पंचायती राज संस्थाएं

## अध्याय - I

## पंचायती राज संस्थाओं का प्रोफाइल

### 1.1 प्रस्तावना

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संवैधानिक दर्जा दिया और एक समान संरचना, नियमित चुनाव तथा वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों का नियमित प्रवाह स्थापित किया। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राज्यों द्वारा इन निकायों को ऐसी शक्तियां, कार्य और दायित्व सौंपने अपेक्षित थे ताकि ये स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ हों। विशेष रूप से, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित योजनाओं सहित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं तैयार करना और योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित था।

राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया और हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 और हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, लेखापरीक्षा, कराधान और निर्माण कार्य) नियम, 1996 तैयार किए ताकि ये संस्थाएं सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सकें। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित लेखांकन संरचना को राज्य सरकार द्वारा अपना लिया गया है तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तदनुसार वार्षिक लेखे (प्राप्तियां और व्यय) अनुरक्षित किए जा रहे हैं।

### 1.2 लेखापरीक्षा व्यवस्था

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एलएडी), हरियाणा एक सांविधिक लेखापरीक्षक है तथा पंचायती राज संस्थाओं की इकाइयों की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा करने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर) संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को जारी किए जाते हैं।

ग्याहरवें वित्त आयोग (ईएफसी) द्वारा सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं की सभी तीनों श्रेणियों/स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव तथा उनकी लेखापरीक्षा पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा जाना चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग (टीएफसी) ने आगे यह सिफारिश की कि राज्य विधान सभा के समक्ष नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों (एटीआईआर) को प्रस्तुत करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज

संस्थाओं की नमूना-लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंप दी (अगस्त 2008)। राज्य सरकार ने आगे अधिसूचित किया (दिसंबर 2011) कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किए जाएंगे। चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने भी सिफारिश की कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (टीजीएस) व्यवस्थाएं जारी रखी जानी चाहिए तथा लेखाओं का संकलन और समय पर उनकी लेखापरीक्षा करवाने के लिए स्थानीय निकायों को सुविधा प्रदान करने हेतु राज्यों को कार्रवाई करनी चाहिए।

राज्य सरकार ने 2009 से 2019 तक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के समक्ष अंतिम प्रस्तुति (2017-19 का प्रतिवेदन) के साथ 22 मार्च 2022 को प्रस्तुत करके उक्त अधिसूचना की शर्तों का पालन किया है। वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं पर एक पृथक समिति का गठन भी किया गया (मई 2013) और 2017-19 तक के सभी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। तथापि, सितंबर 2024 तक, 2011-2019 के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 22 अनुच्छेद लंबित हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन तथा उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात् स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के मापदंड, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2020 की धारा 120 से 122 में दिए गए हैं।

स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के कार्य के तहत, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय ने जनवरी 2020 में 'पंचायती राज संस्थाओं और उनकी योजनाओं (पीआरआई के लिए) से संबंधित मामले' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था।

मार्च 2022 में आयोजित बैठक में ग्राम पंचायत के मॉडल प्रारूप लेखापरीक्षा और निरीक्षण नोट पर सुझाव प्रदान किए गए थे। जिला परिषद, रेवाड़ी और थानेसर; जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), गुरुग्राम और पलवल; पांच खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों[1] (बीडीपीओ); तथा कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) पंचायती राज, गुरुग्राम की लेखापरीक्षा पर तैयार निरीक्षण प्रतिवेदन मार्गदर्शन के लिए उदाहरण सहित नमूने के रूप में स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को भेजे गए थे (जनवरी 2020)।

1 (i) बहादुरगढ़, (ii) बेरी, (iii) गुरुग्राम, (iv) फरुखनगर और (v) साल्हावास।

## 1.3 पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

मार्च 2022 तक, राज्य में 22 जिला परिषदें (जैडपी), 142 पंचायत समितियां (पीएस) और 6,235 ग्राम पंचायतें (जीपी) थी। जिला परिषद के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सभापति और ग्राम पंचायत के सरपंच क्रमशः जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख होते हैं। राज्य सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग तथा ग्रामीण विकास विभागों की संगठनात्मक संरचना नीचे ***चार्ट 1.1*** में दर्शाई गई है:

**चार्ट 1.1: पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना**

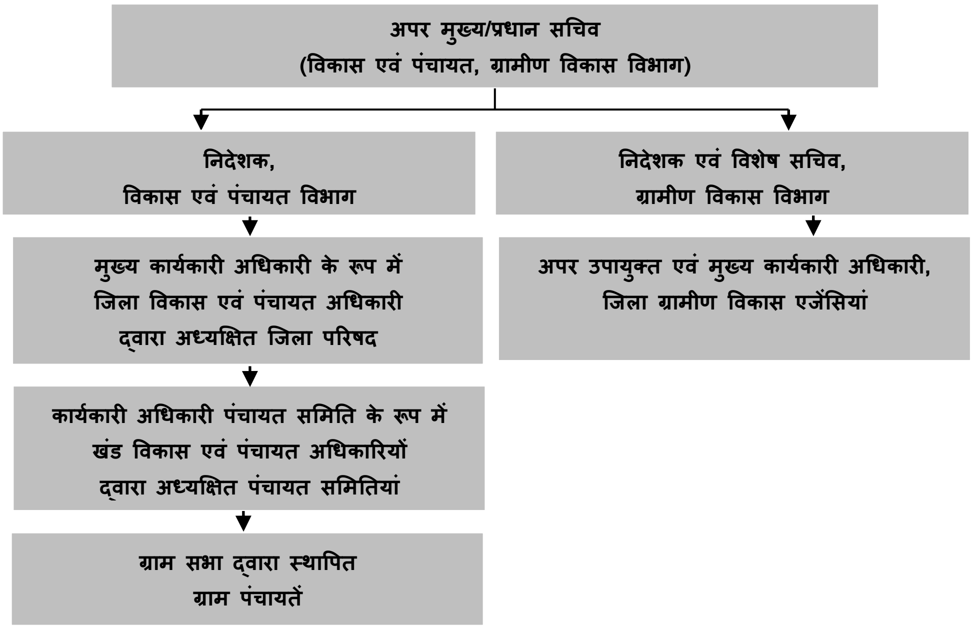


### *1.3.1 संस्वीकृत संख्या एवं कार्यरत कर्मचारी*

8,621 संस्वीकृत पदों की तुलना में 28 अगस्त 2023 तक 4,986 पद रिक्त पड़े थे ***(परिशिष्ट 1.1)***। संस्वीकृत पदों[2] की तुलना में रिक्त पद मुख्य रूप से इन संवर्गों में थे, जैसे ग्राम सचिव: 3,107 (69 प्रतिशत), कनिष्ठ अभियंता: 437 (52 प्रतिशत), महा ग्राम सचिव: 125 (100 प्रतिशत), अकाउंट्स क्लर्क: 117 (54 प्रतिशत) और चपरासी: 181 (34 प्रतिशत)।

### *1.3.2 कार्यों का हस्तांतरण*

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई ताकि उन्हें समर्थ तथा स्वायत्त बनाया जा सके। राज्य ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 कार्यों में से 21 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे हैं जैसा कि ***तालिका 1.1*** में दर्शाए गए हैं।

[2] विभिन्न संवर्गों में संस्वीकृत पद - ग्राम सचिव: 4,487, कनिष्ठ अभियंता: 833, महा ग्राम सचिव: 125, अकाउंट्स क्लर्क: 217, चपरासी: 528.

**तालिका 1.1: पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कार्यों का विवरण**

| क्र.सं. | पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कार्य |
|---|---|
| | **वे कार्य जिन पर पंचायती राज संस्थाओं का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है** |
| 1. | ग्रामीण आवास |
| 2. | गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम |
| 3. | पुस्तकालय |
| 4. | बाजार और मेले |
| 5. | सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव |
| | **वे कार्य जिनमें राज्य विभाग के अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के साथ पंचायती राज संस्थाओं की सीमित भूमिका है** |
| 6. | पेयजल |
| 7. | कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण |
| 8. | बस क्यू शेल्टर[3] |
| 9. | सामाजिक वानिकी तथा फार्म वानिकी |
| | **वे कार्य जिनमें पंचायती राज संस्थाएं केवल कार्यान्वयन एजेंसियां हैं** |
| 10. | लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास |
| 11. | महिला एवं बाल विकास |
| 12. | सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
| 13. | शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं |
| 14. | स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं |
| | **वे कार्य जिनमें पंचायती राज संस्थाओं की नगण्य भूमिका है** |
| 15. | कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है |
| 16. | ईंधन और चारा |
| 17. | भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण |
| 18. | पशुपालन, डेयरी उद्योग और मुर्गी पालन |
| 19. | लघु वन उपज |
| 20. | परिवार कल्याण |
| 21. | सामाजिक कल्याण, जिसके अंतर्गत दिव्यांगों और मानसिक रूप से कमजोरों का कल्याण भी है |

## 1.4 वित्तीय प्रोफाइल

### *1.4.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह*

**पंचायती राज संस्थाओं में निधि का स्रोत और अभिरक्षा**

पंचायती राज संस्थाओं के संसाधन आधार में स्व-राजस्व, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार के अनुदान और केंद्र सरकार के अनुदान शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केंद्र तथा राज्य के अनुदानों का उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है, जबकि पंचायती राज संस्थाएं अपनी स्वयं की प्राप्तियों

---

3 बस क्यू शेल्टर का कार्य 'सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और परिवहन के अन्य साधन' कार्य के अंतर्गत आंशिक रूप से हस्तांतरित किया गया है।

का उपयोग अपने द्वारा तैयार की गई योजनाओं/कार्यों के निष्पादन के लिए करती हैं। मुख्य योजनाओं के लिए निधि प्रवाह प्रबंध ***तालिका 1.2*** में दिए गए हैं:

**तालिका 1.2: मुख्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में निधि प्रवाह प्रबंध**

| क्र.सं. | योजना | निधि प्रवाह प्रबंध |
|---|---|---|
| 1 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) | भारत सरकार तथा राज्य सरकार मनरेगा निधियों से संबंधित अपने हिस्से राज्य रोजगार गारंटी निधि नामक बैंक खाते में अंतरित करते हैं जिसे राज्य खातों से अलग रखा जाता है। राज्य रोजगार गारंटी निधि से निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को जारी की जाती हैं। |
| 2 | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {पीएमएवाई (जी)} | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना से पुनर्गठित किया गया है। इकाई सहायता की लागत को भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में साझा किया जाना है। भारत सरकार और राज्य सरकार की निधियां राज्य के नोडल खाते (एसएनए)[4] में अंतरित की जाती हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा आवाससॉफ्ट में एक निधि हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) सृजित किया जाता है और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा इसे राज्य नोडल खाते में भेजा जाता है। निधियों को सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दिया जाता है। |
| 3. | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) | दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य साझा आधार पर वित्त पोषित है। इस योजना के अंतर्गत चार पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि महिला किसान सशक्तीकरण योजना (एमकेएसपी), स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी), आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई)। भारत सरकार और राज्य सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निधि का अपना-अपना हिस्सा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के एक अलग बैंक खाते में अंतरित करते हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है और इसे एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला स्तर पर निधियां आवंटित करता है। |
| 4 | स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) | इस योजना के अधीन व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में निधियों की हिस्सेदारी की जाती है। भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने पर, राज्य अपने हिस्से के साथ इन अनुदानों को जिला कार्यान्वयन एजेंसी (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी) को निर्मुक्त करती है। संबंधित ग्राम पंचायत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) को लाभार्थियों की जानकारी और आवश्यक विवरण प्रदान करती है, जिसके बाद वे लाभार्थियों को सहायता राशि जारी करते हैं। |

### *1.4.2 निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता*

2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं की निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता के विवरण ***तालिका 1.3*** में दिए गए हैं।

4 प्रत्येक योजना के लिए एक अलग राज्य नोडल खाता (एसएनए) राज्य नोडल एजेंसी द्वारा एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में रखा जाता है, जो सरकारी कामकाज करने के लिए अधिकृत होता है।

**तालिका 1.3: पंचायती राज संस्थाओं की निधियों के स्रोतों तथा उपयोगिता पर समयक्रम डेटा**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राप्ति | व्यय | प्राप्ति | व्यय | प्राप्ति | व्यय | प्राप्ति | व्यय | प्राप्ति | व्यय |
| स्व-राजस्व | 400.02 | 400.02 | 520.38 | 520.38 | 353.43 | 353.43 | 242.06 | 242.06 | 344.33 | 344.33 |
| केंद्रीय वित्त आयोग अंतरण (केंद्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण) | 756.98 | 756.98 | 775.99 | 755.99 | 1,048.53 | 1,048.53 | 1,264.00 | 1,264.00 | 935.00 | 935.00 |
| राज्य वित्त आयोग अंतरण (राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण) | 455.00 | 455.00 | 631.15 | 631.15 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,340.00 | 254.61 | 1,715.00 | 0 |
| केंद्र तथा राज्य के हिस्से के लिए अनुदान (केंद्र तथा राज्य का हिस्सा) | 336.75 | 300.15 | 814.51 | 636.57 | 1,284.57 | 616.34 | 1,238.54 | 1,099.94 | 1,099.46 | 894.23 |
| राज्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार के अनुदान* | 821.95 | 797.88 | 582.60 | 582.60 | 760.00 | 627.48 | 480.10 | 360.03 | 500.00 | 197.19 |
| **कुल** | **2,770.70** | **2,710.03** | **3,324.63** | **3,126.69** | **4,586.53** | **3,785.78** | **4,564.7** | **3,220.64** | **4,593.79** | **2,370.75** |

* **इसमें राजस्व अर्जन योजनाओं (आरईएस) से निधियां शामिल हैं।**

**स्रोतः निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा तथा निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा।**

2019-20 से 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी, परियोजनाओं की देरी से अनुमोदनों, फील्ड कार्यालयों से कम संख्या में अनुमान प्राप्त होने तथा एक वर्ष से अधिक समय में पूरी होने वाली दीर्घकालिक परियोजनाओं आदि के कारण अनुदान की तुलना में व्यय कम रहा।

## 1.5 लेखांकन व्यवस्था

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जिला परिषद की नीतियों और निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं, कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं, जिला परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करते हैं, जिला परिषद के सभी कागजातों और दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखते हैं तथा धन का आहरण एवं संवितरण करते हैं।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति लेखाकार की सहायता से पंचायत समितियों के लेखाओं का रखरखाव करते हैं जबकि ग्राम सचिव/सचिव, ग्राम पंचायतों के लेखाओं का रखरखाव करते हैं।

राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित मॉडल अकाउंटिंग स्ट्रक्चर, 2009 को अप्रैल 2010 से अपनाया है। पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर मॉडल अकाउंटिंग स्ट्रक्चर (2009) पर आधारित एक सॉफ्टवेयर प्रियासॉफ्ट में अपने लेखाओं का रखरखाव करते हैं।

## 1.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 2019-22 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा 22 में से नौ[5] जिला परिषदों, 142 में से 58 पंचायत समितियों और 6,235 में से 602 ग्राम पंचायतों के लेखाओं के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई ***(परिशिष्ट 1.2)***। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर अध्याय - II में चर्चा की गई है।

## 1.7 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद

पंचायती राज संस्थाओं के लिए यह अपेक्षित है कि वे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) में शामिल अभ्युक्तियों का अनुपालन करें, और कमियों/त्रुटियों को दूर करें तथा/या अपने अनुपालन/उत्तर की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जनवरी 2024 तक जारी, निपटाए गए और बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का विवरण ***तालिका 1.4*** में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.4: पंचायती राज संस्थाओं के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुच्छेद**

| निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने का वर्ष | बकाया लेखपरीक्षा आपत्ति का प्रारंभिक शेष | | जमा | | कुल | | समायोजित निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की संख्या | | जनवरी 2024 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | निरीक्षण प्रतिवेदन | अनुच्छेद | निरीक्षण प्रतिवेदन | अनुच्छेद | निरीक्षण प्रतिवेदन | अनुच्छेद | निरीक्षण प्रतिवेदन | अनुच्छेद | निरीक्षण प्रतिवेदन | अनुच्छेद |
| 2016-17 | 263 | 1,284 | 52 | 326 | 315 | 1,610 | 6 | 84 | 309 | 1,526 |
| 2017-18 | 309 | 1,526 | 61 | 432 | 370 | 1,958 | 2 | 90 | 368 | 1,868 |
| 2018-19 | 368 | 1,868 | 61 | 436 | 429 | 2,304 | 0 | 152 | 429 | 2,152 |
| 2019-20 | 429 | 2,152 | 47 | 378 | 476 | 2,530 | 1 | 4 | 475 | 2,526 |
| 2020-21 | 475 | 2,526 | 28 | 217 | 503 | 2,743 | 49 | 330 | 454 | 2,413 |
| 2021-22 | 454 | 2,413 | 29 | 276 | 483 | 2,689 | 0 | 6 | 483 | 2,683 |
| | | **कुल** | **278** | **2,065** | | **कुल** | **58** | **666** | | |

सितंबर 2022 तक की गई लेखापरीक्षा के लिए बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन अनुच्छेदों की संख्या 1,526 (मार्च 2017) से बढ़कर 2,683 (जनवरी 2024) हो गई। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुच्छेदों का लंबित होना पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उचित ध्यान न दिए जाने को दर्शाता है, जिससे जवाबदेही कमजोर होती है।

[5] (i) अंबाला (ii) गुरुग्राम, (iii) झज्जर, (iv) कैथल, (v) कुरुक्षेत्र (vi) पलवल (vii) सिरसा (viii) जींद (ix) सोनीपत।

## अध्याय - II

## पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

## विकास एवं पंचायत विभाग

### 2.1 विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

**(क) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (एमजीजीबीवाई):** सरकार ने प्रत्येक पात्र अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (ए) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार को 100 वर्ग गज के निःशुल्क आवासीय भूखंड प्रदान करने के लिए 2 अक्तूबर 2008 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्राधिकरण ऐसे भूखंडों वाले क्षेत्रों में बिजली, पीने का पानी और पक्की सड़कों सहित अपेक्षित अवसरंचना प्रदान करती है। अधिकारी गांव की शामलात भूमि से भूखंड आवंटित करते हैं। जहां उपयुक्त पंचायत भूमि उपलब्ध नहीं होती है, वहां अधिकारी विनिमय या अधिग्रहण के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराते हैं। दिसंबर 2010 में सरकार ने उन ग्राम पंचायतों को प्रति वर्ष ₹ 10,000 प्रति एकड़ की दर से वार्षिकी देने का निर्णय लिया, जिनकी भूमि का उपयोग भूखंड आवंटन के लिए किया गया था।

#### *(i) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत भूखंडों का आवंटन न होना और मकानों का निर्माण न होना*

अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2020 की अवधि के लिए दो जिला विकास एवं पंचायत कार्यालयों (डीडीपीओ) अर्थात अंबाला और कैथल के अभिलेखों की जांच (अगस्त-नवंबर 2020) के दौरान ज्ञात हुआ कि कुल 50,717 पात्र परिवारों में से केवल 36,699 परिवारों को ही भूखंड आवंटित किए गए थे। शेष 14,018 (27.64 प्रतिशत) परिवार इससे वंचित रह गए क्योंकि राज्य सरकार आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा सकी। जिन 36,699 परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए थे, उनमें से 33,615 परिवारों को कब्जा दे दिया गया था ***(परिशिष्ट 2.1)***। अंबाला में वंचित परिवारों का प्रतिशत बहुत अधिक था, क्योंकि कुल 32,019 पात्र परिवारों में से 13,277 (41.47 प्रतिशत) परिवारों को भूखंड आवंटित नहीं किए गए थे। आवंटन की शर्त के अनुसार, लाभार्थियों को विलेख/कब्जे की तिथि से पांच वर्ष के भीतर घरों का निर्माण करना अनिवार्य था। यदि निर्धारित समय सीमा का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। जिन कुल 33,615 मामलों में लाभार्थियों को कब्जा सौंपा गया था, उनमें से 32,771 (97.49 प्रतिशत) मामलों में विलेख/कब्जे के निष्पादन के पांच वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी घरों का निर्माण शुरू नहीं किया गया था। इस प्रकार, पात्र परिवारों को भूखंडों का आवंटन न होने और आवंटित भूखंडों पर घरों का निर्माण न होने के कारण अपेक्षित 50,717 घरों के निर्माण के विरुद्ध उपलब्धि केवल 844 (1.66 प्रतिशत) रही। पात्र परिवारों को भूमि प्रदान करने और आवंटित भूखंडों पर घरों का निर्माण करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किए गए।

#### *(ii) वार्षिकी का अस्वीकार्य भुगतान*

अप्रैल 2015 से अगस्त 2021 की अवधि के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के जींद और सोनीपत के कार्यालयों में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत वार्षिकी से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि नौ खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के (विभाग द्वारा निदेशालय कार्यालय को दी गई जानकारी के अनुसार) 50 मामलों में

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना योजना के तहत लाभार्थियों को 3,106 भूखंड आवंटित किए गए हैं, लेकिन चिह्नित भूमि पर उनकी स्थिति को विवादित/अतिक्रमण/भूमि उपलब्ध नहीं/न्यायालयी मामला दर्शाया गया है। इन भूखंडों के लिए ₹ 52.34 लाख की वार्षिकी का भुगतान किया गया था, यहां तक कि भूमि का उपयोग किए बिना भी, जो ***तालिका 2.1*** में विस्तृत वार्षिकी नीति का उल्लंघन करता है।

**तालिका 2.1: वार्षिकी के अस्वीकार्य भुगतान का खंड-वार विवरण**

| क्र. सं. | खंड का नाम | कुल मामले | आवंटित नहीं किए गए भूखंडों की संख्या | भूमि एकड़ में | अवधि वर्षों में | भुगतान की गई अतिरिक्त वार्षिकी (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोनीपत | 5 | 743 | 23.88 | 4 | 9,55,000 |
| 2 | राय | 4 | 264 | 8.85 | 4 | 3,54,000 |
| 3 | गनौर | 19 | 495 | 16.62 | 4 | 6,64,800 |
| 4 | गोहाना | 3 | 296 | 9.97 | 4 | 3,98,827 |
| 5 | जींद | 5 | 183 | 5.71 | 7 | 4,00,316 |
| 6 | जुलाना | 1 | 55 | 1.72 | 7 | 1,20,316 |
| 7 | नरवाना | 5 | 386 | 12.06 | 7 | 8,44,375 |
| 8 | सफीदों | 3 | 139 | 4.34 | 7 | 3,04,059 |
| 9 | उचाना | 5 | 545 | 17.03 | 7 | 11,92,184 |
| **कुल** | | **50** | **3,106** | **100.18** | | **52,33,877** |

दिसंबर 2021 के दौरान, विभाग ने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी और इसके परिणामों से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

**(ख) आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई):** भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 में 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक नई उप-योजना, 'आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना' शुरू की। योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुलभ कराकर तथा दूर-दराज के गांवों को मुख्य सेवाओं और सुविधाओं (बाजारों, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच सहित) से जोड़ने के लिए सुरक्षित, वहनीय और समुदाय द्वारा निगरानी की जाने वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करके दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), कैथल के अभिलेखों की नमूना-जांच (अक्तूबर 2020) के दौरान ज्ञात हुआ कि सीवान खंड में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना योजना को लागू करने के लिए अगस्त 2017 में ₹ 30 लाख की सामुदायिक प्रोत्साहन निधि प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्रामीणों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए वाहन खरीदने हेतु अक्तूबर 2017 में स्वयं सहायता समूह के दो सदस्यों को ₹ 17.46 लाख का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया था। यह पाया गया कि ₹ 12.54 लाख की शेष राशि सामुदायिक आधारित संगठन (सीबीओ), सीवान के पास अप्रयुक्त पड़ी रही, जिसके परिणामस्वरूप निधियों की पार्किंग हुई।

योजनाओं के कार्यान्वयन में उपर्युक्त अनियमितताओं को अप्रैल 2022 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग तथा निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2024), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।

## 2.2 कृषि योग्य शामलात भूमि को पट्टे पर न देना

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 (हरियाणा में लागू) के नियम 3(1) में यह प्रावधान है कि पंचायत शामलात देह में अपने पास निहित भूमि के लिए एक भूमि उपयोग योजना तैयार करेगी, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें खेती के लिए इसे पट्टे पर देना भी शामिल है। नियम 6(1) में यह प्रावधान है कि समाचार पत्रों के माध्यम से नीलामी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के बाद शामलात भूमि को नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जाना चाहिए। शामलात भूमि के उपयोग और कब्जे से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग गांव के निवासियों के लाभ के लिए तथा शामलात भूमि के सुधार, रखरखाव और प्रबंधन के लिए किया जाना होता है।

जैसा कि, ग्राम पंचायतों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी उस भूमि को राजस्व अर्जित करने के लिए पट्टे पर दें, जिसका उपयोग ग्रामीणों के सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, अंबाला के कार्यालय में अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि इसके क्षेत्राधिकार के तहत छः खंड विकास पंचायत कार्यालयों ने कुल 6,232.19 एकड़ कृषि योग्य शामलात भूमि में से 1,785.70 एकड़ (28.65 प्रतिशत) भूमि को पट्टे पर नहीं दिया था ***(परिशिष्ट 2.2)***। भूमि को पट्टे पर न देने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। खंड-वार विवरण ***तालिका 2.2*** में दिए गए हैं।

**तालिका 2.2: कृषि योग्य शामलात भूमि और पट्टे पर दी गई भूमि का खंड-वार विवरण**

**(एकड़ में)**

| खंड का नाम | अवधि | कुल शामलात भूमि | कृषि योग्य शामलात भूमि | पट्टे पर दी गई भूमि | पट्टे पर नहीं दी गई भूमि | पट्टे पर नहीं दी गई भूमि का प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंबाला-1 | 2016-20 | 6,367.13 | 1,744.34 | 1,705.23 | 39.11 | 2.24 |
| अंबाला-2 | 2016-20 | 1,183.47 | 185.19 | 143.35 | 41.84 | 22.59 |
| बराड़ा | 2016-20 | 4,800.00 | 1,178.00 | 957.77 | 220.23 | 18.70 |
| नारायणगढ़ | 2016-20 | 6,047.79 | 1,620.51 | 721.59 | 898.92 | 55.47 |
| साहा | 2016-20 | 4,633.66 | 1,077.81 | 535.63 | 542.18 | 50.30 |
| शहजादपुर | 2016-20 | 5,084.01 | 426.34 | 382.92 | 43.42 | 10.18 |
| **कुल** | | **28,116.06** | **6,232.19** | **4,446.49** | **1,785.70** | **28.65** |

नारायणगढ़ और साहा ब्लॉकों में, 50 प्रतिशत से अधिक कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सका। भूमि को पट्टे पर न देने के कारणों को लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं किया गया था।

इस मामले को अप्रैल 2022 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग तथा निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के पास भेजा गया था (अक्तूबर 2024); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।

***सिफारिश: ग्राम पंचायतों को राजस्व को अधिकतम करने के लिए भूमि को पट्टे पर देने का प्रयास करना चाहिए।***

## 2.3 बकाया गृह कर की गैर-वसूली

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियम, 1996 के नियम 117 (1) में यह प्रावधान है कि एक ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 41 (1) (ए) के तहत गृह कर लगाने के लिए ऐसी दरों पर प्रस्ताव पारित करेगी जिन्हें वह उचित समझे, लेकिन प्रति वर्ष ₹ 30 से अधिक नहीं यदि व्यक्ति भूमि स्वामी या दुकानदार है, ₹ 20 यदि व्यक्ति भूमि का किराएदार या कारीगर है, ₹ 10 यदि व्यक्ति अकुशल श्रमिक है और उपर्युक्त दो श्रेणियों में नहीं आता है। इसके अलावा, नियम 118 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद, ग्राम पंचायत डिफाल्टर की एक सूची तैयार करेगी जिसमें उनकी देय राशि दर्शाई जाएगी और प्रत्येक डिफाल्टर का एक अलग मामला कलेक्टर को भेजेगी, जो अधिनियम की धारा 201 के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में इसकी वसूली करेंगे। इस प्रकार वसूल की गई राशि संबंधित ग्राम पंचायत को सौंप दी जाएगी।

28[1] खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों और इन कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में अप्रैल 2012 से फरवरी 2022 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि अप्रैल 2012 से फरवरी 2022 से संबंधित बकाया गृह कर की मद में ₹ 6.92 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.3)*** की राशि वसूलनीय थी।

खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों और ग्राम पंचायतों ने उक्त नियम और अधिनियम के अनुसार बकाया गृह कर की वसूली के लिए उचित और समय पर कार्रवाई नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप बकाया गृह कर बढ़कर ₹ 6.92 करोड़ हो गया।

एग्जिट मीटिंग के दौरान, लेखापरीक्षा ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि संबंधित खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय ने बताया (जुलाई 2019 से मार्च 2022) था कि सरकारी निर्देशों के अनुसार मामलों की जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई/वसूली की जाएगी। अंतिम परिणाम प्रतिक्षित था।

इस मामले को अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग (मार्च 2022) और निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग (अक्तूबर 2024) के पास भेजा गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2024)।

## 2.4 दुकानों/भवनों के बकाया किराए की गैर-वसूली

हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 के नियम 21(1) (ए) में यह प्रावधान है कि एक पंचायत समिति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या स्थान को पट्टे पर दे सकती है। इसी तरह, नियमों के नियम 21(1) (बी) में यह उल्लेख है कि एक जिला परिषद, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 144 में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अचल संपत्ति को पट्टे पर दे सकती है। इसके अलावा, हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियम, 1996 (नियम, 1996) के नियम 43(2) में यह प्रावधान है कि पंचायत समिति

---

[1] (i) अंबाला-1, (ii) बादली, (iii) बहादुरगढ़, (iv) बराड़ा, (v) बेरी, (vi) भिवानी, (vii) गुल्हा-चीका, (viii) इस्माइलाबाद, (ix) झज्जर, (x) कैथल, (xi) कलायत, (xii) मातनहेल, (xiii) पेहोवा, (xiv) पुंडरी, (xv) राजौंद, (xvi) पिपली, (xvii) साल्हावास, (xviii) सीवान, (xix) सोहना, (xx) सिरसा, (xxi) गुरुग्राम, (xxii) नाहर, (xxiii) रेवाड़ी, (xxiv) बड़ागुड्डा, (xxv) जाटूसाना, (xxvi) डबवाली, (xxvii) नाथूसारी चोपता एवं (xxviii) तावडू।

या जिला परिषद के पास कोई भी राशि शेष नहीं छोड़ी जाएगी। नियम 1996 के नियम 42 में यह भी प्रावधान है कि कार्यकारी अधिकारी का प्राथमिक उत्तरदायित्व यह देखना है कि पंचायत समिति या जिला परिषद को देय सभी राजस्व या अन्य ऋणों का सही, तुरंत और नियमित रूप से निर्धारण और वसूली और उन्हें पंचायत समिति या जिला परिषद के निधि खाते में जमा किया जाए।

अप्रैल 2012 से दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए पांच खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों और दो जिला परिषदों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि 87 दुकानों और आठ भवनों के किराएदारों और कब्जाधारियों से किराए के मद में ₹ 30.85 लाख की राशि बकाया थी, जैसा कि ***तालिका 2.3*** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

**तालिका 2.3: दुकानों/भवनों के किराएदारों/अधिभोगियों से बकाया किराए का विवरण**

| क्र. सं | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/जिला परिषद | उन दुकानों/भवनों की संख्या जिनके विरुद्ध किराया बकाया है | बकाया किराए की राशि (₹ लाख में) | दिनांक तक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बीडीपीओ, बराड़ा (अंबाला) | 25/शून्य | 8.09 | मार्च 2020 |
| 2. | बीडीपीओ, पुंडरी (कैथल) | 13/शून्य | 1.82 | दिसंबर 2020 |
| 3. | बीडीपीओ, गुहला से चीका (कैथल) | 21/शून्य | 1.06 | सितंबर 2020 |
| 4. | बीडीपीओ, राजौंद (कैथल) | 10/शून्य | 1.15 | नवंबर 2020 |
| 5. | बीडीपीओ,भिवानी | 16/शून्य | 3.39 | सितंबर 2019 |
| 6. | जिला परिषद, कैथल | 2/5 | 11.73 | अक्तूबर 2020 |
| 7. | जिला परिषद, अंबाला | शून्य/3 | 3.61 | जुलाई 2020 |
| | **कुल** | **87/8** | **30.85** | |

उपर्युक्त के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:

- ***खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, बराड़ा (अंबाला):*** किराए पर दी गई 60 दुकानों में से 25 दुकानों का किराया मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया था। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार, इन 60 दुकानों का किराया ₹ 60 से ₹ 445 के बीच प्रति माह की दर से वसूलनीय था। हालांकि, किराएदारों के साथ किए गए किराया करार से संबंधित अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इन दुकानों को किस महीने/वर्ष में पट्टे पर दिया गया था और क्या उनके किराए में समय-समय पर संशोधन किया गया है।

- ***खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, राजौंद (कैथल):*** विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार, किराए पर दी गई 22 दुकानों में से 10 दुकानों का किराया नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया था। 22 दुकानों में से, 17 दुकानें दिसंबर 2000 से (₹ 275 प्रति माह की दर से) और शेष दुकानें अक्तूबर 2003 से (₹ 310 प्रति माह की दर से) ये दुकानें केवल दो वर्षों की शर्त पर किराए पर दी गई थी। 25 जुलाई 2016 को आयोजित एक बैठक में, पंचायत समिति ने पुराने करार को समाप्त करने का निर्णय लिया और नियमों के अनुसार फिर से खुली बोली आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।

- ***खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, भिवानी:*** सितंबर 2019 तक 16 दुकानों के किराएदारों और अधिभोगियों से किराए के मद में ₹ 3.39 लाख की राशि बकाया थी।

- ***जिला परिषद, कैथल:*** पांच भवनों और दो दुकानों का किराया छः से 86 महीने की अवधि के लिए बकाया था। इसमें पशुपालन एवं डेयरी विभाग को किराए पर दिया गया एक भवन शामिल था, विभाग ने बकाया किराए (₹ 0.78 लाख) का भुगतान किए बिना भवन खाली कर दिया था (नवंबर 2017)।
- ***जिला परिषद, अंबाला:*** सरकारी कार्यालयों[2] को किराए पर दिए गए तीन भवनों का किराया (₹ 3.24 लाख) चार से 29 महीने की अवधि (जुलाई 2020 तक) के लिए बकाया था।

इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाएं पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में बकाया किराए की वसूली करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.85 लाख के राजस्व की वसूली शेष है।

एग्जिट मीटिंग (दिसंबर 2019 से जनवरी 2021) के दौरान, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों तथा जिला परिषदों ने बताया कि बकाया किराए के मामलों की समीक्षा/वसूली की जाएगी और इसकी सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी। हालांकि, सभी सात मामलों में अंतिम परिणाम अभी भी लंबित थे।

यह मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग (अप्रैल 2022 और अगस्त 2022) तथा निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग (अक्तूबर 2024) के पास भेजा गया था। इस संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा थी (दिसंबर 2024 तक)।

***सिफारिश: पंचायती राज संस्थाओं को बिना किसी विलंब के सभी बकाया किराए की वसूली के लिए तत्काल ठोस उपाय लागू करने चाहिए।***

## 2.5 अपूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों पर निष्फल व्यय, बैंक खातों में निधियों की पार्किंग और निधियों का अवरोधन

### (क) अपूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र

**(i)** जून 2018 में, राज्य सरकार ने अंबाला जिले में ₹ 129.35 लाख (₹ 9.95 लाख प्रत्येक) की लागत से 13 आंगनवाड़ी केंद्रों[3] के निर्माण को स्वीकृति दी थी, जिसे 31 जनवरी 2019 तक पूर्ण किया जाना था।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अंबाला के कार्यालय के सितंबर 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया (अगस्त 2020) कि प्रस्तावित 13 आंगनवाड़ी केंद्रों में से आठ[4] केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आगे की निधियां जारी न किए जाने के कारण, ₹ 79.60 लाख की अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 41.83 लाख का व्यय होने के बाद कार्य रोक दिया गया था। शेष पांच[5] आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्य शुरू न होने के कारण 31 मार्च 2019

---

2 ((i) मत्स्य पालन विभाग, (ii) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं (iii) कृषि विभाग।

3 (i) अकबरपुर, (ii) बरौली, (iii) बरसू माजरा, (iv) भरेड़ी कलां, (v) भूरेवाला, (vi) काठे माजरा, (vii) कोहड़ा भूरा, (viii) मठेड़ी जट्टान, (ix) सबगा, (x) संगरानी, (xi) शाहपुर, (xii) टोका एवं (xiii) उगाड़ा।

4 (i) अकबरपुर, (ii) बरौली, (iii) भूरेवाला, (iv) कोहरा भूरा, (v) मठेड़ी जट्टान, (vi) सबगा, (vii) संगरानी एवं (viii) उगाड़ा।

5 (i) बरसू माजरा, (ii) भरेड़ी कलां, (iii) कठे माजरा, (iv) शाहपुर एवं (v) टोका।

को ₹ 49.75 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति वापस ले ली गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अंबाला ने इस मामले को बार-बार निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के संज्ञान में लाया, लेकिन कोई अतिरिक्त निधि प्रदान नहीं की गई।

**(ii)** इसी प्रकार, फरवरी 2016 में, राज्य सरकार ने सोनीपत जिले में ₹ 136 लाख (₹ 8.5 लाख प्रत्येक) की लागत से 20 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी थी, जिसे 31 मार्च 2019 तक पूरा किया जाना था।

कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज प्रभाग, सोनीपत के कार्यालय द्वारा रखे गए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मुंडलाना खंड के जगसी, बड़ौदा मोर और धुराणा गांवों में तीन आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य दिसंबर 2016 में श्री पवन कुमार, ठेकेदार को प्रत्येक कार्य के लिए पांच महीने की समय-सीमा के साथ ₹ 25.60 लाख की करार राशि पर आवंटित किया गया था। ठेकेदार ने काम शुरू तो किया लेकिन उसे पूरा करने में विफल रहा और फरवरी तथा मार्च 2017 के दौरान उसे ₹ 7.35 लाख का आंशिक भुगतान किया गया था। ₹ 7.35 लाख का भुगतान प्राप्त करने के बाद, ठेकेदार ने तीनों आंगनवाड़ी केंद्रों का कार्य छोड़ दिया। कार्यकारी अभियंता, सोनीपत द्वारा कार्य पूरा करने के लिए उन्हें कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने कार्य शुरू नहीं किया। अगस्त 2021 में, ठेकेदार ने कार्य पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। नवंबर 2021 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कार्य अपूर्ण था। इस प्रकार, इन तीन आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया गया ₹ 7.35 लाख का व्यय निष्फल रहा क्योंकि योजना का वांछित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।

एग्जिट मीटिंग के दौरान, लेखापरीक्षा ने इस मामले को उठाया, विभाग ने बताया कि वह इसकी जांच करेगा और परिणामों से लेखापरीक्षा को अवगत कराएगा। इस संबंध में अंतिम कार्रवाई की प्रतीक्षा थी (दिसंबर 2024)।

**(ख) निधियों की पार्किंग**

राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्यों के निष्पादन के लिए सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में निधियां जारी करने के निर्देश (जुलाई 2011) दिए थे, और बैंक खातों के संचालन को बंद करने तथा अनुपयुक्त राशि को राज्य के खजाना में जमा करने के निर्देश (नवंबर 2012, जिसे मई 2014 में दोहराया गया) जारी किए थे। हरियाणा विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी बैठक (मई 2014) में सरकारी खातों से बाहर निधियों की पार्किंग करने पर गंभीर आपत्तियां उठाई थी।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल के कार्यालय में नमूना-जांच के दौरान ज्ञात हुआ (नवंबर 2020) कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित ₹ 348.93 लाख की निधियां (उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार) सरकारी खातों से बाहर पार्क की गई थी और सरकारी निर्देशों (नवंबर 2012) का उल्लंघन करते हुए इसे खजाने में जमा नहीं किया गया था। विवरण ***तालिका 2.4*** में दिए गए हैं:

**तालिका 2.4: सरकारी खातों से बाहर पड़ी योजनाओं की निधियां**

| क्र. सं. | योजनाओं के नाम (उस बैंक का नाम जिसमें निधियां जमा की गई) | | माह तक | शेष (₹ लाख में) | कब से शेष (उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ब्याज और पिछले शेष सहित) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तृतीय राज्य वित्त आयोग (सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक) | | सितंबर 2020 | 1.81 | सितंबर 2011 |
| 2 | वैट पर सरचार्ज (पंजाब नेशनल बैंक) | | नवंबर 2020 | 30.33 | सितंबर 2011 |
| 3 | हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि (एक्सिस बैंक) | | नवंबर 2020 | 2.32 | मार्च 2014 |
| 4 | मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना (ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) | | सितंबर 2020 | 88.73 | जून 2016 |
| 5 | महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना | आईसीआईसीआई बैंक | जून 2019 | 22.03 | दिसंबर 2014 |
| 6 | | एक्सिस बैंक | नवंबर 2020 | 112.94 | जनवरी 2020 |
| 7 | गलियों का पक्कीकरण (एचडीएफसी बैंक) | | जुलाई 2019 | 65.36 | दिसंबर 2017 |
| 8 | जीप खाता (एचडीएफसी बैंक) | | दिसंबर 2019 | 15.76 | - |
| 9 | आकस्मिकता निधि (आईडीबीआई बैंक) | | मार्च 2020 | 9.65 | - |
| | | | **कुल** | **348.93** | |

### (ग) निधियों का अवरोधन

#### *(i) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना*

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले चयनित गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना था, जिसका उद्देश्य पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करना और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना था। नए चयनित गांवों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निधियों के उपयोग की समय सीमा राशि जारी होने की तिथि से दो वर्ष और अतिरिक्त चरण के वित्तपोषण के तहत चुने गए गांवों के लिए एक वर्ष थी।

निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (जुलाई 2020) कि राज्य सरकार ने ***तालिका 2.5*** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत ₹ 26.15 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की थी (मार्च 2016 और जुलाई 2020 के मध्य)।

**तालिका 2.5: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्रीय सहायता**

| क्र. सं. | स्वीकृति संख्या (दिनांक) | स्वीकृति राशि (₹ लाख में) | व्यय | किसके लिए निधियां निर्धारित की गई थी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अधीक्षक/पीएमएजीवाई/2016/1457 (29 मार्च 2016) | 120.00 | 174.49 | फरीदाबाद और पलवल जिलों के 12 गांव, **शेष राशि 5/20 में सरेंडर की गई।** |
| 2. | पीएमएजीवाई/2016/5419 (24 अक्तूबर 2016) | 132.00 | | |
| 3. | पीओ(पीएमएजीवाई)-2019/993 (26 फरवरी 2019) | 963.00 | शून्य | सभी जिलों के 93 गांव |
| 4. | पीओ(पीएमएजीवाई)-2019/1000 (26 फरवरी 2019) | 571.00 | | 13 जिलों के 55 गांव |
| 5. | पीएमएजीवाई-2020/634 (23 जनवरी 2020) | 190.80 | | नौ जिलों के 82 गांव |
| 6. | पीओ(पीएमएजीवाई)-2020/3150 (22 जुलाई 2020) | 401.70 | | नौ जिलों के 39 गांव |
| 7. | पीओ(पीएमएजीवाई)-2020/3157 (22 जुलाई 2020) | 236.40 | | पांच जिलों के 23 गांव |
| | **कुल** | **2,614.90** | | |

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, ₹ 2.52 करोड़ (₹ 1.20 करोड़ + ₹ 1.32 करोड़) की स्वीकृत राशि के विरुद्ध वर्ष 2017 और 2018-19 में केवल ₹ 1.74 करोड़ व्यय किए गए थे, और फरवरी 2019 से जुलाई 2020 के दौरान जारी की गई ₹ 23.63 करोड़ की निधियों का मार्च 2021 तक उपयोग नहीं किया गया था।

***(ii) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण***

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, हाइजीन और जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार करना है। राज्य सरकार के दिशानिर्देशों (नवंबर 2015) के अनुसार, ठोस और तरल अपशिष्ट परियोजनाओं को, निष्पादन एजेंसी को निधियां जारी होने के तीन से चार महीनों के भीतर पूरा किया जाना था और निधियां अप्रयुक्त नहीं रहनी चाहिए।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, अंबाला और कैथल के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ (अगस्त 2020 एवं अक्तूबर 2020) कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीम-जी) के तहत ₹ 17.42 करोड़ (अंबाला: ₹ 2.10 करोड़ और कैथल: ₹ 15.32 करोड़) की राशि बिना अनुपयुक्त रह गई थी और संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी[6] के बैंक खातों में पड़ी हुई थी। यह न केवल निधियों का अवरोधन था, बल्कि प्रस्तावित लाभों को लक्षित लाभार्थियों तक भी नहीं पहुंचाया जा सका।

यह मामला अक्तूबर 2022 और अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के पास भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।

## 2.6 ई-निविदा के बजाय कोटेशन के आधार पर खरीद/कार्यों का निष्पादन

राज्य सरकार ने निर्णय लिया (जून 2015) कि सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद एक एकल वेब पोर्टल के माध्यम से की जानी चाहिए और सभी विभागों को जुलाई 2015 तक अनिवार्य रूप से ई-निविदा अपनाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्य में स्टोर/वस्तुओं/कार्यों/सेवाओं की खरीद के संबंध में प्रत्येक मामले में (बिना किसी आदेश को विभाजित किए) ई-निविदा का न्यूनतम निर्धारित मूल्य ₹ एक लाख निर्धारित किया (जून 2016)।

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियम, 1996 के नियम 140 में यह प्रावधान था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तरों पर सभी विद्युत संबंधी कार्य विकास एवं पंचायत विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग के परामर्श या अनुमोदन से किए जाएंगे।

कार्यकारी अभियंताओं, पंचायती राज, फतेहाबाद और पलवल, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (एडीसी-कम-सीईओ, डीआरडीए) अंबाला और रेवाड़ी, जिला परिषद सोनीपत और 13 खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से यह स्पष्ट हुआ कि अप्रैल 2016 से

[6] जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अंबाला: 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष: ₹ 2.99 करोड़, और 27 जुलाई 2020 को अंतिम शेष: ₹ 2.10 करोड़; जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कैथल: 4 सितंबर 2018 को प्रारंभिक शेष: ₹ 5.48 करोड़, 11 सितंबर 2018 को प्राप्त अनुदान: ₹ 13.38 करोड़, और सितंबर 2020 को अंतिम शेष: ₹ 15.32 करोड़।

दिसंबर 2020 के दौरान ग्रेनाइट, एड्रेस बोर्ड, वाटर कूलर और वाटर प्यूरीफायर, फॉगिंग मशीन, कार्यालय की कुर्सियों, खिलौनों, सीसीटीवी कैमरों और स्ट्रीटलाइट्स की खरीद पर ₹ 5.72 करोड़ का व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट 2.4)***। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी खरीद ई-निविदा के बजाय कोटेशन के आधार पर की गई थी, जो राज्य सरकार के उक्त निर्णय के उल्लंघन में था। यह पाया गया कि खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, साल्हावास में ₹ 1.01 लाख के फर्नीचर की खरीद (जनवरी 2019) बिना कोई कोटेशन प्राप्त किए सीधे ही की गई थी। इस प्रकार, उक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में ई-निविदा प्रणाली का अनुपालन किए बिना ₹ 5.72 करोड़ की राशि की खरीद/कार्यों का निष्पादन किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर, कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, फतेहाबाद और खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, पलवल ने सूचित किया कि तात्कालिक आवश्यकता के कारण, निष्पादित कार्यों/सामग्रियों की खरीद कोटेशन के आधार पर की गई थी। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज, पलवल तथा खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पेहोवा, लाडवा, साल्हावास और सोहना ने सूचित किया (दिसंबर 2019) कि तथ्यों के सत्यापन के बाद अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी, जबकि खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पानीपत, राजौंद और एडीसी-कम-सीईओ, डीआरडीए, अंबाला ने बताया (अगस्त 2020) कि भविष्य में ई-निविदा के माध्यम से खरीद से संबंधित निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय अंबाला II ने बताया (दिसंबर 2020 में) कि मामले की जांच की जाएगी और परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।

अप्रैल 2012 से फरवरी 2020 की अवधि के दौरान 17 खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के अभिलेखों की आगे जांच की गई। इनसे यह स्पष्ट हुआ कि विभिन्न फर्मों द्वारा वर्ष 2012 से 2019 तक बिना टेंडर आमंत्रित किए केवल कोटेशन के आधार पर ₹ 2.67 करोड़ मूल्य की विद्युत सामग्रियों, जैसे कि स्ट्रीटलाइट्स और सोलर लाइट्स, की खरीद की गई थी ***(परिशिष्ट 2.5)***। इसके लिए विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग से अनुमोदन या परामर्श प्राप्त नहीं किया गया था। इस कारण इन विद्युत सामग्रियों पर किया गया यह व्यय अनियमित हो गया।

यह मामला मार्च 2022 और अक्तूबर 2024 में अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के पास भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।

***सिफारिश: विभाग राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।***

## 2.7 ग्राम पंचायतों को वार्षिकी का गैर-वितरण

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत अधिग्रहीत भूमि वाली ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा वार्षिकी के रूप में ₹ 10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की राशि देय है।

तीन[7] खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों को ग्राम पंचायतों को संवितरित करने के लिए अवधि 2014-19 के दौरान जिला विकास एवं पंचायत कार्यालयों से ₹ 84.10 लाख प्राप्त हुए थे। इसमें से केवल ₹ 18.89 लाख का संवितरण किया गया था, और शेष ₹ 65.21 लाख की राशि इन खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के पास बिना संवितरित पड़ी हुई थी, जैसा कि ***तालिका 2.6*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

[7] (i) हथीन (पलवल), (ii) पिंजौर (पंचकुला) एवं (iii) पिपली (कुरुक्षेत्र)।

**तालिका 2.6: ग्राम पंचायतों को वार्षिकी के गैर-संवितरण का विवरण**

**(₹ में)**

| जिले का नाम | खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय का नाम | वर्ष | प्राप्त राशि | कुल राशि | संवितरित राशि | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुरूक्षेत्र | पिपली | 2014-15 | 8,23,438 | 41,17,190 | 0 | 41,17,190 |
| | | 2015-16 | 8,23,438 | | | |
| | | 2016-17 | 8,23,438 | | | |
| | | 2017-18 | 8,23,438 | | | |
| | | 2018-19 | 8,23,438 | | | |
| पंचकुला | पिंजौर | 2015-16 | 4,50,364 | 4,50,364 | 0 | 4,50,364 |
| पलवल | हथीन | 2018-19 | 38,42,940 | 38,42,940 | 18,89,178 | 19,53,762 |
| **कुल** | | | **84,10,494** | **84,10,494** | **18,89,178** | **65,21,316** |

संबंधित ग्राम पंचायतों को वार्षिकी का संवितरण न होने के कारण वे राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुआवजे के लाभ से वंचित रह गई।

यह मामला अगस्त 2022 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के पास भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।

## 2.8 भुगतानों में अनियमितताएं

### *(i) मस्टर रोल पर हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान प्राप्त न करना*

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियम, 1996 के नियम 136(1) में यह प्रावधान है कि यदि कार्य दैनिक श्रमिक द्वारा किया जाता है, तो कार्य प्रभारी व्यक्ति मस्टर रोल का रखरखाव करेगा और मस्टर रोल पर ही भुगतान प्राप्तकर्ताओं से भुगतान की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

दो खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय (बेरी और पेहोवा), कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज संस्था (ईई, पीआरआई), पानीपत और जिला परिषद सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2014 से नवंबर 2021) से ज्ञात हुआ कि नवंबर 2015 से मार्च 2021 के दौरान मस्टर रोल पर 210 श्रमिक लगाए गए थे और उन्हें ₹ 13.91 लाख का भुगतान ***(परिशिष्ट 2.6)*** किया गया था। श्रमिकों को ₹ 13.91 लाख का भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए बिना किया गया था। श्रमिकों के नाम और हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के बिना भुगतान किया जाना धोखाधड़ी होने की आशंका को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, पेहोवा और जिला पंचायती राज संस्था, पानीपत ने बताया (जुलाई 2019 और जनवरी 2020) कि मामले की जांच की जाएगी। खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, बेरी और कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज संस्था, पानीपत ने बताया (जुलाई 2019 और फरवरी 2020) कि संबंधित श्रमिकों से मस्टर रोल प्राप्त कर लिए जाएंगे तथा जिला परिषद सोनीपत ने एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि उत्तर बाद में भेजा जाएगा, हालांकि, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (दिसंबर 2024)।

### *(ii) समान श्रमिकों को एक साथ एक से अधिक कार्यों में नियोजित दर्शाया गया*

खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, मातनहेल और पेहोवा के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात (अप्रैल 2014 से जून 2019) हुआ कि मई 2015 से अक्तूबर 2018 के दौरान मस्टर रोल

पर 10 कार्यों को निष्पादित करने के लिए 30 श्रमिकों को ₹ 1.24 लाख के भुगतान किए गए थे ***(परिशिष्ट 2.7)***। यह पाया गया कि इन 15 श्रमिकों को इसी समान अवधि के दौरान एक साथ अन्य कार्यों में भी नियोजित किया गया था। चूंकि अलग-अलग कार्यों में समान श्रमिकों का एक साथ नियोजित होना संभव नहीं है, अतः मस्टर रोल पर किए गए ₹ 0.62 लाख का भुगतान धोखाधड़ी होने की आशंका को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, पेहोवा और मातनहेल ने बताया (जुलाई 2019 और अगस्त 2019) कि जांच के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा/कार्रवाई की जाएगी। मस्टर रोल पर भुगतानों में ये अनियमितताएं गंभीर प्रकृति की हैं और इनकी उचित जांच की आवश्यकता है। इस संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।

### *(iii) मस्टर रोल पर अनियमित भुगतान*

हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के सभी विभागों को यह निर्देश दिया था (जून 2014) कि सरकार के सभी विभागों द्वारा प्राप्तकर्ताओं/लाभार्थियों को सभी भुगतान केवल उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण के माध्यम से किए जाएंगे, और इस नियम में किसी भी छूट की अनुमति नहीं होगी। पुनः दोहराया गया था कि राज्य के खजाने से सभी भुगतान केवल लाभार्थियों/अंतिम प्राप्तकर्ताओं के बैंक खातों में सीधे किए जाएंगे।

जिला परिषद, सोनीपत और खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, कथूरा (सोनीपत) के मार्च 2017 से नवंबर 2021 तक की अवधि के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न विकास कार्यों के लिए मस्टर रोल के माध्यम से किए जाने वाले श्रमिक भुगतानों को, उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार सीधे प्राप्तकर्ताओं/श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करने के बजाय, पंचायती राज विभाग के संबंधित उप-मंडल अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/सहायक के खातों में भुगतान किया गया था। विभिन्न विकास कार्यों के लिए मस्टर रोल पर लगाए गए श्रमिकों को भुगतान करने हेतु 87 मामलों में ₹ 1.46 करोड़ की राशि खजाने से आहरित की गई और संबंधित उप-मंडल अभियंता/कनिष्ठ अभियंता के बैंक खाते में अंतरित की गई, जैसा कि नीचे ***तालिका 2.7*** में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.7: विभिन्न विकास कार्यों के लिए मस्टर रोल पर लगाए गए श्रमिक**

| क्र.सं. | नाम | मामलों की संख्या | राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बीडीपीओ कथूरा | 44 | 30,75,430 |
| 2 | जिला परिषद सोनीपत | 43 | 1,15,65,874 |
| | **कुल** | **87** | **1,46,41,304** |

इन अधिकारियों/कर्मचारियों ने यह राशि अपने बैंक खातों में प्राप्त की, जो उपर्युक्त सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है और इससे श्रमिकों को भुगतान न होने या कम भुगतान होने का जोखिम बना रहता है।

यह मामला अगस्त 2022 और अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के पास भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।

## 2.9 पूर्व सरपंचों से वसूलनीय शेष राशि

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 के तहत, सरपंच या पंच ग्राम पंचायत की संपत्ति की कस्टडी के लिए उत्तरदायी है। खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय चुनावों से पहले अथवा निलंबन या निष्कासन के मामलों में किसी अधिकृत व्यक्ति को अभिलेख और संपत्ति सौंपने का आदेश दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति इसका अनुपालन करने में विफल रहता है, तो खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय अभिलेख या संपत्ति की वसूली के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करता है।

अधिनियम की धारा 53 में यह उल्लेख है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को किसी सरपंच या पंच द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान की गई लापरवाही या कदाचार के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत की निधियों को हुई हानि की वसूली अवश्य करनी चाहिए।

11[8] खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि 58 ग्राम पंचायतों के 89 पूर्व सरपंचों ***(परिशिष्ट 2.8)*** द्वारा ₹ 69.08 लाख की नकद शेष राशि अधिकृत व्यक्तियों को नहीं सौंपी गई थी। ये मामले वर्ष 2002-03 से 2019-20 तक की अवधि से संबंधित हैं।

नकद शेष राशि की वसूली के लिए चूककर्ता पूर्व सरपंचों के विरुद्ध हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। यह मामला पूर्ववर्ती वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों (एटीआईआर) में भी उठाया गया था; हालांकि, यह समस्या अभी भी बनी हुई है। हरियाणा विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधी समिति ने इस अनियमितता को गंभीरता से लिया है और सिफारिश की है कि संबंधित तिमाही की गैर-वसूली के लिए उत्तरदायित्व तय किया जाए और राशि की वसूली के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

यह मामला अप्रैल 2022 और अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के पास भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।

## 2.10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लगाए गए जुर्माने की गैर-वसूली

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अनुसार, राज्य सूचना आयोग किसी शिकायत या द्वितीय अपील का निर्णय करते समय राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) पर जुर्माना लगा सकता है। यह जुर्माना तब लागू होता है जब राज्य लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो या इसे प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान न की हो। जुर्माने की राशि, उत्तरदायी राज्य लोक सूचना अधिकारी से वसूल की जानी चाहिए और राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा की जानी चाहिए।

सोनीपत, सिरसा, गुरुग्राम और जींद के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों में अप्रैल 2015 से मार्च 2021 तक की अवधि के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि 87 मामलों में जुर्मानों की वसूली नहीं की गई थी। ये जुर्माने राज्य सूचना आयोग द्वारा

[8] (i) बडौली, (ii) बापोली, (iii) भिवानी, (iv) धारूहेड़ा, (v) हथीन, (vi) इसराना, (vii) जाटूसाना, (viii) नाहर, (ix) नरवाना, (x) रायपुर रानी एवं (xi) सिरसा।

वर्ष 2013 और 2021 के मध्य सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने या अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर लगाए गए थे। जैसा कि ***तालिका 2.8*** में दर्शाया गया है, इसकी कुल राशि ₹ 16.27 लाख थी।

**तालिका 2.8: जिला विकास एवं पंचायत कार्यालय-वार भुगतान की गई जुर्माने की राशि**

| क्र.सं. | जिला विकास एवं पंचायत कार्यालय का नाम | मामलों की संख्या | जुर्माने की राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | सिरसा | 30 | 6,85,000 |
| 2 | जींद | 11 | 1,95,000 |
| 3 | सोनीपत | 37 | 5,49,250 |
| 4 | गुरुग्राम | 9 | 1,98,000 |
| | **कुल** | **87** | **16,27,250** |

एग्जिट कांफ्रेंस (जनवरी 2022) के दौरान, विभाग ने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा; उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।

# भाग-ख:
# शहरी स्थानीय निकाय

## भाग-ख: शहरी स्थानीय निकाय

## अध्याय - III

## शहरी स्थानीय निकायों का प्रोफाइल

### 3.1 प्रस्तावना

74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को संविधान की बारहवीं अनुसूची में शामिल 18 कार्यों के साथ निधियों तथा पदाधिकारियों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां तथा उत्तरदायित्व सौंपने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 लागू किया और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया।

### 3.2 लेखापरीक्षा व्यवस्था

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एलएडी), हरियाणा सभी नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं के सांविधिक लेखापरीक्षक हैं।

ग्याहरवें वित्त आयोग (ईएफसी) ने सिफारिश की थी कि शहरी स्थानीय निकायों की सभी तीनों श्रेणियों/स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव तथा उनकी लेखापरीक्षा पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा जाए। तेरहवें वित्त आयोग (टीएफसी) ने आगे सिफारिश की कि राज्य सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों (एटीआईआर)[1] को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने की योजना बनानी चाहिए। राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकायों की नमूना-लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया (अगस्त 2008) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, हरियाणा को शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन (टीजी) प्रदान करने की अनुमति भी दी। राज्य सरकार ने आगे अधिसूचित किया (दिसंबर 2011) कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

राज्य सरकार ने 2009 से 2019 तक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के समक्ष अंतिम प्रस्तुति (2017-19 का प्रतिवेदन) 22 मार्च 2022 को प्रस्तुत करके उक्त अधिसूचना की शर्तों का पालन किया है। वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं पर एक पृथक समिति का गठन भी किया गया है (मई 2013) और 2017-19 तक के सभी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विधानसभा में चर्चा की जा चुकी है। हालांकि, सितंबर 2024 तक, वर्ष 2011-2019 के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 22 अनुच्छेद लंबित हैं।

---

[1] वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा आयोजित पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित एक प्रतिवेदन है।

शहरी स्थानीय निकाय में सार्वजनिक वित्त प्रबंध तथा उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकाय अर्थात् स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (हरियाणा) के सांविधिक लेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के मापदंड, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2020 की धारा 120 से 122 में दिए गए हैं।

स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के कार्य के तहत, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय ने मार्च 2021 में 'शहरी स्थानीय निकायों के लिए आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था।

मार्गदर्शन के लिए एक उदाहरणात्मक नमूने के रूप में, वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान नगरपालिकाओं (निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय सहित) की 11[2] निरीक्षण रिपोर्टें स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को भेजी गई थी।

## 3.3 शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना

जनवरी 2024 तक, राज्य में 11[3] नगर निगम, 23 नगर परिषदें और 54 नगरपालिकाएं हैं। शहरी स्थानीय निकायों में प्रत्येक वार्ड से चुने हुए सदस्य होते हैं। नगर निगम के मेयर तथा नगर परिषद और नगरपालिका में अध्यक्ष का चुनाव इन सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है, जो विभिन्न वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शहरी स्थानीय निकायों का समग्र नियंत्रण, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से अपर मुख्य/प्रधान सचिव (शहरी स्थानीय निकाय), हरियाणा सरकार के पास होता है। शहरी स्थानीय निकाय की संगठनात्मक संरचना नीचे ***चार्ट 3.1*** में वर्णित हैः

**चार्ट 3.1: शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना**

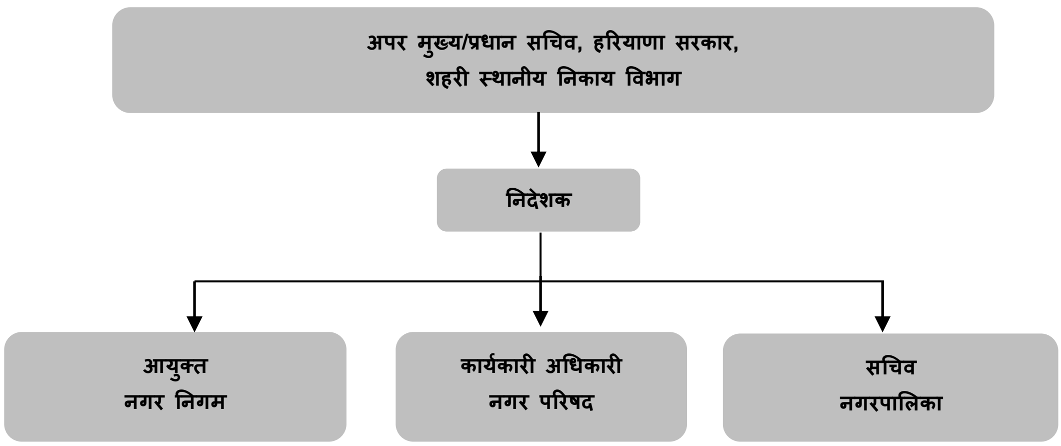


[2] (i) शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय (डीयूएलबी), (ii) चीका, (iii) फरीदाबाद, (iv) गन्नौर, (v) गोहाना, (vi) हेली मंडी, (vii) हांसी, (viii) करनाल, (ix) सोहना, (x) सोनीपत (लेखा विंग) और (xi) सोनीपत (इंजीनियरिंग विंग)।

[3] (i) अंबाला, (ii) फरीदाबाद, (iii) गुरुग्राम, (iv) हिसार, (v) करनाल, (vi) मानेसर, (vii) पंचकुला, (viii) पानीपत, (ix) रोहतक, (x) सोनीपत और (xi) यमुनानगर।

### 3.3.1 कार्यों का हस्तांतरण

शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों और कार्यों के विकेंद्रीकरण तथा शहरों और कस्बों की पर्याप्त अवसंरचना तथा मूलभूत सुविधाओं सहित उपयुक्त और योजनागत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए संविधान का 74वां संशोधन किया गया था। ***तालिका 3.1*** में दिए गए विवरणानुसार हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को 18 कार्य सौंपे हैं:

**तालिका 3.1: शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों का विवरण**

| **क्र.सं.** | **शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्य** |
|---|---|
| | **वे कार्य जिन पर शहरी स्थानीय निकायों का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है** |
| **1** | जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी |
| **2** | दफनाना तथा कब्रिस्तान, दाह-संस्कार, श्मशानघाट तथा विद्युत शवदाह गृह |
| **3** | मवेशी तालाब, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण |
| **4** | बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन |
| | **वे कार्य जिनमें राज्य सरकार के विभागों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के साथ शहरी स्थानीय निकायों की प्रमुख भूमिका है** |
| **5** | सड़कें तथा पुल |
| **6** | स्ट्रीट लाईटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप तथा जन सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख-सुविधाएं |
| **7** | शहरी सुख-सुविधाओं और सहूलियतों का प्रावधान - पार्क, उद्यान और खेल के मैदान |
| | **वे कार्य जिनमें शहरी स्थानीय निकाय केवल कार्यान्वयन एजेंसियां हैं** |
| **8** | आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना |
| **9** | दिव्यांग तथा मानसिक रूप से कमजोर सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करना |
| **10** | शहरी गरीबी उन्मूलन |
| **11** | मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन |
| | **वे कार्य जिनमें राज्य सरकार के विभागों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के साथ शहरी स्थानीय निकायों की सीमित भूमिका है** |
| **12** | शहरी आयोजना जिसमें नगर आयोजना भी शामिल है |
| **13** | भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण |
| **14** | जलापूर्ति - घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक |
| **15** | जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन |
| **16** | अग्निशमन सेवाएं |
| | **वे कार्य जिनमें शहरी स्थानीय निकायों की लगभग कोई भूमिका नहीं है** |
| **17** | शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना |
| **18** | सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सौंदर्य विषयक पहलुओं को बढ़ावा देना |

उपर्युक्त तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कार्यों का हस्तांतरण एक समान नहीं है। शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न स्तरों के उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। कुछ कार्य विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाते हैं; अन्य कार्यों में राज्य के विभागों या अर्ध-सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग शामिल होता है या विशिष्ट क्षेत्राधिकारों के भीतर समन्वय की आवश्यकता होती है। इन 18 कार्यों में से, शहरी स्थानीय निकाय केवल चार कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी थे, दो कार्यों में उनकी भूमिका नगण्य थी, पांच कार्यों में उनकी भागीदारी सीमित थी, चार कार्यों के लिए उन्होंने केवल कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य किया, और तीन कार्यों में उन्होंने अर्ध-सरकारी एजेंसियों या सरकारी विभागों के साथ मिलकर कार्य करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

## 3.4 वित्तीय प्रोफाइल

### 3.4.1. शहरी स्थानीय निकायों का निधि प्रवाह

विभिन्न विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकाय मुख्यतः भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदानों के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदानों में केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) की सिफारिशों के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुदान तथा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मिलने वाले अनुदान शामिल हैं। राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिशों पर कुल कर राजस्व की निवल आय से हस्तांतरण तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के माध्यम से अनुदान प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करों, किराया, फीस तथा लाईसैंस जारी करने के माध्यम से भी राजस्व एकत्रित किया जाता है।

जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुदानों का उपयोग मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है, वहीं शहरी स्थानीय निकायों की अपनी प्राप्तियों का उपयोग प्रशासनिक व्ययों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं/कार्यों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं के लिए निधि प्रवाह प्रबंध ***तालिका 3.2*** में दिया गया है:

**तालिका 3.2: मुख्य योजनाओं में निधि प्रवाह प्रबंध**

| क्र.सं. | योजना | निधि प्रवाह प्रबंध |
|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वित्तपोषण केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को कम करना है। राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए), हरियाणा, इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। राज्य को केंद्र के हिस्से की राशि सीधे राज्य शहरी विकास एजेंसी के तहत गठित राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एसएमएमयू) के खाते में दो किश्तों में जारी की जाएगी। राज्य मिशन प्रबंधन इकाई ने निर्धारित लक्ष्यों/प्राप्त परियोजनाओं के अनुसार सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स (सीएमएमयू) के माध्यम से जिला-वार निधियां जारी की। |
| 2. | स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) | स्वच्छ भारत मिशन-शहरी योजना को अक्तूबर 2014 से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन के उद्देश्यों में खुले में शौच को समाप्त करना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करना और स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देना शामिल है। इस योजना में, लाभार्थियों को प्रति व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएल) के लिए अधिकतम ₹ 14,000/- की सहायता (भारत सरकार का हिस्सा ₹ 4,000 और हरियाणा राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 10,000) प्रदान की जाएगी। हरियाणा राज्य स्लम क्लीयरेंस बोर्ड (एचएससीबी) इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। हरियाणा राज्य स्लम क्लीयरेंस बोर्ड मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार और राज्य सरकार से निधियां प्राप्त करता है। इसके बाद, हरियाणा राज्य स्लम क्लीयरेंस बोर्ड संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को निधियां जारी करता है। |

| क्र.सं. | योजना | निधि प्रवाह प्रबंध |
|---|---|---|
| 3. | अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) | अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 2015-20 की अवधि शामिल है। विशेष रूप से, शहरी अवसंरचना को मजबूत करने और मलिन बस्तियों में सुधार करने के लिए परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता तीन किश्तों में (स्वीकृत लागत का 20:40:40) जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझा किया जाता है। इसके अलावा, हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) तैयार करता है, भारत सरकार और राज्य सरकार से निधियां प्राप्त करता है, और उनकी परियोजना की प्रगति और आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को चरणों में राशि जारी करता है। |

### 3.4.2 निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता

2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों की निधियों के स्रोत तथा उपयोग की प्रवृत्ति का विवरण ***तालिका 3.3*** में दिया गया है।

**तालिका 3.3: शहरी स्थानीय निकायों की निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता पर समयक्रम डेटा**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राप्ति | व्यय | प्राप्ति | व्यय | प्राप्ति | व्यय | प्राप्ति | व्यय | प्राप्ति | व्यय |
| केंद्रीय वित्त आयोग | 433.28 | 433.28 | 177.87 | 177.87 | 972.00 | 730.11 | 609.00 | 561.00 | 606.00 | 362.48 |
| राज्य वित्त आयोग | 250.00 | 250.00 | 318.00 | 318.00 | 936.42 | 936.42 | 1,493.00 | 1,493.00 | 1,500.00 | 1,351.51 |
| ऋण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अपने स्रोत (कर तथा कर-भिन्न) | 2,878.63 | 2,878.63 | 2,266.14 | 2,767.64 | 1,580.04 | 1,580.04 | 1,516.71 | 2,296.52 | 2,495.87 | 2,483.40 |
| अन्य अनुदान[4] | 3,861.06 | 3,861.06 | 2,691.75 | 2,691.75 | 2,087.80 | 1,539.59 | 2,512.53 | 1,662.22 | 2,632.67 | 2,632.67 |
| **कुल योग** | **7,422.97** | **7,422.97** | **5,453.76** | **5,955.26** | **5,576.26** | **4,786.16** | **6,131.24** | **6,012.74** | **7,234.54** | **6,830.06** |

**स्रोतः निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े।**

## 3.5 लेखांकन व्यवस्था

नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों के खातों का रखरखाव नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 द्वारा शासित होता है। राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली पर आधारित संहिताकरण पैटर्न को हरियाणा नगरपालिका लेखा संहिता 1930 में संशोधन के रूप में शामिल नहीं किया गया था। यह संशोधन विचाराधीन था जैसा कि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा जनवरी 2021 में बताया गया था।

## 3.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान 34 शहरी स्थानीय निकायों (आठ[5] नगर निगमों, आठ[6] नगर परिषदों, 18[7] नगरपालिकाओं), प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय

---

4 अन्य अनुदानों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य योजना स्कीमों और केंद्र एवं राज्य साझाकरण योजनाओं के लिए प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

5 (i) अंबाला, (ii) फरीदाबाद, (iii) गुरुग्राम, (iv) हिसार, (v) करनाल, (vi) पंचकुला, (vii) सोनीपत और (viii) यमुनानगर।

6 (i) भिवानी, (ii) गोहाना, (iii) हांसी, (iv) पलवल, (v) रेवाड़ी, (vi) सोहना, (vii) थानेसर और (viii) टोहाना।

7 (i) बरवाला, (ii) बावल, (iii) बेरी, (iv) चीका, (v) धारूहेड़ा, (vi) गन्नौर, (vii) हेलीमंडी, (viii) कालांवाली, (ix) लाडवा, (x) महम, (xi) महेंद्रगढ़, (xii) पेहोवा, (xiii) राजौंद, (xiv) रानिया, (xv) सांपला, (xvi) शाहबाद, (xvii) तरावड़ी और (xviii) उकलाना।

हरियाणा, एक राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला, पांच सिटी मिशन प्रबंधन इकाइयों[8] और निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी।

## 3.7 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद

नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के क्रमशः आयुक्तों/कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में दर्शाई गई कमियों/त्रुटियों को ठीक करना और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लिए अनुपालन रिपोर्ट/उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सितंबर 2024 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों (दिसंबर 2024 तक निपटान किए गए) का विवरण ***तालिका 3.4*** में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.4: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की स्थिति**

| निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/ अनुच्छेदों का प्रारंभिक शेष | | जमा | | कुल | | समायोजित निरीक्षण प्रतिवेदनों/ अनुच्छेदों की संख्या | | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/ अनुच्छेदों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | निरीक्षण प्रतिवेदन | अनुच्छेद | निरीक्षण प्रतिवेदन | अनुच्छेद | निरीक्षण प्रतिवेदन | अनुच्छेद | निरीक्षण प्रतिवेदन | अनुच्छेद | निरीक्षण प्रतिवेदन | अनुच्छेद |
| 2017-18 | 221 | 1,350 | 40 | 365 | 1 | 1,715 | 0 | 62 | 261 | 1,653 |
| 2018-19 | 261 | 1,653 | 26 | 376 | 287 | 2,029 | 0 | 89 | 287 | 1,940 |
| 2019-20 | 287 | 1,940 | 18 | 291 | 305 | 2,231 | 0 | 84 | 305 | 2,147 |
| 2020-21 | 305 | 2,147 | 8 | 105 | 313 | 2,252 | 0 | 28 | 313 | 2,224 |
| 2021-22 | 313 | 2,224 | 15 | 181 | 328 | 2,405 | 0 | 36 | 328 | 2,369 |
| 2022-23 | 328 | 2,369 | 10 | 104 | 338 | 2,473 | 0 | 05 | 338 | 2,468 |
| 2023-24 | 338 | 2,468 | 34 | 288 | 372 | 2,756 | 0 | 29 | 372 | 2,727 |
| | | कुल | 151 | 1,710 | | | | 333 | | |

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बकाया अनुच्छेदों की संख्या 2017-18 में 1,653 से बढ़कर 2023-24 में 2,727 हो गई। अनुपालन के लिए अनुच्छेदों का अत्यधिक संख्या में लंबित होना, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ध्यान और प्रभावी कार्रवाई की कमी को दर्शाता है।

8 (i) भिवानी, (ii) कुरुक्षेत्र, (iii) पानीपत, (iv) रेवाड़ी और (v) यमुनानगर।

## अध्याय - IV

## शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

## शहरी स्थानीय निकाय विभाग

### 4.1 भूमि को पट्टे पर देने में विलंब तथा पट्टे की गलत गणना के कारण हानि

होटल ताज विवानता सूरजकुंड ने नगर निगम, फरीदाबाद से होटल से सटी 1.5 एकड़ भूमि को लॉन के रूप में विकसित करने और होटल के बैंक्वेट समारोहों में उपयोग करने के लिए पट्टे पर देने का अनुरोध किया (अगस्त और अक्तूबर 2015) था।

हालांकि, नगर निगम, फरीदाबाद ने (दिसंबर 2015) होटल को केवल तीन वर्षों के लिए इस भूमि के विकास, लैंडस्केपिंग और रखरखाव की अनुमति प्रदान की थी। बैंक्वेट समारोहों के लिए इस भूमि का उपयोग करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। बाद में, एक नागरिक की शिकायत पर, नगर निगम, फरीदाबाद ने पाया (अक्तूबर 2017) कि होटल इस भूमि का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों (पार्टियों के आयोजन) के लिए भी कर रहा था। इसके पश्चात, नगर निगम, फरीदाबाद ने (अगस्त 2018 में) हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164(ए) (ii)[1] के तहत होटल को ₹ 12.23 लाख प्रतिवर्ष (वर्तमान कलेक्टर दर का छः प्रतिशत) की दर से 11 महीनों के लिए इस भूमि पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी कुल राशि ₹ 11.22 लाख थी। नगर निगम, फरीदाबाद ने जनवरी 2016 से जुलाई 2018 तक की अवधि के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमति प्रदान नहीं की थी, जिस दौरान होटल ने अनाधिकृत रूप से इस भूमि का उपयोग बैंक्वेट उद्देश्यों के लिए किया था। इसके परिणामस्वरूप नगर निगम, फरीदाबाद को ₹ 39.07 लाख[2] की वित्तीय हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के निर्देशों के अनुसार (अप्रैल 2016), नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा पट्टे के लिए आरक्षित मूल्य/बाजार दर का निर्धारण गुरुग्राम मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाना था। हालांकि, दरों का निर्धारण नगर निगम, फरीदाबाद के कार्मिकों की एक आंतरिक समिति द्वारा किया गया था। वार्षिक पट्टा प्रभारों की गणना संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति (सीसीआईपी), 2013 के पैरा 2.2 के अनुसार टावरों की स्थापना की अनुमति देने के लिए निर्धारित दरों पर की गई थी, जो कि कलेक्टर दर का छः प्रतिशत थी और सितंबर 2017 में इसे संशोधित कर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके कारण अगस्त 2018 से जून 2019 की अवधि के लिए पट्टा प्रभारों का ₹ 7.47 लाख[3] कम निर्धारण हुआ। इस प्रकार, भूमि को पट्टे पर न

---

1 धारा 164 (ए)(ii) नगर निगम को निगम की किसी भी अचल परिसंपत्ति को 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर न देने की अनुमति देती है।

2 ₹ 39.07 लाख = ₹ 20.38 लाख (वर्तमान कलेक्टर दर के छः प्रतिशत की दर से) {(₹ 12.23 लाख/12) x 20 महीने (जनवरी 2016 से अगस्त 2017)} + ₹ 18.69 लाख (वर्तमान कलेक्टर दर के 10 प्रतिशत की संशोधित दर से) {(₹ 20.39 लाख/12) x 11 महीने (सितंबर 2017 से जुलाई 2018)}।

3 धारा 164 (a)(ii) के उल्लंघन के कारण अगस्त 2018 से जून 2019 (11 महीने) की अवधि के लिए ₹ 7.47 लाख का कम निर्धारण = ₹ 18.69 लाख (कलेक्टर दर के 10 प्रतिशत की संशोधित दर से देय निर्धारण) - ₹ 11.22 लाख (कलेक्टर दर के छः प्रतिशत की दर से किया गया वास्तविक निर्धारण)।

देने और अपनाए गए मानदंडों के विपरीत पट्टा प्रभारों के कम निर्धारण के कारण, नगर निगम, फरीदाबाद को ₹ 46.54 लाख (₹ 39.07 लाख + ₹ 7.47 लाख) की वित्तीय हानि हुई।

इंगित किए जाने पर, नगर निगम, फरीदाबाद ने बताया (जुलाई 2019) कि आवेदक ने निकटवर्ती भूमि को लॉन के रूप में विकसित करने के लिए सूचित किया था और उक्त भूमि के किराए/फीस के भुगतान के लिए लिखित में कुछ नहीं दिया था; इसलिए, भूमि केवल हरियाली को बनाए रखने के लिए दी गई थी। उन मामलों में कलेक्टर दर के छः प्रतिशत की दर से पट्टा प्रभार लगाया गया था, जहां टावर और पेट्रोल पंप आदि की स्थापना के लिए अनुमति दी गई थी। आवेदक द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने की अनुमति मांगने के बाद अनुमति दे दी गई थी (जनवरी 2018)। नगर निगम, फरीदाबाद ने आगे बताया (अक्तूबर 2022) कि होटल प्रबंधन ने विशेष अवसरों पर भूमि के उपयोग की अनुमति मांगी थी, जो प्रदान कर दी गई थी, तथा प्रबंधन से उपयोग प्रभार लागू कर वसूल कर लिए गए थे। नगर निगम, फरीदाबाद ने भूमि कभी भी पट्टे पर नहीं दी थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि होटल ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था कि नगर निगम, फरीदाबाद निकटवर्ती भूमि को लॉन के रूप में विकसित करने और होटल के बैंक्वेट समारोहों हेतु उपयोग करने के लिए पट्टे पर दिया जाए। इसलिए, यह तर्क कि भूमि विशेष अवसरों के उपयोग के लिए दी गई थी, मान्य नहीं है। इसके अलावा, सितंबर 2017 से पट्टा प्रभारों को संशोधित करके कलेक्टर दर का 10 प्रतिशत कर दिया गया था, लेकिन पट्टा राशि की गणना कलेक्टर दर के छः प्रतिशत पर की गई थी।

मामला जून 2022 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था। अक्तूबर 2024 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था और दिसंबर 2025 तक उनकी प्रतिक्रिया अभी भी लंबित थी।

***सिफारिश: राज्य सरकार को शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि पट्टे पर देने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।***

## 4.2 विकास प्रभारों की वसूली न होना

हरियाणा नागरिक सुविधाएं अवसंरचना कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016, 21 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। अधिनियम में नागरिक सुविधाओं और अवसंरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों में अनिवार्य सेवाएं[4] सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 3 यह प्रावधान करती है कि सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को नागरिक सुविधाएं और अवसंरचना-कमी वाला क्षेत्र घोषित कर सकती है। संबंधित नगरपालिकाओं के लिए अपेक्षित है कि वे उस क्षेत्र में अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई शुरू करें, और घोषित क्षेत्र में स्थित भूखंडों या भवनों को, फीस के भुगतान तथा निर्दिष्ट समय के भीतर नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन, नियमित माना जाएगा (धारा 5)। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की नीतिगत प्रणाली व्यवस्था करती है कि

[4] जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कें और स्ट्रीटलाइट्स।

नगरपालिका अधिसूचित कॉलोनी में भूखंडों की एक विस्तृत सूची तैयार करेगी, जिसमें मालिक का नाम, भूखंड का क्षेत्रफल और भूखंड पर आवासीय इकाइयों की संख्या शामिल होगी (कॉलोनियों की अधिसूचना से दो महीने के भीतर) तथा भवन योजनाएं और विकास प्रभार भुगतान करने के लिए समाचार पत्रों में तुरंत सार्वजनिक सूचना जारी करेगी। नगर निगम को विकास प्रभारों की वसूली और भवन योजनाओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को व्यक्तिगत नोटिस भी जारी करने चाहिए।

राज्य सरकार ने 27 सितंबर 2018 के अपने आदेशों के माध्यम से अधिसूचित कॉलोनियों के संपत्ति मालिकों से विकास प्रभारों के उद्ग्रहण का निर्देश दिया था, जो कि नगर निगम, गुरुग्राम और फरीदाबाद के मामले में ₹ 500 प्रति वर्ग मीटर, अन्य नगर निगमों के लिए ₹ 360 प्रति वर्ग मीटर, नगर परिषदों के लिए ₹ 240 प्रति वर्ग मीटर और नगरपालिकाओं के लिए ₹ 160 प्रति वर्ग मीटर या कलेक्टर दर[5], का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से लागू होगा। 17 नगर निगम के अभिलेखों (अप्रैल 2014 से मार्च 2020) संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि राज्य सरकार ने हरियाणा नागरिक सुविधाएं और अवसंरचना कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 के तहत इन नगर निगम की 176 कॉलोनियों को नागरिक सुविधाएं और अवसंरचना-कमी वाले क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया था (सितंबर 2018)। इन कॉलोनियों में, ***तालिका 4.1*** में दिए गए विवरण के अनुसार 43,11,081.89 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र से ₹ 140.79 करोड़ के विकास प्रभार वसूल किए जाने थे:

**तालिका 4.1: नगर निगम में वसूलनीय विकास प्रभार**

| क्र. सं. | नगर निगम का नाम | अधिसूचित कॉलोनियों की संख्या | इन कॉलोनियों के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र | वसूलनीय राशि | नगर निगम द्वारा सूचित किए गए अनुसार की गई वसूली |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (वर्ग मीटर में) | (₹ करोड़ में) | |
| 1. | करनाल | 23 | 11,75,693.80 | 42.32 | |
| 2. | रेवाड़ी | 22 | 7,79,262.59 | 18.7 | 3.47 |
| 3. | अंबाला | 25 | 4,67,978.43 | 16.85 | |
| 4. | गुरुग्राम | 17 | 4,63,850.63 | 23.19 | |
| 5. | हिसार | 14 | 3,32,449.22 | 11.97 | |
| 6. | थानेसर | 13 | 2,92,263.94 | 7.01 | |
| 7. | सोनीपत | 4 | 2,42,770.89 | 8.74 | 0.31 |
| 8. | पंचकुला | 6 | 1,43,987.40 | 5.18 | |
| 9. | लाडवा | 13 | 1,09,791.20 | 1.76 | |
| 10. | धारूहेड़ा | 4 | 1,03,892.94 | 1.66 | |
| 11. | शाहबाद | 12 | 67,784.84 | 1.08 | |
| 12. | तरावड़ी | 8 | 51,435.54 | 0.82 | |
| 13. | गन्नौर | 3 | 23,345.42 | 0.50 | |
| 14. | बावल | 5 | 18,372.73 | 0.29 | |
| 15. | महम | 5 | 16,794.45 | 0.27 | 0.03 |
| 16. | हांसी | 1 | 13,435.56 | 0.32 | |
| 17. | कलांवाली | 1 | 7,972.31 | 0.13 | |
| | **कुल** | **176** | **43,11,081.89** | **140.79** | |

[5] चूंकि अधिसूचित क्षेत्रों के लिए कलेक्टर दरें उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए वसूलनीय विकास प्रभारों की गणना कलेक्टर दरों को अनदेखा करते हुए की गई है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई वर्षों के पश्चात भी, इन नगरपालिकाओं ने विकास प्रभारों की वसूली के लिए कड़े कदम नहीं उठाए थे। ये नगरपालिकाएं विकास प्रभारों की वसूली के लिए भूखंड मालिकों को समय पर नोटिस जारी करने में विफल रही थी।

इसी तरह की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पिछले लेखापरीक्षा में भी उठाई गई थी और उन्हें वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। विधान सभा की स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति ने 20 अप्रैल 2021 को आयोजित अपनी बैठक में इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया, तथा विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित शेष विकास प्रभार वसूल करने और समय-समय पर अद्यतित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन सिफारिशों के बावजूद वसूली की स्थिति बहुत खराब रही।

यह मामला जुलाई 2021 और पुनः अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के समक्ष उठाया गया था; दिसंबर 2025 तक उत्तर लंबित था।

## 4.3 राइट ऑफ वे प्रभारों का कम निर्धारण

हरियाणा सरकार ने हरियाणा में संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति के प्रावधानों के तहत राइट ऑफ वे की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 6 सितंबर 2017 की अधिसूचना के माध्यम से संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति, 2017 को अधिसूचित किया था। क्लॉज 14.2 के अनुसार, यह नीति संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा इस विषय पर जारी किए गए नियमों/उप-नियमों/नीतियों/दिशानिर्देशों के पिछले सभी सेटों को प्रतिस्थापित करेगी, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी किए गए उप-नियम भी शामिल हैं।

संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति, 2017 के परिशिष्ट 2 के पैरा 2.1 (ए) के अनुसार, भूमिगत संचार एवं संपर्क अवसंरचना तैयार करने की अनुमति देने के लिए ₹ 1,000 प्रति किलोमीटर की दर से एकमुश्त प्रशासनिक प्रभार लिया जाना था। नीति के परिशिष्ट 2 के पैरा 2.2.2 (बी) के अनुसार, उपयुक्त प्राधिकरण (नगरपालिकाओं) के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों के मामले में, संबंधित उचित प्राधिकरण द्वारा लागू कलेक्टर दर के 10 प्रतिशत की दर से वार्षिक प्रभार वसूला जाना था।

फरवरी 2020 में नगर निगम, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि अक्तूबर 2017 और अप्रैल 2019 के उपरांत, संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति, 2017 की अधिसूचना के बाद, नगर निगम, पंचकुला ने भूमिगत टेलीकॉम केबल बिछाने के लिए टाटा कम्युनिकेशंस, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को 18 अनुमतियां दी गई थी। नगर निगम, पंचकुला ने संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति, 2017 की आवश्यकता के अनुसार 10 प्रतिशत के बजाय हरियाणा नगर निगम (संचार एवं संपर्क) उप-नियम, 2013 के तहत छः प्रतिशत की दर से ₹ 1.26 करोड़ के प्रभार उद्ग्रहित किए गए। संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति 2017 के अनुसार, ₹ 2.81 करोड़ प्रभारित किए जाने चाहिए थे ***(परिशिष्ट 4.1)***, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ के कम प्रभार उद्ग्रहित किए गए।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि नगर निगम, पंचकुला ने (सितंबर 2018 से अप्रैल 2019 तक) 23 मोबाइल टावर स्थापित करने की अनुमति दी थी और इन अनुमतियों के लिए उप-नियम 2013 के तहत छः प्रतिशत की दर से ₹ 70.57 लाख का वार्षिक पट्टा प्रभार उद्ग्रहित किया गया था, जबकि संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति, 2017 के तहत 10 प्रतिशत की दर से ₹ 117.62 लाख के प्रभार उद्ग्रहित किए जाने अपेक्षित थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 47.05 लाख के वार्षिक पट्टा प्रभारों का कम निर्धारण हुआ ***(परिशिष्ट 4.2)***।

इंगित किए जाने पर, नगर निगम, पंचकुला ने (जून 2021) बताया कि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने अप्रैल 2018 और दिसंबर 2019 में स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में संचार एवं संपर्क अवसंरचना के सभी मामलों की कार्रवाई उप-नियम 2013 के अनुसार की जाए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उप-नियम 2013 को 6 सितंबर 2017 से संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, और प्रशासनिक सचिव, शहरी स्थानीय निकाय, जन शिकायतों के निपटान के लिए संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति, 2017 के तहत गठित राज्य स्तरीय टेलीकॉम समिति के सदस्यों में शामिल थे।

नगर निगम, पंचकुला ने पुनः बताया (जून 2023) कि हरियाणा नगर निगम (संचार एवं संपर्क) उप-नियम, 2013, राज्य के नगर निगमों पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने भी स्पष्ट किया (जनवरी 2020) था कि नगर निगम द्वारा उपर्युक्त उप-नियमों का अनुपालन किया जाना है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति, 2017 के पैरा 14.2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति, संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा इस विषय पर जारी नियमों, उप-नियमों, नीतियों, दिशानिर्देशों आदि के पूर्ववर्ती सभी सेटों को प्रतिस्थापित करता है।

मामले को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के समक्ष उठाया गया (अगस्त 2023) था, ताकि यह स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सके कि जब संचार एवं संपर्क अवसंरचना नीति, 2017 ने उप-नियमों को प्रतिस्थापित कर दिया था, तब भी फील्ड कार्यालयों को उप-नियम 2013 के अनुसार राइट-ऑफ-वे प्रभार वसूलने के निर्देश जारी करने का क्या तर्क था। इस संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

यह मामला अगस्त 2022 और अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार के पास भेजा गया था। अभी भी दिसंबर 2025 तक, उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

## 4.4 दुकान का वसूलनीय किराया

नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 के नियम XI. 4. (2) में यह प्रावधान है कि करों की वसूली को नियंत्रित करने वाले नियम, अपेक्षित परिवर्तनों सहित, किराए की वसूली पर भी लागू होंगे। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए (मार्च 2019) थे कि किराए को जमा करने में विलंब होने की स्थिति में, चूककर्ता से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूला जाना चाहिए।

11 नगरपालिकाओं (अप्रैल 2014 से सितंबर 2019) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह ज्ञात हुआ कि ***तालिका 4.2*** में दिए गए विवरण के अनुसार दुकानों का ₹ 30.82 करोड़ का पट्टा किराया बकाया था:

**तालिका 4.2: नगरपालिका की दुकानों के बकाया पट्टा किराए का विवरण**

| क्र. सं. | नगरपालिका का नाम | लेखापरीक्षा अवधि | राशि (₹ लाख में) | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नगरपालिका, अंबाला | जनवरी 2018 से मार्च 2019 | 33.30 | उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। |
| 2 | नगरपालिका, सोनीपत | अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 201.95 | नगर निगम ने सूचित किया (अक्तूबर 2022) कि उक्त अवधि के लिए **₹ 200.00 लाख** वसूल किए जा चुके हैं। |
| 3 | नगरपालिका, यमुनानगर | अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 159.27 | नगर निगम ने सूचित किया (अक्तूबर 2022) कि मार्च 2022 तक **₹ 60.06 लाख** वसूल किए जा चुके हैं। |
| 4 | नगरपालिका, भिवानी | अप्रैल 2016 से मार्च 2019 | 6.53 | नगर निगम ने सूचित किया (अक्तूबर 2022) कि उनकी बकाया राशि में से **₹ 0.82 लाख** वसूल किए जा चुके हैं और ₹ 5.71 लाख अभी भी बकाया हैं। |
| 5 | नगरपालिका, रेवाड़ी | अप्रैल 2016 से जून 2019 | 92.10 | नगर निगम ने सूचित किया (नवंबर 2022) कि **₹ 1.15 लाख** वसूल किए जा चुके हैं। |
| 6 | नगरपालिका, थानेसर | अप्रैल 2016 से मई 2019 | 1,874.95 | नगर निगम ने सूचित किया (अक्तूबर 2022) कि 71 दुकानों के लिए ₹ 1,878.98 लाख वसूलनीय थे, लेकिन अब तक केवल **₹ 25 लाख** ही वसूल किए जा सके हैं और इस संबंध में पब्लिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत अदालती मामले दर्ज किए गए थे। |
| 7 | नगरपालिका, बावल | अप्रैल 2014 से सितंबर 2019 | 518.53 | नगर निगम ने सूचित किया (नवंबर 2022) कि मार्च 2020 तक की वसूलनीय राशि में से **₹ 115.76 लाख** वसूल किए जा चुके थे। ₹ 380.14 लाख की वसूलनीय राशि से संबंधित मामले अदालतों में लंबित थे और शेष ₹ 22.62 लाख की वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। |
| 8 | नगरपालिका, कलांवाली | अप्रैल 2014 से सितंबर 2019 | 33.38 | उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। |
| 9 | नगरपालिका, लाडवा | अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 | 6.13 | नगर निगम ने सूचित किया (अक्तूबर 2022) कि **₹ 4.90 लाख** वसूल किए जा चुके हैं और ₹ 1.23 लाख बकाया हैं। |
| 10 | नगरपालिका, सांपला | अप्रैल 2014 से जुलाई 2019 | 68.60 | नगर निगम ने सूचित किया (अक्तूबर 2022) कि **₹ 18.68 लाख** वसूल किए जा चुके हैं। |
| 11 | नगरपालिका, शाहबाद | अप्रैल 2014 से मार्च 2019 | 87.74 | नगर निगम ने सूचित किया (अक्तूबर 2022) कि **₹ 10.23 लाख** वसूल किए जा चुके हैं। |
| | **कुल** | | **3,082.48** | |

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 11 में से नौ नगरपालिकाएं केवल ₹ 4.37 करोड़ ही वसूल कर सकी थी।

यह मामला अगस्त 2022 और अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

***सिफारिश: संबंधित नगर निगमों को किराए की समय पर वसूली के लिए एक प्रणाली को सुदृढ़ और विकसित करना चाहिए।***

## 4.5 वस्तु एवं सेवा कर से छूट का लाभ न उठाना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अपनी अधिसूचना (28 जून 2017) के माध्यम से स्थानीय प्राधिकरण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के तहत किसी नगरपालिका को सौंपे गए किसी कार्य के संबंध में प्रदान की जाने वाली शुद्ध सेवाओं[6] पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दी थी (इसमें कार्य अनुबंध सेवा या अन्य मिश्रित आपूर्ति जिसमें किसी वस्तु की आपूर्ति शामिल हो, को बाहर रखा गया है)। हरियाणा सरकार ने संविधान की बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243डब्ल्यू के तहत) में सूचीबद्ध 18 कार्य, जैसे- शहरी नियोजन, घरेलू एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं आदि, नगरपालिकाओं को सौंपे हैं। तदनुसार, नगरपालिकाओं को जुलाई 2017 से इन कार्यों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए आपूर्ति किए गए कार्यबल के बिलों पर वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी।

13[7] नगरपालिकाओं और महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय (अप्रैल 2014 से मार्च 2020) के अभिलेखों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2014 से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान स्वच्छता, अग्निशमन सेवाओं आदि से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए कार्यबल की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को ₹ 64.05 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन नगरपालिकाओं ने छूट अधिसूचना में परिकल्पित वस्तु एवं सेवा कर छूट का लाभ नहीं उठाया और वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में ₹ 9.40 करोड़ ***(परिशिष्ट 4.3)*** का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.40 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

नगर निगम, गुरुग्राम ने बताया (फरवरी 2020) कि ठेकेदार जनशक्ति, एक ट्रैक्टर डम्पर और एक जेसीबी की आपूर्ति सहित स्वच्छता और इसी तरह की सेवाएं प्रदान करता है और यह संयुक्त आपूर्ति कर योग्य है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने 31 जुलाई 2018 को स्पष्ट किया है कि किसी स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी संयुक्त आपूर्ति, जिसमें वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य उक्त संयुक्त आपूर्ति के कुल मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, कर-मुक्त है। इन मामलों में, वस्तुओं का मूल्य अनुबंध मूल्य के 25 प्रतिशत से कम था।

नगर निगम, सोनीपत ने बताया (अक्तूबर 2022) कि फर्म ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न के माध्यम से सरकार को वस्तु एवं सेवा कर जमा कर दिया था। नगर परिषद, रेवाड़ी ने बताया (नवंबर 2022) कि एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया गया था। नगर परिषद, थानेसर ने बताया (नवंबर 2024) कि प्रदान की गई सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के तहत छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आती थी।

---

[6] वस्तुओं की किसी भी आपूर्ति को शामिल किए बिना केवल सेवाओं की आपूर्ति को शुद्ध सेवाएं माना जाएगा।

[7] (i) फरीदाबाद, (ii) गुरुग्राम, (iii) हिसार, (iv) करनाल, (v) पंचकुला, (vi) सोनीपत, (vii) थानेसर, (viii) रेवाड़ी, (ix) बावल, (x) धारूहेड़ा, (xi) कलांवाली, (xii) मेहम और (xiii) महेंद्रगढ़।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जनशक्ति पूरी तरह से एक शुद्ध सेवा थी और छूट प्राप्त सेवाओं की श्रेणी में आती थी। नगरपालिका, महेंद्रगढ़ ने बताया (नवंबर 2022) कि भविष्य में अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके परिणाम की अभी प्रतीक्षा थी (दिसंबर 2024)।

यह मामला अगस्त 2022 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

***सिफारिश: नगर निगमों को उन दावों को स्वीकार और भुगतान करते समय सतर्क रहना चाहिए जो वैधानिक रूप से देय नहीं हैं।***

## 4.6 बकाया अग्रिम

नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 के नियम XVII.14 में प्रावधान है कि अग्रिम राशि को निर्धारित समय सीमा के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए। आगे, नगर निगम के किसी सदस्य या कर्मचारी को कोई नया अग्रिम केवल तभी दिया जाना चाहिए जब उचित और पर्याप्त कारणों के बिना संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पिछला कोई अग्रिम बकाया न हो।

चार नगरपालिकाओं के अप्रैल 2014 से नवंबर 2019 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों/कार्य निष्पादक एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकार के विभागों/निगमों को स्वीकृत किए गए कुल ₹ 95.94 लाख[8] के अग्रिम समायोजन के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नगर निगम, हिसार में उन व्यक्तियों/कर्मचारियों को अग्रिम दिए गए थे जिनके विरुद्ध पहले के अग्रिम बकाया थे, जो कि संहिताबद्ध प्रावधानों का उल्लंघन था। लंबित अग्रिमों का अवधि-वार विश्लेषण ***तालिका 4.3*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.3: लंबित अग्रिमों का अवधि-वार विश्लेषण**

| क्र.सं. | अवधि | अग्रिमों की संख्या | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | एक वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम की लंबित अवधि | 17 | 93,56,548 |
| 2 | पांच वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम की लंबित अवधि | 3 | 2,17,200 |
| 3 | 10 वर्ष से अधिक की लंबित अवधि | 2 | 20,000 |
| | **कुल** | **22** | **95,93,748** |

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अग्रिमों के समायोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित[9] नहीं की गई थी। अग्रिमों के लंबे समय तक लंबित रहने से दुर्विनियोग का जोखिम बन गया था।

नगरपालिका, शाहबाद ने बताया (अक्तूबर 2022 में) कि ₹ 3.77 लाख में से ₹ 3.07 लाख का समायोजन कर दिया गया था। लेकिन वसूली/समायोजन से संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा विभाग को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

---

8 नगर निगम: (i) हिसार ₹ 90.30 लाख, नगरपालिका: (ii) महेंद्रगढ़ ₹ 0.55 लाख, (iii) बावल ₹ 1.32 लाख और (iv) शाहबाद ₹ 3.77 लाख।

9 नगरपालिका लेखा संहिता के पैरा XVII.14 (5)(ii) में यह प्रावधान है कि समिति अग्रिम राशि के लेखांकन या उसे वापस करने के लिए समय सीमा निर्धारित करेगी।

यह मामला अगस्त 2022 और अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

***सिफारिश: वसूली/समायोजन में तीव्रता लाने के अलावा, संबंधित नगर निगमों को अग्रिमों के समायोजन के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।***

## 4.7 ई-निविदा के बजाय कोटेशन के आधार पर की गई खरीद

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा ने राज्य सरकार के उस निर्णय के बारे में सभी नगरपालिकाओं को सूचित किया (नवंबर 2014), जिसके तहत दिसंबर 2014 से सभी नागरिक कार्यों, स्टोर की खरीद या आउटसोर्सिंग नीति के तहत श्रमिकों की नियुक्ति के लिए ई-निविदा प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य किया गया था। इन आदेशों को पुन: जारी किया गया और यह निर्देश दिया गया (अप्रैल 2015) कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा निर्णय लिया गया (जून 2016) कि राज्य में स्टोर/वस्तुओं/कार्यों/सेवाओं की खरीद के संबंध में ई-निविदा की न्यूनतम सीमा मूल्य प्रत्येक मामले में ₹ एक लाख होगी (बिना किसी आदेश को परिवर्तित किए)।

तीन[10] नगरपालिकाओं की लेखापरीक्षा (2019-20) के दौरान, पाया गया कि अप्रैल 2014 से नवंबर 2019 के दौरान फर्नीचर, एयर कंडीशनर, अन्य स्टोर मदों की खरीद और कार्यों के निष्पादन के लिए 23 मामलों में ₹ 71.83 लाख ***(परिशिष्ट 4.4)*** का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सभी खरीद इलेक्ट्रॉनिक निविदा के बजाय कोटेशन के आधार पर की गई थी, जो कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय का उल्लंघन था।

उत्तर में, संबंधित नगरपालिकाओं ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और तदनुसार उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। इन मामलों में परिणाम अभी भी प्रतीक्षित था।

यह मामला अगस्त 2022 में अपर मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार के पास भेजा गया था। दिसंबर 2025 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

***सिफारिश: शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से स्टोर/वस्तुओं/कार्यों/सेवाओं की खरीद करने के अपने निर्देशों के उल्लंघन के मामले में उत्तरदायित्व तय करना चाहिए।***

## 4.8 कर्मचारी भविष्य निधि और सेवा कर को विलंब से जमा करने/जमा न करने के कारण ब्याज और जुर्माने का परिहार्य भुगतान

### *क. कर्मचारी भविष्य निधि को विलंब से जमा करना/जमा न करना*

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 38, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 3 और कर्मचारी संबद्ध जमा बीमा (ईएलडीआई) योजना, 1976 के पैरा 8(1) में यह प्रावधान है कि नियोक्ता प्रत्येक महीने की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य

10 (i) नगर निगम, हिसार, (ii) नगरपालिका, सांपला और (iii) नगरपालिका, बावल।

निधि, पेंशन निधि और बीमा अंशदान जमा करेगा। यदि नियोक्ता ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7क्यू के तहत ब्याज और चूक की गई राशि पर धारा 14-बी के तहत जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

सात नगरपालिकाओं[11] में जनवरी 2011 से अगस्त 2019 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (जून से सितंबर 2019) कि भविष्य निधि, पेंशन निधि और बीमा अंशदान को विलंब से जमा करने या जमा न करने के मामले सामने आए थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने स्वच्छता कार्य के लिए अनुबंधित कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि को विलंब से जमा करने/जमा न करने के कारण इन नगरपालिकाओं पर ₹ 133.51 लाख[12] का ब्याज और जुर्माना लगाया था।

चार[13] नगरपालिकाओं ने बताया कि निधियों की कमी और सचिव के लगातार होने वाले स्थानांतरण के कारण विलंब हुआ था। नगरपालिका, महेंद्रगढ़ ने बताया कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण अंशदान जमा नहीं किया जा सका।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जुर्माने और ब्याज के भुगतान ने नगरपालिकाओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला है। नगरपालिकाओं को अपने वित्त का प्रबंधन बेहतर ढंग से करना चाहिए था ताकि वैधानिक भुगतानों का समय पर निपटान किया जा सके।

नगरपालिका, नारायणगढ़ ने बताया (मार्च 2023) कि वेतन भुगतान के लिए निधियां उपलब्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि बकायों का भुगतान विलंब से हुआ। नगर परिषद, थानेसर ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नगर निगमों के लिए अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य था। हालांकि, उनके गैर-अनुपालन के कारण जुर्माना लगाया गया, जिससे अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया। इसके अलावा, नगरपालिका, नारायणगढ़ ने अगस्त 2017 के नोटिस में दिए गए अवसर के अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने के विकल्प का लाभ नहीं उठाया।

### *ख. सेवा कर के देर से भुगतान के कारण दिया गया ब्याज*

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 में प्रावधान है कि धारा 68 या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, जो निर्धारित अवधि के भीतर केंद्र सरकार के खातों में कर या उसके किसी भी हिस्से को जमा करने में विफल रहता है, तो साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

---

11 नगर परिषद: भिवानी, हांसी, रेवाड़ी और थानेसर, नगरपालिका: बेरी, महेंद्रगढ़ और नारायणगढ़।

12 नगर परिषद: भिवानी ₹ 74.37 लाख, हांसी ₹ 12.03 लाख, रेवाड़ी ₹ 5.68 लाख और थानेसर ₹ 3.91 लाख, नगरपालिका: बेरी ₹ 7.20 लाख, नारायणगढ़ ₹ 10.72 लाख और महेंद्रगढ़ ₹ 19.59 लाख।

13 नगर परिषद: हांसी, रेवाड़ी और थानेसर, नगरपालिका: बेरी।

नगर निगम, करनाल के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2017 से मार्च 2019) के दौरान पाया गया (मई 2019) कि नगर निगम ने जून 2007 से मार्च 2011 की अवधि के लिए दुकानों के किराए/विज्ञापन के लिए स्थान की बिक्री पर संग्रहित सेवा कर को जमा करने में विलंब किया था। इस कारण, सेवा कर के विलंब से भुगतान के लिए ₹ 38.29 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया गया था, जिसका भुगतान फरवरी और जुलाई 2018 में किया गया था।

नगर निगम, करनाल ने बताया (मई 2019) कि कार्यालय द्वारा जमा किए गए सेवा कर पर ब्याज का मामला पुराना था। यह उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था, क्योंकि ब्याज का भुगतान फरवरी 2018 (₹ 10.60 लाख) और जुलाई 2018 (₹ 27.69 लाख) में किया गया था।

यह मामला जुलाई 2022 और अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय के पास भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

***सिफारिश: नगर निगमों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी प्रकार के वैधानिक देय समय पर जमा किए जाएं। सेवा कर जमा करने में हुए विलंब, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ा, के लिए नगर निगम के अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए।***

## 4.9 एजेंसियों से रियायत फीस की वसूलनीय राशि

नगर निगम, फरीदाबाद ने अगस्त 2018 में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से फरीदाबाद में यूनि-पोल और गैंट्रीज के विकास, मार्केटिंग और रखरखाव के कार्य को करने का निर्णय लिया था। नीलामी के विज्ञापन के लिए तीन जोन में कुल 215 बाहरी साईट की पहचान की गई थी: न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप (एनआईटी), फरीदाबाद (92 साईट), ओल्ड फरीदाबाद (110 साईट), और बल्लभगढ़ (13 साईट)। नगर निगम, फरीदाबाद ने (दिसंबर 2018[14] और सितंबर 2019[15]) इन तीनों जोन का कार्य तीन[16] एजेंसियों को सौंप दिया था।

करार के क्लॉज 11.1(ए) के अनुसार, रियायतग्राही/ठेकेदार को प्रत्येक तिमाही की रियायत फीस अग्रिम रूप से नगर निगम, फरीदाबाद को भुगतान करनी थी, जिसमें पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होनी थी। करार का क्लॉज 16.1.1 रियायतग्राही की ओर से होने वाली चूक के मामलों को निर्धारित करता है, जिसमें भुगतान करने में 60 दिनों से अधिक का विलंब शामिल है। करार के क्लॉज 16.3.1 के तहत नगर निगम, फरीदाबाद को चूक की स्थिति में प्रारंभिक नोटिस देने और करार को समाप्त करने का नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया था।

नगर निगम, फरीदाबाद में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया (दिसंबर 2021) कि इन तीनों एजेंसियों ने संचालन की तिथि से रियायत फीस जमा नहीं की थी। इन एजेंसियों को फीस जमा करने के लिए केवल प्रारंभिक नोटिस जारी किए गए (जुलाई 2021)

---

[14] अनुबंध को 27 दिसंबर 2018 से संचालित किया गया था।

[15] अनुबंधों को 10 सितंबर 2019 और 07 अक्तूबर 2019 से संचालित किया गया था।

[16] न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप फरीदाबाद (92 साईट): मेसर्स स्क्वायर आउटडोर सर्विसेज एडवरटाइजमेंट, ओल्ड फरीदाबाद (110 साईट): मेसर्स श्री श्याम एंटरप्राइजेज और बल्लभगढ़ (13 साईट): मेसर्स ग्लोबल एडवरटाइजमेंट, फरीदाबाद।

थे। इससे यह ज्ञात हुआ कि रियायतग्राहियों/ठेकेदारों से ₹ 8.09 करोड़ की रियायत फीस ***(परिशिष्ट 4.5)*** वसूल की जानी लंबित थी। करारों को समाप्त करने और रियायतग्राही से साइटों का कब्जा वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, एजेंसियों को ₹ 8.09 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप नगर निगम, फरीदाबाद को उतनी ही राशि के राजस्व की हानि हुई।

इस मामले को अक्तूबर 2022 और अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

## 4.10 संपत्ति कर का कम निर्धारण/गैर-निर्धारण

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 87 प्रावधान करती है कि निगम, भवनों और भूमि पर स्वामी द्वारा देय संपत्ति कर उद्ग्रहित करेगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना (11 अक्तूबर 2013) में वर्ष 2010-11 से निर्धारित दरों पर संपत्ति कर उद्ग्रहित करने का प्रावधान किया गया था, जो भवन और भूमि के उपयोग के उद्देश्य, भूखंड के आकार, कवर्ड या कारपेट एरिया, और पट्टे पर दिए गए क्षेत्र आदि पर निर्भर करता था। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 89(1) (बी) में अग्निशमन कर उद्ग्रहित करने का प्रावधान है, जिसे जून 2012 की अधिसूचना के माध्यम से संपत्ति कर के 10 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया था।

अधिसूचना के क्लॉज 2 बी(बी) (ii) के अनुसार, वाणिज्यिक साईट (शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स या वाणिज्यिक कार्यालय साईट आदि) के अंतर्गत आने वाली ऐसी संपत्तियों पर, जिनका कारपेट क्षेत्र 1,000 वर्ग फुट से अधिक है, ए1 श्रेणी के शहरों के लिए ₹ 15 प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष तथा ए2 श्रेणी के शहरों के लिए ₹ 11.25 प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष की दर से संपत्ति कर देय होगा। यदि वाणिज्यिक साईट या उसका कोई हिस्सा किराए/पट्टे पर दिया गया है, तो पट्टे या किराए पर दिए गए क्षेत्र के लिए संपत्ति कर उपर्युक्त दरों का 1.25 गुना होगा। क्लॉज 2-एफ के अनुसार, स्टैंड-एलोन सिनेमा हॉल या मॉल/मल्टीप्लेक्स और बैंकों में स्थित सिनेमाघरों के कारपेट क्षेत्र पर संपत्ति कर पूर्ण वाणिज्यिक साईट पर लागू दर से उद्ग्रहित किया जाएगा। तीन सितारा श्रेणी तक के होटलों के लिए वाणिज्यिक साईट की दर का 75 प्रतिशत तथा तीन सितारा से अधिक श्रेणी के होटलों के लिए वाणिज्यिक स्थल की दर का 125 प्रतिशत संपत्ति कर उद्ग्रहण योग्य है। बेसमेंट को संपत्ति कर से कोई छूट प्राप्त नहीं है।

### (i) नगर निगम, फरीदाबाद

नगर निगम, फरीदाबाद के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (जुलाई 2021) कि मेसर्स गोदावरी शिल्पकला प्राइवेट लिमिटेड (जीएसपीएल) नामक एक फर्म ने अक्तूबर 2020 में नगर निगम, फरीदाबाद से वर्ष 2020-21 के लिए संपत्ति कर तथा फायर कर के निर्धारण के लिए अनुरोध किया था फर्म के अनुरोध पर मेसर्स गोदावरी शिल्पकला प्राइवेट लिमिटेड के कारपेट क्षेत्र के आधार पर कुल ₹ 126.42 लाख के संपत्ति कर और अग्निशमन कर का पुनर्निर्धारण किया गया था। परंतु कुल कारपेट क्षेत्र की गणना से बेसमेंट

के क्षेत्रफल को बाहर रखा गया था, जो कि सरकारी अधिसूचना का उल्लंघन था। इस प्रकार संपत्ति कर की गणना से बेसमेंट के क्षेत्रफल को बाहर रखना त्रुटिपूर्ण था।

लेखापरीक्षा ने बेसमेंट के क्षेत्रफल को शामिल करने के उपरांत गोदावरी शिल्पकला प्राइवेट लिमिटेड से वसूलनीय संपत्ति कर की गणना ₹ 191.60 लाख की थी। इस प्रकार वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 65.18 लाख के संपत्ति और फायर कर का कम निर्धारण हुआ था। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान गोदावरी शिल्पकला प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमा किया गया संपत्ति कर और फायर कर (₹ 197.98 लाख[17]) भी कम था, लेकिन पिछले वर्षों के इस कम कर की वसूली के लिए कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया था। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए संपत्ति कर और फायर कर का निर्धारण ₹ 376.82 लाख[18] की सीमा तक कम था। इस प्रकार, संपत्ति कर और फायर कर के कम निर्धारण के कारण, नगर निगम, फरीदाबाद को ₹ 442 लाख के राजस्व की हानि हुई।

**(ii) नगर निगम, पंचकुला**

नगर निगम, पंचकुला में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि नगर निगम, पंचकुला ने फेम शालीमार शॉपिंग मॉल, साइट नंबर 5, सेक्टर 5, पंचकुला के वर्ष 2010-11 से 2020-21 की अवधि के संपत्ति कर और फायर कर का निर्धारण, तीनों बेसमेंटो के क्षेत्रफल को शामिल किए बिना, स्वामी द्वारा घोषित कारपेट क्षेत्र के आधार पर किया गया था। मकान स्वामी ने अनुरोध किया (जून 2017) कि आंतरिक क्षेत्रफल की गणना स्वीकृत भवन योजना के अनुसार की जाए। आयुक्त, नगर निगम, पंचकुला ने एक आदेश पारित किया (मार्च 2021) कि ऐसे बेसमेंट जिनका उपयोग विशेष रूप से पार्किंग के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, चाहे वे दुकान में हों या वाणिज्यिक साईट में, उन्हें संपत्ति कर के निर्धारण से छूट दी जाएगी और संपत्ति कर की गणना केवल कारपेट क्षेत्र पर की जाएगी, जिसमें स्वामी द्वारा घोषित पार्किंग स्थान को शामिल नहीं किया जाएगा। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यह कार्रवाई 11 अक्तूबर 2013 की अधिसूचना के क्लॉज के उल्लंघन में की गई थी, जिसमें उल्लेख गया था कि बिंदु 2(ए)(ए) के अनुसार मकानों (आवासीय संपत्तियों) के बेसमेंट और बिंदु 2बी(ए) के अनुसार दुकानों के बेसमेंट को संपत्ति कर के उद्ग्रहण से छूट दी गई थी। वाणिज्यिक साईट के बेसमेंट पर संपत्ति कर उद्ग्रहण योग्य है, जैसा कि बिंदु 2(बी)(बी) में उल्लेख किया गया है। आगे, पाया गया कि नगर निगम, पंचकुला अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य समान वाणिज्यिक संपत्तियों के बेसमेंट पर संपत्ति और फायर कर उद्ग्रहित कर रहा है।

अनुमोदित योजना के अनुसार संपत्ति कर का निर्धारण न करने और अमान्य छूट देने के कारण, वर्ष 2010-11 से 2020-21 की अवधि के लिए ₹ 162.77 लाख के संपत्ति और फायर कर का कम निर्धारण हुआ।

---

17 ₹ 197.98 लाख = 2017-18: ₹ 61.44 लाख + 2018-19: ₹ 68.27 लाख + 2019-20: ₹ 68.27 लाख।

18 ₹ 376.82 लाख = ₹ 574.80 लाख {निर्धारित कर: ₹ 191.60 लाख x 3 वर्ष (2017-18 से 2019-20)} - ₹ 197.98 लाख (2017-18, 2018-19 और 2019-20 की अवधि के दौरान जमा किया गया कर)।

नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2021) कि यह निर्धारण आयुक्त, नगर निगम, पंचकुला द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कर का निर्धारण उस अवधि के लिए लागू अधिसूचना में निर्धारित दरों के अनुसार किया जाना था। इसके अतिरिक्त, आगे की जांच में ज्ञात हुआ कि संपत्ति के प्रकार के गलत वर्गीकरण, कारपेट क्षेत्र के बजाय भूखंड क्षेत्र पर संपत्ति कर की गणना करने और बेसमेंट के क्षेत्रफल को शामिल न करने के कारण वर्ष 2019-20 के लिए संपत्ति कर के निर्धारण में ₹ 24.69 लाख की कमी हुई।

नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2021) कि संपत्ति कर की गणना एक निजी एजेंसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। भविष्य में संपत्ति कर की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

**(iii) संपत्ति कर की गैर-वसूली**

नगर निगम, करनाल और नगरपालिका, राजौंद के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-20 की अवधि के लिए आवासीय और गैर-आवासीय भवनों तथा भूमि से ₹ 303.63 करोड़[19] के संपत्ति कर की वसूली लंबित थी। इस प्रकार, संबंधित नगर निगमों द्वारा संपत्ति कर की गैर-वसूली से उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यह मामला अक्तूबर 2022 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था, दिसंबर 2025 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। नगर निगम और नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की सुरक्षा के लिए इस मामले का समय पर समाधान अति आवश्यक बना हुआ है।

## 4.11 ई-सेवाओं और आई-क्लाउड सेवाओं पर निष्फल व्यय

नगर निगम, फरीदाबाद ने जुलाई 2018 में मेसर्स सिम्प्लेक्स ई-सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 3.20 लाख प्रति माह प्लस कर की दर से एक वर्ष की अवधि के लिए वेबसाइट 'mcfaridabad.org', सॉफ्टवेयर, सर्वर आदि के रखरखाव का कार्य आवंटित किया था। अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद, नगर निगम, फरीदाबाद ने (जुलाई 2019) फर्म को संपत्ति कर, जल एवं सीवर प्रभारों के मांग और संग्रह रजिस्टर, ऑनलाइन भुगतान गेटवे से संबंधित सभी अभिलेख और डेटा, सोर्स कोड के साथ सर्वर विवरण, वेबसाइट के डोमेन कंट्रोल क्रेडेंशियल, नागरिक सुविधा केंद्र पोर्टल, नागरिक डैशबोर्ड प्रणाली के कार्य आदि को सौंपने के लिए कहा था। फर्म ने नगर निगम, फरीदाबाद को डेटा सौंपने के बजाय अपने अनुबंध को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया (जुलाई 2019 में)। नगर निगम, फरीदाबाद ने केवल 06 दिसंबर 2019 को, 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि के लिए इस शर्त के साथ विस्तार स्वीकृत किया कि फर्म सारा डेटा नगर निगम, फरीदाबाद को सौंप देगी। हालांकि, फर्म ने आज तक (जुलाई 2023) नगर निगम, फरीदाबाद को डेटा उपलब्ध नहीं कराया था।

---

[19] नगर निगम, करनाल ₹ 303.10 करोड़ और नगरपालिका, राजौंद ₹ 0.53 करोड़।

आगे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य आदेश नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा उक्त फर्म को आवंटित कार्य के आधार पर जारी किया गया था, जिसमें न तो कार्य की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया गया और न ही निविदाएं आमंत्रित की गई। चूंकि फर्म ने नगर निगम, फरीदाबाद के साथ डेटा साझा नहीं किया, इसलिए विभिन्न सेवाओं के लिए पोर्टल का रखरखाव निरर्थक हो गया, और जुलाई 2018 से मई 2019 के दौरान फर्म को किया गया ₹ 41.51 लाख[20] का पूरा भुगतान निष्फल हो गया। इसके अलावा, निवासियों का महत्वपूर्ण डेटा एक निजी एजेंसी के पास ही रह गया, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

फर्म ने जून 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए ₹ 26.42 लाख का दावा भी किया था, जो अब तक विचाराधीन था (दिसंबर 2021)। अनुबंध की समाप्ति के दो वर्ष उपरांत भी, नगर निगम, फरीदाबाद ने ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इसके अतिरिक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने वेबसाइट के लिए आई-क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) फरीदाबाद की सेवाएं प्राप्त की (मार्च 2018)। भारत संचार निगम लिमिटेड को ₹ 3.90 लाख के एकमुश्त प्रभार और ₹ 0.91 लाख प्रति माह के प्रभार प्लस जीएसटी देय था। हालांकि मेसर्स सिम्प्लेक्स ई-सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध दिसंबर 2019 में समाप्त हो गया था और निगम लिमिटेड फरीदाबाद ने अक्तूबर 2020 में शहरी स्थानीय निकाय पोर्टल के माध्यम से ई-सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया था, फिर भी भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ क्लाउड सेवाओं को बंद करने का निर्णय जून 2021 तक नहीं लिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई-क्लाउड सेवाओं के लिए जनवरी 2020 से जून 2021 के दौरान किया गया ₹ 19.33 लाख[21] का व्यय निष्फल रहा।

इस प्रकार, ₹ 60.84 लाख (ई-सेवाओं पर ₹ 41.51 लाख और आई-क्लाउड सेवाओं पर ₹ 19.33 लाख) का कुल भुगतान निष्फल हो गया।

यह मामला अक्तूबर 2022 और अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

## 4.12 इलेक्ट्रिक कार्ट (ई-कार्ट) की खरीद और रखरखाव में अनियमितताएं

नगर निगम, पंचकुला ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर से कचरा संग्रह के लिए 80 इलेक्ट्रिक कार्ट खरीदने का निर्णय (अक्तूबर 2017) लिया था। नगर निगम, पंचकुला ने 80 ई-कार्ट की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी (नवंबर 2017), और पांच बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया गया था। एल-1[22] द्वारा प्रस्तावित दरें प्रति ई-कार्ट ₹ 1.28 लाख जीएसटी सहित थी। हालांकि, दिसंबर 2017 में एल-2[23] को ₹ 1.69 लाख प्रति ई-कार्ट जीएसटी सहित की दर से 29 ई-कार्ट के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया था।

---

20 ₹ 41.52 लाख = ₹ 3.20 लाख + 11 महीने के लिए 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर।

21 ₹ 19.33 लाख = ₹ 0.91 लाख + 18 महीने के लिए 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर।

22 एल-1 - मेसर्स वैरीयस इनोवेटिव सिस्टम हाइब्रिड नैनो यूटिलिटीज।

23 मेसर्स एसकेएस ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

29 ई-कार्ट की खरीद पर ₹ 49.18 लाख का भुगतान (फरवरी 2018 में) किया गया था। ई-कार्ट की खरीद और रखरखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:

***(i) गैर-कार्यात्मक ई-कार्ट:*** बैटरी और अन्य पुर्जों को बदले जाने की कमी के कारण अक्तूबर 2019 में आठ ई-कार्ट खराब हो गए थे। इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति ने (मार्च 2021) पाया कि 29 में से 26 ई-कार्ट वारंटी अवधि के दौरान (अर्थात 08 फरवरी 2020 से पहले) बैटरी खराब होने और अन्य दोषों के कारण गैर-कार्यात्मक हो गए थे और तब से व्यर्थ पड़े हुए थे। इस प्रकार, इन ई-कार्ट की खरीद पर ₹ 49.18 लाख का व्यय करने के बावजूद परियोजना का उद्देश्य अप्राप्त रहा। आगे, वारंटी अवधि के दौरान कमियों से संबंधित करार क्लॉज के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज (नवंबर 2017) की शर्त संख्या 2(ई) और आपूर्ति आदेश (दिसंबर 2017) की शर्त संख्या 3 के अनुसार, बैटरी की कार्यात्मक स्थिति सहित सभी मामलों में ई-कार्ट का रखरखाव दो वर्षों के लिए सफल बोलीदाता का उतरदायित्व था और नगर निगम, पंचकुला द्वारा इस पर कोई अतिरिक्त लागत वहन नहीं की जानी थी। इसके बावजूद, नगर निगम, पंचकुला ने रखरखाव का अनुबंध एक अन्य फर्म को आवंटित कर दिया (जून 2019) और ई-कार्ट के रखरखाव के लिए ₹ 5.86 लाख का अतिरिक्त व्यय किया। यह पाया गया कि करार के क्लॉज 5 के अनुसार, ₹ दो लाख की बयाना राशि और पांच प्रतिशत की प्रतिभूति राशि ई-कार्ट की आपूर्ति के छः महीने बाद वापस की जानी थी। बिलों द्वारा रोकी गई ₹ 2.19 लाख की प्रतिभूति राशि और ₹ दो लाख की बयाना राशि फरवरी और अगस्त 2019 में एजेंसी को वापस कर दी गई थी।

नगर निगम, पंचकुला ने आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता द्वारा ई-कार्ट का रखरखाव सुनिश्चित किए बिना ही यह राशि वापस कर दी थी। नगर निगम, पंचकुला ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि ई-कार्ट की मरम्मत का कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया था।

यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसमें करार के क्लॉज का अनुपालन न करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

***(ii) एल-2 से खरीद करने के कारण अतिरिक्त व्यय:*** नगर निगम, पंचकुला के मानक बोली दस्तावेज के पैरा 31.2 में यह प्रावधान है कि न्यूनतम उत्तरदायी निविदा (एल-1) की बोली को तब तक स्वीकार किया जाएगा जब तक कि कोई वैध आपत्ति न हो, जैसा कि औपचारिक कार्यों के निष्पादन में उसकी विफलता का रिकॉर्ड या उसकी दरें असामान्य रूप से कम होना। एल-1 की अनदेखी करने का कोई वैध कारण बताए बिना, एल-1 के बजाय एल-2 से 29 ई-कार्ट खरीदने के कारण ₹ 12.07 लाख[24] का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

नगर निगम, पंचकुला ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि एल-1 बोलीदाता ने 22 दिसंबर 2017 के एक पत्र में अपेक्षित संख्या में ई-कार्ट की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

24 ₹ 12,06,980 = ₹ 41,620 {एल-2 की दर (₹ 1,69,120) और एल-1 की दर (₹ 1,27,500) के बीच का अंतर} x 29 ई-कार्ट।

इसलिए, सक्षम प्राधिकारी ने एल-2 को आपूर्ति आदेश देने का निर्णय लिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यदि एल-1 पीछे हट गया था, तो एल-2 को अपनी दरों को एल-1 के स्तर तक कम करने के लिए बुलाया जाना चाहिए था। यदि एल-2 अपनी दरों को एल-1 के स्तर तक कम करने के लिए सहमत नहीं होता, तो निविदाएं पुन: आमंत्रित की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, बयाना राशि को जब्त करने के रूप में एल-1 के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

यह मामला अक्तूबर 2022 और फिर अक्तूबर 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था। दिसंबर 2025 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

### 4.13 पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी से पट्टा प्रभारों की कम वसूली - ₹ 43.62 लाख

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) ने हरियाणा राज्य में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए गैस कंपनियों को राइट ऑफ वे की अनुमति देने के लिए नीति/दिशानिर्देश जारी (जून 2010) किए थे। इस नीति के अनुसार, पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी को संबंधित क्षेत्र के भूमि धारक विभाग/बोर्ड/निगम से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र/क्लीयरेंस अनुमति प्राप्त करनी होगी और वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 1.50 लाख प्रति कि.मी. या उसके हिस्से की आधार दर पर पट्टा प्रभारों का भुगतान करना होगा। गैस कंपनी को राइट-ऑफ-वे की अनुमति देने के नियमों और शर्तों के संबंध में करार का निष्पादन करना था।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, रेवाड़ी ने मेसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली को उनके अनुरोध के बाद विभिन्न क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी थी। हालांकि, वार्षिक वृद्धि लागू न होने के कारण पट्टा प्रभार ₹ 43.63 लाख कम रहे। नगर परिषद ने अनुमति के नियमों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए कोई करार भी निष्पादित नहीं किया।

नगर परिषद, रेवाड़ी ने बताया (मार्च 2023) कि एजेंसी को संशोधित बिल जारी कर दिए गए थे। हालांकि, परिषद अनुमति देने से पहले नीति के अनुसार बिल जारी करने और पट्टा प्रभार वसूलने में विफल रही। पट्टा प्रभारों की वसूली अभी भी लंबित है, परिषद को अभी भी आवश्यकतानुसार बिलिंग और वसूली का कार्य पूर्ण करना है।

इस मामले को मई 2024 और फिर अक्तूबर 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था। दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

### 4.14 ₹ 89.70 लाख की बैंक गारंटी जब्त न करने के कारण परिहार्य हानि

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 267 के तहत गोपी वाला कुआं रोड, सेक्टर 36, करनाल में स्थित राजस्व संपदा की 28 बीघा 10 बिस्वा भूमि के लिए नगर नियोजन योजना की स्वीकृति हेतु आशय-पत्र

(एलओआई) जारी (अगस्त 2014) किया था। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कुछ नियमों और शर्तों को पूरा करने की शर्त पर इस भूमि पर नगर नियोजन योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति (मार्च 2015) प्रदान की थी।

स्वीकृति आदेश के अनुसार, बाह्य विकास प्रभारों[25] को आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाना अनिवार्य था–या तो एकमुश्त राशि के रूप में, अथवा 30 दिनों के भीतर 10 प्रतिशत और शेष 90 प्रतिशत राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ छः समान छमाही किस्तों में। इसके अतिरिक्त, डेवलपर[26] लिए कुल बाह्य विकास प्रभारों के 25 प्रतिशत मूल्य के बराबर की बैंक गारंटी जमा करना भी अनिवार्य था। इस योजना को तीन वर्षों की अवधि के भीतर क्रियान्वित किया जाना था। तदनुसार, स्वीकृति आदेश (अगस्त 2014) के अनुसार, डेवलपर को बाह्य विकास प्रभारों के रूप में ₹ 358.68 लाख जमा करने थे और ₹ 89.70 लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी थी।

डेवलपर ने अप्रैल 2015 में हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड (एचयूआईडीबी) को बाह्य विकास प्रभारों के 10 प्रतिशत हिस्से, अर्थात ₹ 35.87 लाख का भुगतान किया था तथा शेष राशि का भुगतान मार्च 2018 तक किया जाना अनिवार्य था। इस उद्देश्य के लिए, डेवलपर ने नगर निगम के साथ एक करार (जुलाई 2015) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत शेष 90 प्रतिशत राशि का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज के साथ छः समान छमाही किस्तों में किया जाना था तथा अन्य शर्तों को स्वीकार किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि: (1) नगर नियोजन (टीपी) योजना के डेवलपर ने शेष बाह्य विकास प्रभारों के भुगतान की किसी भी किस्त को जमा नहीं किया और न ही अनुमोदित योजनाओं के अनुसार विकास कार्यों को निष्पादित किया। (2) इस योजना को तीन वर्ष की अवधि के भीतर (03.03.2018 तक) पूर्ण किया जाना अनिवार्य था, तथापि साईट पर कोई भी विकास या निर्माण कार्य नहीं हुआ। (3) नगर निगम, करनाल द्वारा अक्तूबर 2015 में भुगतान के लिए अनुरोध किया गया था तथा मार्च 2017 और जून 2018 में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। (4) नवंबर 2017 में, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय (डीयूएलबी) ने नगर निगम, करनाल के आयुक्त को भुगतान न करने के कारण डेवलपर के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया था। (5) अप्रैल 2018 में, आयुक्त ने स्पष्ट किया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 267(7) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के पक्ष में आवेदक की बैंक गारंटी को जब्त करना, कारण बताओ नोटिस जारी करने अथवा देय राशियों की वसूली करने के लिए प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय (पीएसयूएलबी)/सरकार ही सक्षम प्राधिकारी हैं।

---

25 सड़क निर्माण, जल निकासी, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए डेवलपर/कॉलोनाइजर द्वारा सरकार/नागरिक प्राधिकरणों को देय राशि।

26 वह व्यक्ति अथवा संस्था जो अन्य व्यक्तियों को विक्रय के उद्देश्य से भूमि को एक परियोजना के रूप में विकसित करता है, चाहे उस पर संरचनाओं का निर्माण किया गया हो या नहीं।

डेवलपर ने निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा के पक्ष में ₹ 89.70 लाख[27] की बैंक गारंटी जमा की थी, जिसकी वैधता अक्तूबर 2017 में समाप्त हो गई।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इतनी लंबी अवधि तक बाह्य विकास प्रभार का भुगतान न किए जाने के बावजूद, न तो दी गई अनुमति को निरस्त किया गया और न ही ₹ 89.70 लाख की बैंक गारंटी को जब्त किया गया, जिसकी वैधता अक्तूबर 2017 में समाप्त हो चुकी थी। यदि बैंक गारंटी की वैधता समाप्त होने से पूर्व उसे जब्त कर लिया गया होता, तो ₹ 89.70 लाख की सीमा तक बाह्य विकास प्रभार की वसूली की जा सकती थी। इस प्रकार, समय पर उचित कार्रवाई न करने और बैंक गारंटी को जब्त न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 89.70 लाख की परिहार्य हानि हुई।

इस मामले को मई 2024 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था। उनका उत्तर दिसंबर 2024 तक प्रतीक्षित था।

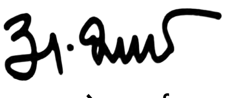

**चंडीगढ़** **(आशुतोष शर्मा)**

**दिनांक: 24 अगस्त 2026** **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

---

27 बाह्य विकास प्रभार की राशि के 25 प्रतिशत के समतुल्य।

# परिशिष्ट

**परिशिष्ट 1.1**

**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3.1; पृष्ठ 3)**

**अगस्त 2023 तक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति**

| क्र.सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | तैनाती | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1. | निदेशक, विकास एवं पंचायत | 1 | 1 | 0 |
| 2. | संयुक्त निदेशक पंचायत (प्रशासन) | 1 | 1 | 0 |
| 3. | संयुक्त निदेशक पंचायत (पीआर) | 2 | 2 | 0 |
| 4. | उप-निदेशक पंचायत | 4 | 2 | 2 |
| 5. | जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी | 22 | उपलब्ध नहीं* | उपलब्ध नहीं* |
| 6. | प्राचार्य | 2 | 2 | 0 |
| 7. | मुख्य अभियंता | 1 | 1 | 0 |
| 8. | अधीक्षक अभियंता | 9 | 8 | 1 |
| 9. | कार्यकारी अभियंता | 26 | 26 | 0 |
| 10. | उप-मंडल अभियंता | 148 | 88 | 60 |
| 11. | सहायक निदेशक | 2 | 1 | 1 |
| 12. | विधि अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 13. | अधीक्षक | 8 | 8 | 0 |
| 14. | लेखा अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 15. | अनुभाग अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 16. | अधीक्षक | 8 | 8 | 0 |
| 17. | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी | 143 | 90 | 53 |
| 18. | लेक्चरर | 10 | 5 | 5 |
| 19. | उप-अधीक्षक | 57 | 39 | 18 |
| 20. | सहायक (मुख्यालय) | 50 | 14 | 36 |
| 21. | सहायक | 376 | 168 | 208 |
| 22. | लेखाकार | 203 | 114 | 89 |
| 23. | निजी सहायक | 2 | 1 | 1 |
| 24. | सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर | 3 | 0 | 3 |
| 25. | जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर | 6 | 6 | 0 |
| 26. | महा ग्राम सचिव | 125 | 0 | 125 |
| 27. | अकाउंट क्लर्क (फील्ड) | 217 | 100 | 117 |
| 28. | सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी (एसईपीओ) | 143 | 97 | 46 |
| 29. | स्टेनो टाइपिस्ट (मुख्यालय) | 9 | 7 | 2 |
| 30. | स्टेनो टाइपिस्ट फील्ड | 211 | 86 | 125 |
| 31. | लिपिक (मुख्यालय) | 33 | 25 | 8 |
| 32. | लिपिक (फील्ड) | 409 | 306 | 103 |
| 33. | ड्राईवर | 197 | 85 | 112 |
| 34. | लाइब्रेरियन (मुख्यालय) | 2 | 1 | 1 |
| 35. | लाइब्रेरी सहायक | 1 | 0 | 1 |
| 36. | कनिष्ठ अभियंता | 833 | 396 | 437 |
| 37. | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | 24 | 7 | 17 |
| 38. | ग्राम सचिव | 4,487 | 1,380 | 3,107 |

| क्र.सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | तैनाती | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 39. | पटवारी | 130 | 96 | 34 |
| 40. | सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन | 1 | 1 | 0 |
| 41. | हेड ड्राफ्ट्समैन | 2 | 2 | 0 |
| 42. | ड्राफ्ट्समैन | 5 | 0 | 5 |
| 43. | फेरोप्रिंटर | 1 | 1 | 0 |
| 44. | दफ्तरी | 1 | 1 | 0 |
| 45. | जमादार | 1 | 0 | 1 |
| 46. | सेवादार | 528 | 347 | 181 |
| 47. | स्वीपर-सह-चौकीदार | 4 | 1 | 3 |
| 48. | माली-सह-चौकीदार | 160 | 86 | 74 |
| 49. | माली | 3 | 1 | 2 |
| 50. | कुक | 4 | 1 | 3 |
| 51. | चौकीदार | 3 | 1 | 2 |
| **कुल** | | **8,621** | **3,613** | **4,986** |

* विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

## परिशिष्ट 1.2

### (संदर्भ: अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 7)

### 2019-20 के दौरान नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सूची

| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी) | ग्राम पंचायत का नाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 1 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, इस्माइलाबाद कुरूक्षेत्र | (1) बसंतपुरा, (2) जलभरा, (3) बचकी, (4) दल्लामाजरा, (5) थोल, (6) गोघपुर (7) इस्माइलाबाद, (8) नैसी | 8 |
| 2 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बादली, झज्जर | (1) बुपनिया, (2) लक्सर, (3) मुनीमपुर, (4) एम.पी. माजरा, (5) पेल्पा और (6) देसलपुर | 6 |
| 3 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, झज्जर | (1) बधानी, (2) खाजपुर, (3) छाबली, (4) सलोधा, (5) बिरधाना, (6) कुटानी, (7) बक्तावर रायन, (8) मछरौली, (9) कबलाना(10) शेखपुर जाट, (11) सिलाना, (12) बिरधाना | 12 |
| 4 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, थानेसर, कुरूक्षेत्र | (1) इसकपुर, (2) बिसनगढ़, (3) लोहारमाजरा, (4) हथीरा, (5) पिपलीमाजरा, (6) बछगांववाला, (7) डोडाखेड़ी, (8) संतोखपुर, (9) खेड़ी-रहीनगर और (10) खेमपुर रोडां, (11) झिंझेरपुर, (12) भादुरपुर | 12 |
| 5 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, मातनहेल | (1) खानपुर खुर्द, (2) मुबारिकपुर, (3) खरोडा, (4) झामरी, (5) जनश्वा, (6) बम्बालुइया, (7) कालियावास और (8) खापरवास | 8 |
| 6 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, गुरूग्राम | (1) पलदा, (2) स्कंदरपुर बड़ा, (3) बाडा, (4) चंदू, (5) दौलताबाद, (6) धर्मपुर, (7) बाबूपुर, (8) बमरोली | 8 |
| 7 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पटौदी | (1) खलीलपुर, (2) नूरपुर, (3) साहपुर जाट, (4) मझपुरा, (5) भोकरका, (6) नरहेड़ा, (7) फजलवास, (8) चंदेलडूंगरवास (9) हुसैनका, (10) भूरका, (11) लगड़ा | 11 |
| 8 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हथीन | (1) मलाई, (2) मंडकोला, (3) टोंका, (4) एफ.पी. राजपूत, (5) चैनसा, (6) गोहपुर, (7) हचपुरीकलां, (8) रूपनगर नटोली, (9) रींडका, (10) ढाकलपुर (11) कोटमिठाका, (12) घरोट (13) लखनाका (14) बजदापहाड़ी | 14 |
| 9 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पेहोवा | (1) थाना, (2) भोड़ा, (3) गढ़िलागरी, (4) नैचा, (5) बथेरी, (6) टिकरी, (7) गढ़ीसिंहा, (8) दीवाना, (9) संघोला, (10) सयांखुर्द, (11) हलेवा, (12) बीबीपुर, (13) कलसा | 13 |
| 10 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बेरी, झज्जर | (1) बागपुर, (2) छोछी, (3) मजारा (डी), (4) डीघल, (5) धराणा, (6) दुबलधन के, (7) बागलपुर | 7 |
| 11 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, लाडवा | (1) बरई, (2) गोबिंदगढ़, (3) खरकाली, (4) डूडी, (5) बिरारथोली, (6) हलालपुर, (7) बुदरमी, (8) बाटी, (9) जोगीमाजरा, (10) खेड़ीदरदलाल | 10 |
| 12 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, साल्हावास | (1) ददनपुर, (2) कंवाह, (3) जटवाड़ा, (4) साल्हावास, (5) मुबारकपुर, (6) कुंजिया, (7) निवेदा | 7 |
| 13 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, शाहबाद | (1) तंगोर, (2) सुरखपुर, (3) शाहजादपुर पट्टी, (4) रतन गढ़, (5) फतेहगढ़ झरौली, (6) अहमदपुर, (7) नारायणगढ़, (8) जंधारी, (9) छोरपुर, (10) गोलेपुरा, (11) अटवान, (12) खेंडवा, (13) रवा, (14) कल्याणा, (15) डीग | 15 |
| 14 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बहादुरगढ़ | (1) बलौर, (2) नून माजरा, (3) देहकोरा, (4) छुडानी, (5) सिदीपुर, (6) लोहरहेड़ी, (7) मतन, (8) नेलोठी | 8 |
| 15 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बाबैन | (1) बीड़मंगोली, (2) जलखेड़ी, (3) खिड़कीविरां, (4) मंगोली रंगरां, (5) फलसंदा रंगरां, (6) तत्का, (7) बीड़कलवा, (8) बर्थली, (9) रामपुरा | 9 |
| 16 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पिपली | (1) अन्थेरी, (2) बाजिदपुर, (3) शादीपुर शहीदां, (4) बीड़मथाना, (5) किशनगढ़, (6) खेड़ी, (7) मसाना, (8) सांवला, (9) बीड़पिपली, (10) उमरी | 10 |
| 17 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फारूखनगर | (1) ताज नगर, (2) अलीमुद्दीनपुर, (3) जोनियावास, (4) बुढेड़ा, (5) जटोला, (6) तिरपड़ी, (7) शेखूपुरजरी, (8) कालियावास, (9) घसघर, (10) जुडोला | 10 |

| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी) | ग्राम पंचायत का नाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 18 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोहना | (1) घंगोला, (2) हरियाहेड़ा, (3) उल्लावास, (4) बिलहाका, (5) सरमथला, (6) चुहड़पुर, (7) खुंटपुरी, (8) सिलानी, (9) हाजीपुर, (10) टीकली, (11) राहका | 11 |
| 19 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, भिवानी | (1) जाटई, (2) बधेसड़ा, (3) नंदगांव, (4) धनाना, (5) मुंढालखुर्द, (6) घुस्कनी, (7) खड़कखुर्द, (8) नवा, (9) गोलपुरा, (10) ढाणी चंग, (11) खड़ककलां, (12) नाथूवास, (13) किटलाना, (14) गोरीपुर, (15) राजपुर खड़कड़ी, (16) धीराना माजरा देवसर | 16 |
| 20 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पानीपत | (1) ददलाना, (2) बिंझोल, (3) बबैल, (4) कचरोली, (5) बाबरपुर, (6) गढ़सरनई | 6 |
| 21 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बपोली | (1) खोजकीपुर, (2) संजोली, (3) शिमला गुजरां, (4) उझा, (5) बहरामपुर | 5 |
| 22 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, इसराना | (1) कुराना, (2) नौल्था, (3) शाहपुर, (4) चमराड़ा, (5) बुआनालाखू, (6) कैथ | 6 |
| 23 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बडोली, पलवल | (1) पहलादपुर, (2) अकबरपुर डकोरा, (3) नंदावाला, (4) बागपुर खुर्द, (5) जैवाबाद खेड़ली, (6) लालगढ़, (7) चंधाट | 7 |
| 24 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर | (1) बेला, (2) खंबी, (3) बाटा, (4) शेरुका नंगला, (5) करीमपुर, (6) नईनंगला, (7) बिलोचपुर | 7 |
| 25 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पलवल | (1) अदुपुर, (2) परौली, (3) आलिका, (4) ककराली, (5) जैंदापुर, (6) असवाता, (7) जोधपुर, (8) पेलक | 8 |
| 26 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, होडल | (1) पलरी भूपगढ़, (2) भिदुकी, (3) सोंध, (4) औरंगाबाद, (5) नंगलब्राह्मण, (6) गुधराणा, (7) सोलका | 7 |
| | | **कुल** | **241** |

## 2020-21 के दौरान नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सूची

| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी) | ग्राम पंचायत का नाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 1 | बीडीपीओ, राजौंद | (1) खेड़ी शिंबवाली, (2) किच्छाना, (3) माजरा नंदकारा, (4) सेरधा और (5) माजरा रोहेड़ा | 5 |
| 2 | बीडीपीओ, साहा | (1) कालपी, (2) धुराला, (3) खानपुर, (4) थारवा, (5) नर्ड (6) तेपला (7) साहा (8) हल्दरी (9) तमनोली (10) केसरी (11) दिनारपुर और (12) महमूदपुर | 12 |
| 3 | बीडीपीओ, बराड़ा | (1) रुकरी, (2) कंबास, (3) हेमा माजरा, (4) सुलखनी, (5) दादूपुर, (6) उगाला, (7) खानपुरा, (8) शेरपुर, (9) डुलियाना (10) अलीपुर, (11) डुलियानी, (12) अकालगढ़ और (13) होली | 13 |
| 4 | बीडीपीओ, अंबाला, अंबाला-II | (1) बरनाला, (2) रोलन, (3) सपेरा, (4) खतौली और (5) टुंडली | 5 |
| 5 | बीडीपीओ, अंबाला-1 | (1) ललाना, (2) बेघो माजरा, (3) धनौरा, (4) कलावर, (5) मथारी जट्टान, (6) मुजाफरा, (7) मोहरा (8) जलापुर (9) कोट काछवा कलां (10) बेडसन (11) अमी पुर (12) धुरारला (13) मोहरी (14) नग्गल (15) मर्दो साहिब (16) सकराहों (17) ननेओला (18) जगोली (19) पंजोला और (20) बाला पुर | 20 |
| 6 | बीडीपीओ, कैथल | (1) पट्टी डोगर, (2) सिर्ट, (3) जियोंग, (4) फ्रांस्वाला, (5) काकौत, (6) सेघा, (7) मालखेरी (8) शेरगढ़ (9) मुंदरी (10) सिसला (11) कठवार और (12) बाबा लदाना | 12 |
| 7 | बीडीपीओ, शहजादपुर | (1) नेकनौन, (2) शाहजहाँपुर, (3) भेरों, (4) नसरौली, (5) माजरा, (6) बिलासपुर, (7) पटवी (8) जंघू माजरा (9) ग़ाज़ीपुर (10) नग्गला जाटान (11) जाटवर (12) भूर माजरी (13) भारपुरा और (14) खेड़ा गन्नी | 14 |
| 8 | बीडीपीओ, नारायणगढ़ | (1) बधौली, (2) काला अंब, (3) कल्याणा, (4) बरखेड़ी, (5) पंचायत मिल्क, (6) भरेती खेरड़, (7) गनौली, (8) खाना पुर राजपुतान, (9) ब्राह्मण माजरा, (10) हुसैनी (11) बल्लूपुर, (12) खेड़की जाटान (13) उज्जल माजरी (14) अंधेरी (15) कंजाफा (16) फतेहपुर 80 और (17) फतेहपुर 126 | 17 |
| 9 | बीडीपीओ, पुंडरी | (1) खीरी, (2) सिकंदर, (3) रसीना, (4) दुसाईं, और (5) फ़तेहपुर | 5 |
| 10 | बीडीपीओ, गुल्हाचीका | (1) शादीपुर, (2) पपराला, (3) डेराबाजीगर, (4) रामनगर, (5) बाऊपुर, (6) चांचक, (7) मंझेरी, (8) खरकारा, (9) पीडल, (10) खीरी दावान (11) भाटिया, (12) रत्ता खेड़ा लकमान और (13) बुधन पुर गुजरान | 13 |
| 11 | बीडीपीओ, सिवान | (1) पिशोल, (2) लाडनचाकू, (3) ककरालानायत, (4) उमेदपुर, (5) रामदासपुरा, (6) ककराला कुचियान, (7) फिरोजपुर, (8) खरका, और (9) थेहटरावाली | 9 |
| 12 | बीडीपीओ, कलायत | (1) खुरार, (2) बड़सीकरी खुर्द, (3) भलांग, (4) बड़सीकराई कलां, (5) सिनानद और (6) कमलापुर | 6 |
| | | **कुल** | **131** |

## 2021-22 के दौरान नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सूची

| क्र. सं. | 2021-22 में लेखापरीक्षित इकाइयों के नाम | ग्राम पंचायत का नाम | जीपी |
|---|---|---|---|
| 1 | बीडीपीओ उचाना जींद | दोहाना खेड़ा, मंगलपुर, करसिंधु, गुरुकुल खेड़ा, भोंसला खेड़ी मसानिया, लोधर, काकरोद, खरकाभूरा | 8 |
| 2 | बीडीपीओ नरवाना जींद | बदोवाल, भिखेवाल, फ्रान कलां, फुलिया खुर्द, गुरुसर, करमगढ़, लोछब | 7 |
| 3 | बीडीपीओ, गुरुग्राम | भांगकी, खेड़की, मकडोला, सरदाना, चंदू, अकलीमपुर, हसनपुर, बास, सकतपुर, टिकली | 10 |
| 4 | बीडीपीओ, कथूरा | कथूरा, धनाना, आहुलाना, मदीना, भवरकलीरामन, गढ़वाल, निज़ामपुर, छिछराना, भैसवाल खुर्द, भनवासा | 10 |
| 5 | बीडीपीओ, गन्नौर | गुमर, शेखपुरा, पुरखास दिरेन, पांची जाटान, भोगीपुर, खीरी गुज्जर, दतौली, बेगा, बेरी, अगवानपुर | 10 |
| 6 | बीडीपीओ, राई, सोनीपत | जखोली, बढ़मलिक, नांगल कलां, अकबरपुर बरोटा, अटेराना, हलालपुर, नाहरी पाना शिखान, नाहरा, बहालगढ़, जाटी कलां | 10 |
| 7 | बीडीपीओ, पटौदी, गुरुग्राम | भोरा कलां, सिधरावली, नरहैरा, पलेरी, खोर, नानूकलां, बारू पदमका, उचामाजरा, राठीवास, रानीपुरा | 10 |
| 8 | बीडीपीओ, जाटूसाना | पहराजवास, नागलिया रणमोठ, लाला, आसिकी गोरावास, राजावास, तेहना दीपालपुर, गढ़ला, जीवरा, चंदनवास, मुसेपुर | 10 |
| 9 | बीडीपीओ, नाहर | अहमदपुर प्रथम, अहमदपुर नथेरा, भ्रंगी, करोली, खुर्शीद नगर, जुड्डी, जाहिदपुर टप्पा, कोसली, बिसोया, झरोदा | 10 |
| 10 | बीडीपीओ, रेवाड़ी | बालावास, अहीर, बूदपुर, बुदनी, देवलावास, गनेचा जाट, जेतरावास, कुंभास (गोकुलपुर), कोनिवास, नयागांव, नारायणपुर, राजपुरा खालसा, शेखपुरा, सीकरपुर, | 13 |
| 11 | बीडीपीओ, जुलाना, जींद | बुआना, शामलीकलां, किनाना, किलाजफरगढ़, बुढ़ाखेड़ा, लजवाना, खुर्द, फतेबगढ़, करसोला, मालबी, धगाना | 11 |
| 12 | बीडीपीओ, जींद | बरसोला, बीबीपुर, बिरोली, ब्राह कलां, दालमवाला, घिमाना, इगराह, कंडेला, खरकरामजी, निडाना, निडानी, राजपुरा, रामराय, रूपगढ़, सिवाह | 15 |
| 13 | बीडीपीओ, धारूहेड़ा | पदीवास, बोलनी, ढाकिया, जोनियावास, काठूवास, घाटलमहनियावास, पंचगांव, कासोली, साल्हावास, खेड़ी मोतला | 10 |
| 14 | बीडीपीओ, तावडू | सराय, दादू, गोगजका, सेवका, भजलाका, साल्हाका, पधनी, बिसरकबरपुर, गोयला, कलारपुरी, रंगला, जौरासी, मदरका | 13 |
| 15 | बीडीपीओ, डबवाली | तेजा खेड़ा, राजपुरा, आशा खेड़ा, राजपुरा माजरा, खुईया मलकाना, डबवाली, देशजोड़ा, मुन्नावाली, पानीवाली मोरिका, बनवाला, लांबी, मठड्डू, फूलो, नीलांवाली, भारूखेड़ा | 15 |
| 16 | बीडीपीओ, बड़ागुड्डा | झोरड़ रोही, क्रंगावाली, मल्लेवाला, सुरतिया, कमल, बीरूवालागुढ़ा, भूढ़ाभाना, लहंगेवाला, नेजाडेला खुर्द, बुर्ज भंगू, किरारकोट, फतेहपुर नियामतखान, झिरी, मट्टर, फग्गू, ढाबन | 16 |
| 17 | बीडीपीओ, नूंह | सादाई, मालब, अलावलपुर, फिरोजपुर नानामक, हुसैनपुर, अकेरा, कोटला, उजिना, मेवाली, रायपुरी, खेराला | 11 |
| 18 | बीडीपीओ, चोपता, सिरसा | कुकरथाना, शाहपुर, साहूवालाईद, दरबाकलां/मानकदीवान, डिंग, अरनियावाली, बारासारी, कागदाना, शक्कर मंदोरी, राजपुरा सहानी, नेहराणा, जोरियान | 12 |
| 19 | बीडीपीओ, बावल | जलालपुर, चिरहारा, खातीवास, खीरी डालू सिंह, नांगल शाहबाज पुर, रघुनाथपुरा, रांसी माजरी, सुबासरी, पावटी, खरखरी, सुलखा, नांगल तेजू, डयोधई, जय सिंह पुर खेड़ा, चिरहारा | 15 |
| 20 | बीडीपीओ, सिरसा | शाह सतनामपुरा, ढाणी चन्नू शहीद, दरबी, पनिहारी, सुचान, झोपड़ा, नरेला खेड़ा, थेरी बाबा सावन सिंह, हांडी खेड़ा/कासन खेड़ा, पतली डाबर/अड्डा डिंग, अलीपुर टीटू खेड़ा, अहमदपुर, शैदांवाली, सिकंदरपुर | 14 |
| | **कुल** | | **230** |

## परिशिष्ट 2.1

**(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1 (क); पृष्ठ 9)**

**महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना की स्थिति**

| क्र. सं. | डीडीपीओ का नाम | तक | आज की तिथि तक पात्र परिवार | जिन परिवारों को प्लॉट आवंटित किए गए | जिन परिवारों को प्लॉट आवंटित नहीं किए गए (3-4) | जिन परिवारों को कब्जा सौंप दिया गया | आवंटित प्लॉट पर बने घरों की संख्या | कब्जे के विरूद्ध बने घरों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | डीडीपीओ, अंबाला | अगस्त 2020 | 32,019 | 18,742 | 13,277 | 17,885 | 226 | 1.26 |
| 2 | डीडीपीओ, कैथल | नवंबर 2020 | 18,698 | 17,957 | 741 | 15,730 | 618 | 3.93 |
| | **कुल** | | **50,717** | **36,699** | **14,018** | **33,615** | **844** | **2.51** |

## परिशिष्ट 2.2

## (संदर्भ: अनुच्छेद 2.2 पृष्ठ 11)

## अंबाला जिले में खेती योग्य शामलात भूमि को पट्टे पर न दिए जाने से संबंधित विवरण

| ब्लॉक का नाम | वर्ष | कुल शामलात भूमि | खेती योग्य शामलात भूमि | पट्टे पर दी गई भूमि | पट्टे पर न दी गई भूमि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (भूमि एकड़ में) | | | |
| अंबाला-I | 2016-17 | 6,367.13 | 1,744.34 | 1,691.22 | 53.12 |
| | 2017-18 | 6,367.13 | 1,744.34 | 1,732.83 | 11.51 |
| | 2018-19 | 6,367.13 | 1,744.34 | 1,732.83 | 11.51 |
| | 2019-20 | 6,367.13 | 1,744.34 | 1,664.04 | 80.30 |
| **औसत उपलब्ध और पट्टे पर दी गई भूमि** | **2016-20** | **6,367.13** | **1,744.34** | **1,705.23** | **39.11** |
| अंबाला-II | 2016-17 | 1,183.47 | 185.19 | 161.02 | 24.17 |
| | 2017-18 | 1,183.47 | 185.19 | 164.24 | 20.95 |
| | 2018-19 | 1,183.47 | 185.19 | 164.24 | 20.95 |
| | 2019-20 | 1,183.47 | 185.19 | 83.91 | 101.28 |
| **औसत उपलब्ध और पट्टे पर दी गई भूमि** | **2016-20** | **1,183.47** | **185.19** | **143.35** | **41.84** |
| बराड़ा | 2016-17 | 4,800.00 | 1,178.00 | 955.00 | 223.00 |
| | 2017-18 | 4,800.00 | 1,178.00 | 955.00 | 223.00 |
| | 2018-19 | 4,800.00 | 1,178.00 | 960.53 | 217.47 |
| | 2019-20 | 4,800.00 | 1,178.00 | 960.53 | 217.47 |
| **औसत उपलब्ध और पट्टे पर दी गई भूमि** | **2016-20** | **4,800.00** | **1,178.00** | **957.77** | **220.23** |
| नारायणगढ़ | 2016-17 | 6,047.79 | 1,620.51 | 678.57 | 941.94 |
| | 2017-18 | 6,047.79 | 1,620.51 | 783.77 | 836.74 |
| | 2018-19 | 6,047.79 | 1,620.51 | 783.98 | 836.53 |
| | 2019-20 | 6,047.79 | 1,620.51 | 640.04 | 980.47 |
| **औसत उपलब्ध और पट्टे पर दी गई भूमि** | **2016-20** | **6,047.79** | **1,620.51** | **721.59** | **898.92** |
| साहा | 2016-17 | 4,633.66 | 1,077.81 | 511.76 | 566.05 |
| | 2017-18 | 4,633.66 | 1,077.81 | 546.59 | 531.22 |
| | 2018-19 | 4,633.66 | 1,077.81 | 546.59 | 531.22 |
| | 2019-20 | 4,633.66 | 1,077.81 | 537.59 | 540.22 |
| **औसत उपलब्ध और पट्टे पर दी गई भूमि** | **2016-20** | **4,633.66** | **1,077.81** | **535.63** | **542.18** |
| शहजादपुर | 2017-18 | 5,084.01 | 426.34 | 388.58 | 37.76 |
| | 2018-19 | 5,084.01 | 426.34 | 377.04 | 49.30 |
| | 2019-20 | 5,084.01 | 426.34 | 383.13 | 43.21 |
| **औसत उपलब्ध और पट्टे पर दी गई भूमि** | **2017-20** | **5,084.01** | **426.34** | **382.92** | **43.42** |
| **भूमि का वर्ष-वार औसत और राजस्व की कुल हानि** | | **28,116.06** | **6,232.19** | **4,446.49** | **1,785.70** |

# परिशिष्ट 2.3

## (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 12)

## वसूलनीय गृह कर का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

**(₹ लाख में)**

| क्र.सं. | बीडीपीओ | लेखापरीक्षा की अवधि | इस तिथि तक बकाया | बकाया गृह कर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंबाला-I | जुलाई 2017 से सितंबर 2020 | मार्च 2020 | 41.61 |
| 2 | बराड़ा | सितंबर 2017 से दिसंबर 2020 | अक्तूबर 2020 | 2.07 |
| 3 | गुल्हा-चीका | अप्रैल 2016 से सितंबर 2020 | जनवरी 2020 | 17.12 |
| 4 | कलायत | अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2020 | मार्च 2019 | 35.76 |
| 5 | कैथल | अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2020 | जनवरी 2020 | 63.28 |
| 6 | पुंडरी | अप्रैल 2016 से दिसंबर 2020 | दिसंबर 2020 | 36.39 |
| 7 | राजौंद | अप्रैल 2016 से नवंबर 2020 | नवंबर 2020 | 55.22 |
| 8 | सिवान | अप्रैल 2016 से मार्च 2020 | मार्च 2020 | 24.01 |
| 9 | बादली | अप्रैल 2014 से मार्च 2019 | मार्च 2019 | 16.51 |
| 10 | बहादुरगढ़ | अप्रैल 2013 से जुलाई 2019 | मार्च 2019 | 54.81 |
| 11 | बेरी | अप्रैल 2014 से मार्च 2019 | मार्च 2019 | 7.16 |
| 12 | भिवानी | अप्रैल 2012 से नवंबर 2019 | मार्च 2019 | 5.47 |
| 13 | इस्माइलाबाद | अप्रैल 2015 से मई 2019 | मार्च 2019 | 18.39 |
| 14 | झज्जर | अप्रैल 2014 से मार्च 2019 | मार्च 2019 | 27.19 |
| 15 | मातनहेल | अप्रैल 2014 से जुलाई 2019 | जुलाई 2019 | 36.75 |
| 16 | पेहोवा | अप्रैल 2015 से जून 2019 | जून 2019 | 32.83 |
| 17 | पिपली | अप्रैल 2018 से अगस्त 2019 | अगस्त 2019 | 11.47 |
| 18 | साल्हावास | अप्रैल 2014 से मार्च 2019 | मार्च 2019 | 7.99 |
| 19 | सोहना | अप्रैल 2015 से जुलाई 2019 | मार्च 2019 | 16.84 |
| 20 | सिरसा | अप्रैल 2017 से फरवरी 2022 | फरवरी 2022 | 30.51 |
| 21 | गुरुग्राम | अगस्त 2019 से दिसंबर 2021 | मार्च 2021 | 2.76 |
| 22 | नाहर | नवंबर 2017 से जनवरी 2022 | फरवरी 2022 | 11.16 |
| 23 | रेवाड़ी | जून 2017 से दिसंबर 2021 | फरवरी 2022 | 5.67 |
| 24 | तावडू | अप्रैल 2016 से फरवरी 2022 | फरवरी 2022 | 40.62 |
| 25 | बड़ागुड्डा | नवंबर 2017 से जनवरी 2022 | फरवरी 2022 | 3.51 |
| 26 | जाटूसाना | जुलाई 2017 से फरवरी 2022 | फरवरी 2022 | 38.69 |
| 27 | डबवाली | अप्रैल 2017 से जनवरी 2022 | फरवरी 2022 | 24.20 |
| 28 | नाथूसारी चोपता | नवंबर 2017 से जनवरी 2022 | फरवरी 2022 | 24.07 |
| | | | **कुल** | **692.06** |

**अर्थात ₹ 6.92 करोड़**

## परिशिष्ट 2.4

## (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6; पृष्ठ 18)

## ई-निविदा के बजाय सीधे या कोटेशन पर की गई खरीदारी

| क्र. सं. | इकाई का नाम | राशि (₹ लाख में) | लेखापरीक्षा अवधि | लेन-देन की अवधि | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, फतेहाबाद | 8.26 | अप्रैल 2014 से जुलाई 2018 | फरवरी 2018 से जुलाई 2018 | ग्रेनाइट और खेल सामग्री |
| 2. | कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, पलवल | 2.94 | अप्रैल 2013 से जनवरी 2019 | सितंबर 2018 | ग्रेनाइट |
| 3. | जीपी डडलाना, बीडीपीओ, पानीपत | 7.63 | 2014 से 2020 | अप्रैल 2016, जनवरी 2017, फरवरी 2017 | वाटर कूलर |
| 4. | बीडीपीओ, पटौदी | 91.08 | अप्रैल 2015 से जुलाई 2019 | मार्च 2018 | वाटर कूलर और आरओ (अखबार में विज्ञापन देकर) |
| 5. | बीडीपीओ, सोहना | 38.88 | अप्रैल 2015 से जुलाई 2019 | मार्च 2018 | वाटर कूलर और आरओ अख़बार में विज्ञापन देकर कोटेशन पर ख़रीदारी |
| 6. | बीडीपीओ, लाडवा | 7.56 | अप्रैल 2015 से जुलाई 2019 | अक्तूबर 2016 | कुर्सियां |
| 7. | जीपी हेल्वा, बीडीपीओ, पेहोवा | 1.08 | अप्रैल 2015 से जून 2019 | जून 2016 | कुर्सियां |
| 8. | बीडीपीओ, पलवल | 19.22 | अप्रैल 2013 से जनवरी 2020 | नवंबर 2019 | फॉगिंग मशीन |
| 9. | बीडीपीओ, साल्हावास | 1.01 | | जनवरी 2019 | दरवाजे के लिए फर्नीचर |
| 10. | बीडीपीओ, अंबाला II | 26.62 | अप्रैल 2016 से नवंबर 2020 | फरवरी 2018 से जून 2019 | वॉटर कूलर और फॉगिंग मशीन |
| 11. | डीआरडीए, अंबाला | 37.30 | अप्रैल 2016 से नवंबर 2020 | मार्च 2019 से जून 2019 | खिलौने, सीसीटीवी कैमरे और बिजली का सामान |
| 12. | बीडीपीओ, राजौंद | 5.56 | अप्रैल 2016 से नवंबर 2020 | अगस्त 2016 से नवंबर 2016 | वॉटर कूलर, ऑफिस की कुर्सियाँ, वगैरह। |
| 13. | जिला परिषद सोनीपत | 55.93 | अगस्त 2017 से नवंबर 2021 | अगस्त 2020 से फरवरी 2021 | पीवीसी पाइप, एल्बो, टी-सॉकेट, सॉल्वेंट, टाइल्स, पत्थर, मेटल और रेत, ईंट का चूरा और रोड़ी। |
| 14. | बीडीपीओ जींद | 23.95 | अप्रैल 2015 से दिसंबर 2021 | फरवरी 2019 से जुलाई 2020 | रेसलिंग मैट, आरसीसी पाइप, वेलकम गेट, सिग्नेचर बोर्ड। |
| 15. | बीडीपीओ उचाना | 16.17 | अप्रैल 2015 से सितंबर 2021 | अगस्त 2018 से जुलाई 2020. | फॉगिंग मशीन, पानी के टैंकर |
| 16. | बीडीपीओ नरवाना | 15.23 | अप्रैल 2015 से सितंबर 2021 | जुलाई 2018 से अक्तूबर 2018 | स्टील और शीट का नेम बोर्ड, पानी के टैंकर |
| 17. | डीआरडीए रेवाड़ी | 186.2 | जून 2017 से दिसंबर 2021 | नवंबर 2020 से दिसंबर 2020 | कोविड-19 कैंपेन वॉल पेंटिंग। |
| 18. | बीडीपीओ जुलाना | 27.45 | अप्रैल 2015 से दिसंबर 2021 | जून 2019 से सितंबर 2020 | एस.पी.जी.एस. स्ट्रीट लाइट, एल्युमीनियम नेम प्लेट, आरसीसी पाइप। |
| **कुल** | | **572.07** | | | |

**क्रम संख्या 9 के लिए, कोटेशन भी प्राप्त नहीं किए गए और सीधे खरीद की गई थी।**

# परिशिष्ट 2.5

## (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6; पृष्ठ 18)

## सोलर/स्ट्रीट लाइट की अनियमित खरीद

| क्र. सं. | बीडीपीओ | ग्राम पंचायत का नाम | लेखापरीक्षा ज्ञापन और दिनांक | बिल संख्या/ वाउचर दिनांक | रोकड़ बही | फर्म का नाम | मद खरीद | राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बीडीपीओ हिसार -1 | भगाना | लेखापरीक्षा ज्ञापन/8 14 अगस्त 2018 | 120/ 02 अप्रैल 2015 | जीपी | शिव शक्ति सोलर सेंटर | कनेक्शन और लेबर सहित एलईडी लाइट | 2,14,635 |
| | | | | 401/ 10 जून 2014 | जीपी | | | 1,95,300 |
| | | | | 79/ 19 जुलाई 2015 | जीपी | शिव साई ट्रेडिंग | | 6,34,800 |
| 2 | बीडीपीओ हिसार -2 | | लेखापरीक्षा ज्ञापन/9 30 अगस्त 2018 | 43/V 14 जुलाई 2017 | जीपी | जी-पावर इंटरप्राइजेज | 6 केवीए ऑफ़-ग्रिड सोलर पावर प्लांट | 5,50,000 |
| 3 | बीडीपीओ बहादुरगढ़ | नूना माजरा | | 126/ 10 अक्तूबर 2017 | जीपी | बी.आर.के एंड सन्स | 36 वॉट चोक, 36 वॉट 4-पिन सीएफएल, वायर, एलडीआर स्विच, लाइट के कोर | 1,67,374 |
| | | | | 125/ 10 अक्तूबर 2017 | जीपी | | 30 वॉट एलईडी लाइट पाइप, क्लैंप, वायर, स्विच आदि | 5,81,100 |
| | | देखौरा | लेखापरीक्षा ज्ञापन/2 02 सितंबर 2019 | 211/ 02 अप्रैल 2017 | जीपी | | | 1,56,022 |
| | | | | 183/ 27 नवंबर 2018 | जीपी | भानु एंड ब्रदर्स ट्रेडर्स | | 87,320 |
| | | | | 188/ 27 नवंबर 2018 | जीपी | | 36 वॉट चोक, 36 वॉट 4-पिन सीएफएल, वायर, एलडीआर स्विच, लाइट के कोर | 61,567 |
| | | छुड़ानी | लेखापरीक्षा ज्ञापन/11 03 सितंबर 2019 | 18/ 02 जनवरी 2017 | जीपी | जय बजरंग बली इलेक्ट्रॉनिक्स | 30 वॉट एलईडी लाइट, बैंड पाइप, वायर, लेबर आदि | 5,60,840 |
| | | मातन | लेखापरीक्षा ज्ञापन/06 03 सितंबर 2019 | 30/ 15 फरवरी 2017 | जीपी | मोहित ट्रेडर्स | एलईडी स्ट्रीट लाइट | 7,70,000 |
| 4 | बीडीपीओ नाथूसारी चोपता | पंचायत समिति | लेखापरीक्षा ज्ञापन/06 01 दिसंबर 2017 | 1514/ 11 अप्रैल 2012 | पीएस | खेमका ट्रेडर्स | 36 वॉट स्ट्रीट लाइट, साथ में केबल और लेबर | 3,77,221 |
| | | | | 1548/ 25 अप्रैल 2012 | | | | 4,77,028 |
| | | | | 1550/ 27अप्रैल 2012 | | | | 4,38,865 |
| | | | | 002/ 06 मार्च 2013 | | सन लाइट पावर सिस्टम | ऊर्जा बचाने वाला सीएफएल, ऑटोमैटिक सेंसर, सालाना रखरखाव | 6,48,124 |
| | | | | 10/ 15 अप्रैल 2013 | | | | 7,98,518 |
| 5 | बीडीपीओ अग्रोहा | पंचायत समिति | लेखापरीक्षा ज्ञापन/10 05 जुलाई 2018 | 185/ 02 मई 2018 | पीएस | ओएसआर सिग्मा | 96 वोल्ट के पावर बैंक के साथ 5 केवीए सोलर प्लांट का पूरा इंस्टॉलेशन | 4,70,000 |
| 6 | बीडीपीओ नीलोखेड़ी | सग्गा | लेखापरीक्षा ज्ञापन/06 11 मार्च 2019 | 06/ 23 अगस्त 2018 | जीपी | वीएम सोलर पावर | सोलर एलईडी, तार, केबल, ऑटोमैटिक सिस्टम, कैरिज, लेबर | 1,43,075 |
| | | | | 05/ 23 अगस्त 2018 | जीपी | | | 84,949 |

| क्र. सं. | बीडीपीओ | ग्राम पंचायत का नाम | लेखापरीक्षा ज्ञापन और दिनांक | बिल संख्या/ वाउचर दिनांक | रोकड़ बही | फर्म का नाम | मद खरीद | राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | बीडीपीओ हथीन | हथीन | लेखापरीक्षा ज्ञापन/05 03 जनवरी2020 | 647/ 22 जून 2017 | जीपी | अस्मिता इंटरप्राइजेज | सोलर पैनल, बैटरी आदि | 5,34,499 |
| | | छायंसा | लेखापरीक्षा ज्ञापन/06 06 जनवरी 2020 | 123 | जीपी | आतिफ इंटरप्राइजेज | 9 मीटर पोल वाली हाई मास्ट लाइट आदि | 2,12,400 |
| | | टोंका | लेखापरीक्षा ज्ञापन/12 08 जनवरी2020 | 109/ 10 दिसंबर 2018 | जीपी | | | 1,06,200 |
| | | | | 151/ 01 अगस्त 2019 | जीपी | | | 106,200 |
| 8 | बीडीपीओ बपौली | संजोली | लेखापरीक्षा ज्ञापन/05 27 फरवरी 2020 | 01/ 16 जनवरी 2017 | जीपी | आशीष कुमार | 30 वॉट एलईडी स्ट्रीट लाइट, पाइप, तार, बैंड स्विच, लेबर | 1,96,817 |
| 9 | बीडीपीओ घरौंडा | उपली | लेखापरीक्षा ज्ञापन/04 26 फरवरी 2020 | 70/ 18 जनवरी 2018 | जीपी | कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी | सोलर लाइट, बैटरी, पोल, बैटरी बॉक्स, वारंटी | 1,73,880 |
| 10 | बीडीपीओ बबैन | पीएस | लेखापरीक्षा ज्ञापन/09 11 सितंबर 2019 | 21/17 जनवरी 2018 | पीएस | सोनी पावर प्राइवेट लिमिटेड | एलईडी लाइट, बैटरी, पैनल और पोल लगाना | 33,00,000 |
| | | | | 22/3 08 जनवरी2018 | पीएस | | | 49,500 |
| | | | | 22/3 08 जनवरी2018 | पीएस | | | 82,498 |
| | | | | 22/3 08 जनवरी2018 | पीएस | | | 1,32,000 |
| | | | | 27/ 19 फरवरी 2018 | पीएस | | | 1,98,000 |
| | | | | 28/ 19 फरवरी2018 | पीएस | | | 2,97,000 |
| | | | | 29/ 07 मार्च 2018 | पीएस | | | 1,32,000 |
| | | | | 30/ 07 मार्च 2018 | पीएस | | | 1,15,500 |
| | | | | 31/ 07 मार्च 2018 | पीएस | | | 1,98,000 |
| | | | | 32/ 07 मार्च 2018 | पीएस | | | 99,000 |
| | | | | 33/ 07 मार्च 2018 | पीएस | | | 99,000 |
| | | | | 34/ 07 मार्च 2018 | पीएस | | | 1,98,000 |
| | | | | 38/ 04 अप्रैल 2018 | पीएस | | | 99,000 |
| | | | | 39/ 04 अप्रैल 2018 | पीएस | | | 65,998 |
| | | | | 56/ 24 अप्रैल 2018 | पीएस | अंकित पावर प्राइवेट लिमिटेड | | 16,380 |
| | | | | 57/ 24 अप्रैल 2018 | पीएस | | | 16,380 |
| | | | | 58/ 24 अप्रैल 2018 | पीएस | | | 16,380 |
| | | | | 59/ 24 अप्रैल 2018 | पीएस | | | 49,140 |

| क्र. सं. | बीडीपीओ | ग्राम पंचायत का नाम | लेखापरीक्षा ज्ञापन और दिनांक | बिल संख्या/ वाउचर दिनांक | रोकड़ बही | फर्म का नाम | मद खरीद | राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 60/ 24 अप्रैल 2018 | पीएस | | | 49,140 |
| | | | | 79/ 01 मई 2018 | पीएस | | | 2,12,940 |
| | | | | 80/ 01 मई 2018 | पीएस | | | 98,280 |
| | | | | 81/ 01 मई 2018 | पीएस | | | 1,96,560 |
| | | | | 82/ 01 मई 2018 | पीएस | | | 65,520 |
| | | | | 83/ 01 मई 2018 | पीएस | | | 49,140 |
| | | | | 84/ 01 मई 2018 | पीएस | | | 33,760 |
| 11 | बीडीपीओ लाडवा | पीएस | लेखापरीक्षा ज्ञापन/09 14 अगस्त 2019 | 58/ 18 जुलाई 2017 | पीएस | देव इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम | सोलर लाइट, पैनल, इंस्टॉलेशन आदि | 11,05,500 |
| | | | | 1 | पीएस | महेंद्रू इलेक्ट्रिकल्स | विभिन्न प्रकार के बिजली के सामान | 92,381 |
| | | | | 2 | पीएस | | | 55,425 |
| | | | | 3 | पीएस | | | 64,634 |
| | | | | 4 | पीएस | | | 10,204 |
| | | | | 8 | पीएस | चिराग एनर्जी सिस्टम | सोलर स्ट्रीट सिस्टम, इंस्टॉलेशन | 9,63,900 |
| | | | | 252/ 25 दिसंबर 2017 | पीएस | अस्मिता एंटरप्राइज | सोलर लाइट, सोलर पैनल | 7,51,275 |
| 12 | बीडीपीओ हसनपुर | पीएस | लेखापरीक्षा ज्ञापन/06 03 मार्च 2020 | 331/ 07 जून 2014 | पीएस | अक्षय इंडिया | ऊर्जा बचत प्रणाली, एलईडी लाइट, पाइप, पोल पर लाइट लगाना | 2,48,160 |
| | | | लेखापरीक्षा ज्ञापन/06 03 मार्च 2020 | 329/ 30 जून 2014 | पीएस | | | 5,41,440 |
| | | | लेखापरीक्षा ज्ञापन/06 03 मार्च 2020 | 332/ 12 जुलाई 2014 | पीएस | | | 6,09,120 |
| | | | लेखापरीक्षा ज्ञापन/06 03 मार्च 2020 | 339/ 14 नवंबर 2014 | पीएस | | | 4,50,000 |
| | | | लेखापरीक्षा ज्ञापन/06 03 मार्च 2020 | 343/ 28 नवंबर 2014 | पीएस | | ऊर्जा बचाने वाला सिस्टम, एलईडी लाइट, पाइप, लाइट लगाने का कार्य | 3,60,000 |
| 13 | **बीडीपीओ बेरी** | ग्राम पंचायत, माजरा | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 7 दिनांक 29 जुलाई 2019 | 62/ 01 जुलाई 2018/26 | जीपी फंड | सेजल ट्रेडिंग कंपनी | पैनल आदि के साथ सोलर लाइटें | 5,36,130 |
| | | | | 134/ 28 जुलाई 2017/18 | पीआरआई | मेसर्स श्री कान्हा ट्रेडर्स | | 2,76,000 |
| | | | | 55/ 07 जनवरी 2018/25 | -सम- | | | 5,79,600 |
| | | | | 98/ 12 मार्च 2018/26 | -सम- | | | 2,89,800 |
| | | | | 63/ 01 जुलाई 2018/28 | -सम- | सेजल ट्रेडिंग कंपनी | | 94,185 |
| | | | | 64/ 24 सितंबर 2018/29 | -सम- | | | 6,52,050 |

| क्र. सं. | बीडीपीओ | ग्राम पंचायत का नाम | लेखापरीक्षा ज्ञापन और दिनांक | बिल संख्या/ वाउचर दिनांक | रोकड़ बही | फर्म का नाम | मद खरीद | राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **बीडीपीओ, सोहना** | ग्राम पंचायत, हरियाहेड़ा | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 7 दिनांक-11 दिसंबर 2019 | 066/ 05 फरवरी 2017 | | आर.एस. ट्रेडर्स | 24 वॉट की एलईडी स्ट्रीट लाइट, साथ में बैंड पाइप, क्लैंप, नट-बोल्ट आदि | 1,93,275 |
| | | घंघोला | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 7 दिनांक 11 दिसंबर 2019 | 27/ 11 फरवरी 2018 | | कौशिक ट्रेडिंग कंपनी | नई सप्लाई एलईडी लाइट्स 30 वॉट आदि | 2,38,560 |
| | | उल्लाहवास | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 23 दिनांक 12 दिसंबर 2019 | 667/ 25 मई 2016 | | मैक्रोमिक इंडस्ट्रीज | इंस्टॉलेशन के साथ 4 एलईडी फ्लड लाइट वाली 9 मीटर ऊंची मास्ट लाइट | 5,92,000 |
| | | | | 669/ 26 मई 2016 | | | क्लैंप, वायर आदि के साथ 30 वॉट की एलईडी लाइट | 85,000 |
| | | | | 524/ 24 मार्च 2017 | | मेसर्स आर.के. एनर्जी सिस्टम | 30 वॉट की एलईडी स्ट्रीट लाइट की सप्लाई और इंस्टॉलेशन | 1,10,512 |
| | | | | 520/ 22 मार्च 2017 | | | हाई मास्ट एलईडी लाइट आदि | 84,938 |
| | | | | 522/ 23 मार्च 2017 | | | सीएफएल और चोक ऑटो-कट आदि के साथ 72 वॉट की स्ट्रीट लाइट | 1,80,000 |
| | | | | 97/ 11 नवंबर 2017 | | एस.के. ट्रेडिंग कंपनी | पीएलएल, एलईडी लाइट, एमसीबी और केबल आदि के साथ हाई मास्ट की नई सप्लाई | 7,92,512 |
| 15 | **बीडीपीओ, पटौदी** | ग्राम पंचायत, नूरपुर | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 9 दिनांक.04 दिसंबर 2019 | 406/ 04 जून 2015 | | सोलरवे मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | बैटरी आदि वाली सोलर लाइटें | 2,17,500 |
| | | खलीलपुर | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 13 दिनांक 05 दिसंबर 2019 | 67/ 05 मई 2015 | | | स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, प्लेट एचपीएल, चोक, ट्यूब, स्टैंड, होल्डर, केबल आदि | 63,686 |
| | | | | 72/ 10 मई 2015 | | | क्लैंप, तार आदि के साथ एलईडी लाइट | 1,00,000 |
| 16 | **बीडीपीओ, फरुखनगर** | जोनियावास | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 4 दिनांक 20 नवंबर 2019 | 05/ 25 अगस्त 2017 | | श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी | सोलर लाइटें, पैनल आदि | 3,63,562 |
| | | | | 04/ 25 अगस्त 2017 | | | सीएफएल लाइट्स, पोल के साथ हाई मास्ट एलईडी लाइट्स आदि | 71,478 |
| | | ताज नगर | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 6 दिनांक 21 नवंबर 2019 | 6916/ 12 मई 2016 | | प्रेम रेडियो और टी.वी. सेंटर | 70 पीस पोल लाइट + 45 वॉट ट्यूब (फिलिप्स) + फिटिंग आदि | 1,54,915 |
| | | घोसगढ़ | | 07/ 30 नवंबर 2016 | | तन्मया इंजीनियर एंड कॉन्ट्रेक्टर | क्लैंप और जीआई पाइप, वायर, स्विच आदि के साथ हैवेल्स एलईडी लाइट | 1,67,980 |
| | | अलीमुदिनीपुर | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 15 दिनांक 21 नवंबर 2019 | 491/ 13 अक्तूबर 2016 | | पावर कंस्ट्रक्शन एंड सीमेंट आर्टिकल्स | क्लैंप, तार आदि के साथ एलईडी लाइट | 1,41,750 |

| क्र. सं. | बीडीपीओ | ग्राम पंचायत का नाम | लेखापरीक्षा ज्ञापन और दिनांक | बिल संख्या/ वाउचर दिनांक | रोकड़ बही | फर्म का नाम | मद खरीद | राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **बीडीपीओ, झज्जर** | हसनपुर | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 16 दिनांक.18 जुलाई 2019 | 104/ 18 मई 2014/48 | | सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स | 2X36 वॉट की सीएफएल लाइटों की सप्लाई और इंस्टॉलेशन | 59,640 |
| | | | | 104/ 18 मई 2014/48 | | | 2X36 सीएफएल लाइटों की मरम्मत | 24,000 |
| | | | | 105/ 18 मई 2014/49 | | | 4 एलईडी लाइट वाले 7 मीटर के पोल की सप्लाई और इंस्टॉलेशन | 1,09,000 |
| | | | | 133/ 24 अगस्त 2022/50 | | | | 1,09,000 |
| | | | | 195/ 05 नवंबर 2014/51 | | | | 1,09,000 |
| | | | | 244/ 05 नवंबर 2014/52 | | | स्ट्रीट लाइट की मरम्मत | 16,000 |
| | | | | 194/ 05 नवंबर 2014/53 | | | 2X36 वॉट की सीएफएल लाइटों की सप्लाई और इंस्टॉलेशन | 74,625 |
| | | | | 14/ 19 अप्रैल 2015/59 | | जय बजरंग बली इलेक्ट्रॉनिक्स | लेबर सहित 6 लाइट वाला 9 मीटर ऊंचा पोल | 1,25,000 |
| | | | | 35/ 25 अप्रैल 2015/60 | | | 9 सीएफसी ऊंचाई की मरम्मत, एक साल की वारंटी के साथ | 9,000 |
| | | | | 34/ 25 अप्रैल 2015/61 | | | 36x2 वॉट सीएफएल और बैंड पाइप | 23,240 |
| | | ग्राम पंचायत-सुलोधा | लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. 07 दिनांक 15 जुलाई 2019 | 52/ 30 मई 2017/21 | | लक्की टंडर्स | चोक, सीएफआई, ग्लास, केबल बंडल, होल्डर, लेबर चार्ज आदि | 68,538 |
| | | | | 51/ 30 मई 2017/21 | | | एलईडी लाइट रिपेयर, हाई मास्ट 60 वॉट लाइट रिपेयर | 1,56,285 |
| | **कुल** | | | | | | | **2,67,36,650** |

## परिशिष्ट 2.6

### (संदर्भ: अनुच्छेद 2.8 (i); पृष्ठ 19)

### मस्टर रोल पर बिना नाम और बिना हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के किए गए भुगतान का विवरण

| क्र. सं. | इकाई का नाम | गांव का नाम | कार्य का नाम | अवधि | मजदूरों की संख्या | भुगतान की गई राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्यकारी अभियंता पीआरआई, पानीपत | नारा | पानी की टंकी का निर्माण | 1 नवंबर 2015 से 12 नवंबर 2015 | 8 | 38,459 |
| | | दिदवारी | चौपाल का कार्य पूरा होना | 1 दिसंबर 2015 से 20 दिसंबर 2015 | 11 | 86,166 |
| 2. | बीडीपीओ, बेरी | मलिकपुर | कमरे का निर्माण | 3 मार्च 2018 से 29 मार्च 2018 | 12 | 1,39,464 |
| 3. | बीडीपीओ, पेहोवा | सियाणा खुर्द | श्मशान घाट में पेंटिंग | 7 मार्च 2017 से 30 मार्च 2017 | 15 | 1,14,063 |
| | | | श्मशान घाट में पेंटिंग | 19 अगस्त 2018 से 1 सितंबर 2018 | 10 | 61,353 |
| | | | गलियों की सफाई | 20 सितंबर 2016 से 28 सितंबर 2016 | 15 | 46,208 |
| | | | | 26 सितंबर 2016 से 30 सितंबर 2016 | 13 | 16,115 |
| | | | | 8 अक्तूबर 2016 से 11 अक्तूबर 2016 | 21 | 28,161 |
| | | | | 18 अक्तूबर 2016 से 24 अक्तूबर 2016 | 10 | 18,130 |
| | | गढ़ी लांगरी | उल्लेख नहीं है | 1 जून 2018 से 17 जून 2018 | 12 | 57,324 |
| | | | | अवधि का उल्लेख नहीं है | 11 | 47,424 |
| | | | | 1 सितंबर 2018 से 17 सितंबर 2018 | 12 | 57,324 |
| | | | | अवधि का उल्लेख नहीं है | 12 | 50,580 |
| 4. | जिला परिषद सोनीपत | गढ़ी सिसाना | नाली का निर्माण | 6 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 | 18 | 2,36,540 |
| | | मंदोरी | पाइपलाइन बिछाना | 1 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 | 30 | 3,93,629 |
| **कुल** | | | | | **210** | **13,90,940** |

## परिशिष्ट 2.7

### (संदर्भ: अनुच्छेद 2.8 (ii) पृष्ठ 20)

### अलग-अलग कार्यों पर एक साथ लगे मजदूरों को किए गए भुगतान का विवरण

| क्र. सं. | इकाई का नाम | गांव का नाम | कार्य का नाम | अवधि | मजदूरों की संख्या | भुगतान की गई राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बीडीपीओ, मातनहेल | खानपुर खुर्द | जनरल चौपाल की रंगाई-पुताई | 2 मई 2015 से 15 मई 2015 | 8 | 46,206 |
| | | | स्वास्थ्य केंद्र की रंगाई-पुताई | 2 मई 2015 से 15 मई 2015 | 8 | 47,702 |
| 2. | बीडीपीओ, पेहोवा | संडोला | गलियों की सफाई | 4 अक्तूबर 2018 से 8 अक्तूबर 2018 | 1 | 1,405 |
| | | | गलियों की सफाई | 4 अक्तूबर 2018 से 8 अक्तूबर 2018 | 1 | 1,405 |
| | | संडोला | तालाब की सफाई | 9 अक्तूबर 2018 से 10 अक्तूबर 2018 | 2 | 4,662 |
| | | | तालाब की सफाई | 9 अक्तूबर 2018 से 10 अक्तूबर 2018 | 2 | 4,662 |
| | | बोध | तालाब का निर्माण | 17 मार्च 2018 से 21 मार्च 2018 | 3 | 7,205 |
| | | | श्मशान घाट का निर्माण | 17 मार्च 2018 से 21 मार्च 2018 | 3 | 7,205 |
| | | बोध | इमारत का निर्माण | 20 अगस्त 2017 से 26 अगस्त 2017 | 1 | 1,939 |
| | | | पाइप बिछाना | 20 अगस्त 2017 से 26 अगस्त 2017 | 1 | 1,939 |
| **कुल** | | | | | **30** | **1,24,330** |
| **15 मजदूरों को किए गए कुल संदिग्ध भुगतान** | | | | | **15** | **0.62 लाख** |

## परिशिष्ट 2.8

### (संदर्भ: अनुच्छेद 2.9; पृष्ठ 21)

### पूर्व सरपंचों/पंचों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि का विवरण

| क्र. सं. | बीडीपीओ का नाम | क्र. सं. | ग्राम पंचायत का नाम | पूर्व सरपंच/ पंच की संख्या | अवधि | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नाहर | 1 | रतनथल | 2 | 2002-2005 | 0.21 |
| | | 2 | भुरथला | 1 | 2005-2010 | 0.21 |
| | | 3 | गुजरवास | 7 | 1990-2015 | 0.93 |
| | | 4 | झोलारी | 3 | 2010-2015 | 1.55 |
| 2 | रायपुर रानी | 5 | रत्ताटिब्बी | 1 | 2014-2018 | 1.24 |
| | | 6 | बहबलपुर | 1 | 2016-2018 | 0.15 |
| | | 7 | थरवा | 1 | 2016-2018 | 0.02 |
| | | 8 | रामपुर थड़ोन | 1 | 2014-2018 | 0.13 |
| | | 9 | मंडप | 2 | 2014-2018 | 0.04 |
| | | 10 | ककरौली | 2 | 2014-2018 | 0.21 |
| | | 11 | हंगोला | 3 | 2014-2018 | 1.21 |
| 3 | बीडीपीओ, भिवानी | 12 | प्रेमनगर | 1 | 2014-2019 | 0.53 |
| 4 | बीडीपीओ, हथीन | 13 | मंडकोला | 2 | 2010-2015 | 0.48 |
| | | 14 | फिरोजपुर राजपूत | 1 | 2013-2019 | 0.23 |
| 5 | बीडीपीओ बापोली | 15 | बहरामपुर | 1 | 2015-2020 | 1.38 |
| 6 | बीडीपीओ इसराना | 16 | नौल्था | 1 | 2016-2020 | 0.95 |
| | | 17 | शाहपुर | 3 | 2016-2020 | 0.37 |
| | | 18 | कैथ | 1 | 2016-2019 | 0.5 |
| | | 19 | बुआनालाखू | 2 | 2016-2020 | 1.16 |
| 7 | बीडीपीओ बडौली | 20 | लालगढ़ | 1 | - | 0.04 |
| | | 21 | बागपुरखुर्द | 2 | 2006-2015 | 0.08 |
| 8 | जाटूसाना | 22 | बेरलीखुर्द | 1 | 2017-2022 | 2.38 |
| | | 23 | नैनसुखपुरा | 1 | 2017-2022 | 0.02 |
| | | 24 | शिहास | 1 | 2017-2022 | 0.12 |
| | | 25 | बोड़िया कमालपुर | 1 | 2017-2022 | 0.14 |
| | | 26 | खेड़ा आलमपुर | 1 | 2017-2022 | 0.04 |
| | | 27 | मोहद्दीनपुर | 2 | 2017-2022 | 0.32 |
| | | 28 | गोपालपुर गंजी | 1 | 2017-2022 | 0.08 |
| | | 29 | बलधन खुर्द | 2 | 2017-2022 | 0.06 |
| | | 30 | खुसपुरा | 1 | 2017-2022 | 0.04 |
| | | 31 | परखोतमपुर | 1 | 2017-2022 | 0.43 |
| | | 32 | राजावास | 1 | 2017-2022 | 0.43 |
| | | 33 | भारीपुर | 1 | 2017-2022 | 1.58 |
| | | 34 | शादीपुर | 1 | 2017-2022 | 10.43 |
| | | 35 | हसावास | 2 | 2017-2022 | 0.75 |
| | | 36 | कान्हापुरा | 1 | 2017-2022 | 0.25 |
| | | 37 | नगलिया रनमौख | 1 | 2017-2022 | 0.10 |

| क्र. सं. | बीडीपीओ का नाम | क्र. सं. | ग्राम पंचायत का नाम | पूर्व सरपंच/ पंच की संख्या | अवधि | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38 | पाल्हावास | 1 | 2017-2022 | 1.28 |
| | | 39 | करावरा मानकपुर | 1 | 2017-2022 | 0.38 |
| | | 40 | चौकी नंबर 2 | 2 | 2017-2022 | 0.014 |
| | | 41 | सुमाखेड़ा | 3 | 2017-2022 | 0.05 |
| | | 42 | रोझुवास | 2 | 2017-2022 | 0.04 |
| | | 43 | लाला | 3 | 2017-2022 | 0.14 |
| | | 44 | चांदनवास | 2 | 2017-2022 | 14.88 |
| | | 45 | नांगल पठानी | 1 | 2017-2022 | 0.008 |
| | | 46 | जाटूसाना | 1 | 2017-2022 | 4.18 |
| | | 47 | रोहड़ाई | 1 | 2017-2022 | 0.09 |
| | | 48 | आशियाकी | 1 | 2017-2022 | 1.43 |
| | | 49 | गाडला | 1 | 2017-2022 | 0.03 |
| | | 50 | कन्हौरी | 1 | 2017-2022 | 0.02 |
| | | 51 | गुरावरा | 1 | 2017-2022 | 0.46 |
| 9 | बीडीपीओ धारूहेड़ा | 52 | घाटल महनियावास | 1 | 2021-2022 | 0.09 |
| | | 53 | पंचगांव | 1 | 2021-2022 | 10.39 |
| | | 54 | खीरी मोतला | 1 | 2021-2022 | 0.19 |
| | | 55 | काठूवास | 4 | 2021-2022 | 0.72 |
| 10 | बीडीपीओ नरवाना | 56 | गुरुसर | 1 | 2015-2021 | 2.23 |
| 11 | बीडीपीओ सिरसा | 57 | सिकंदरपुर | 1 | 2017-2022 | 3.27 |
| | | 58 | दड़बी | 1 | 2017-2022 | 0.40 |
| | | | **कुल** | **89** | | **69.082** |

## परिशिष्ट 4.1

### (संदर्भ: अनुच्छेद 4.3; पृष्ठ 32)

### भूमिगत केबल अनुमति प्रभारों की कम वसूली के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | फर्म, स्थान/अनुमति की तिथि | लेखा शीर्ष | लंबाई / संख्या | चौड़ाई / क्षेत्रफल | क्षेत्रफल / लंबाई | कलेक्टर दरें | सीसीआईपी 2017 के तहत देय राशि | सीसीआईपी 2013 के तहत वसूली गई राशि | कम वसूली |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम, सेक्टर 5, पंचकुला/ 13 अप्रैल 2018 | प्रशासन | 3,308 | 0 | 3,308 | - | 3,308 | 6,616 | -3,308 |
| | | राइट ऑफ वे | 3,308 | 0.04 | 132 | 50,000 | 6,61,600 | 2,64,640 | 3,96,960 |
| | | मैनहोल | 66 | 1 | 66 | 50,000 | 3,30,000 | 1,98,000 | 1,32,000 |
| | | | | | | **कुल** | **9,94,908** | **4,69,256** | **5,25,652** |
| 2 | मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम, सेक्टर 14, पंचकुला/ 06 अप्रैल 2018 | प्रशासन | 10,562 | 0 | 10,652 | - | 10,652 | 21,304 | -10,652 |
| | | राइट ऑफ वे | 10,562 | 0.04 | 422 | 50,000 | 21,12,400 | 8,44,960 | 12,67,440 |
| | | मैनहोल | 260 | 1 | 260 | 50,000 | 13,00,000 | 7,80,000 | 5,20,000 |
| | | | | | | **कुल** | **34,23,052** | **16,46,264** | **17,76,788** |
| 3 | मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम, सेक्टर 10, पंचकुला/ 13 नवंबर 2018 | प्रशासन | 1,337 | 0 | 1,337 | - | 1,337 | 2,674 | -1,337 |
| | | राइट ऑफ वे | 1,337 | 0.04 | 53 | 44,000 | 2,35,312 | 1,06,960 | 1,28,352 |
| | | मैनहोल | 9 | 4 | 36 | 44,000 | 1,58,400 | 95,040 | 63,360 |
| | | | | | | **कुल** | **3,95,049** | **2,04,674** | **1,90,375** |
| 4 | मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम, सेक्टर 20, पंचकुला/ 12 अक्तूबर 2018 | प्रशासन | 2,840 | 0 | 2,840 | - | 2,840 | 5,680 | -2,840 |
| | | राइट ऑफ वे | 2,840 | 0.04 | 114 | 41,000 | 4,65,760 | 2,27,200 | 2,38,560 |
| | | मैनहोल | 15 | 1 | 15 | 41,000 | 61,500 | 36,900 | 24,600 |
| | | | | | | **कुल** | **5,30,100** | **2,69,780** | **2,60,320** |
| 5 | मेसर्स टाटा केबल कम्युनिकेशन लिमिटेड, सेक्टर 20, पंचकुला/12 अक्तूबर 2018 | प्रशासन | 1,080 | 0 | 1,080 | - | 1,080 | 2,160 | -1,080 |
| | | राइट ऑफ वे | 1,080 | 0.04 | 43 | 50,000 | 2,16,000 | 86,400 | 1,29,600 |
| | | मैनहोल | 5 | 4 | 20 | 50,000 | 1,00,000 | 60,000 | 40,000 |
| | | | | | | **कुल** | **3,17,080** | **1,48,560** | **1,68,520** |
| 6 | मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, सेक्टर 5, पंचकुला/ 18 सितंबर 2018 | प्रशासन | 4,500 | 0 | 4,500 | - | 4,500 | 9,000 | -4,500 |
| | | राइट ऑफ वे | 4,500 | 0.04 | 180 | 50,000 | 9,00,000 | 3,60,000 | 5,40,000 |
| | | मैनहोल | 10 | 1 | 10 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | | | | | | **कुल** | **9,54,500** | **3,99,000** | **5,55,500** |

| क्र. सं. | फर्म, स्थान/अनुमति की तिथि | लेखा शीर्ष | लंबाई / संख्या | चौड़ाई / क्षेत्रफल | क्षेत्रफल / लंबाई | कलेक्टर दरें | सीसीआईपी 2017 के तहत देय राशि | सीसीआईपी 2013 के तहत वसूली गई राशि | कम वसूली |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, सेक्टर 6, 7 और 8, पंचकुला/ 9 अक्तूबर 2018 | प्रशासन | 21,000 | 0 | 21,000 | - | 21,000 | 42,000 | -21,000 |
| | | राइट ऑफ वे | 21,000 | 0.04 | 840 | 50,000 | 42,00,000 | 16,80,000 | 25,20,000 |
| | | मैनहोल | 60 | 1 | 60 | 50,000 | 3,00,000 | 1,80,000 | 1,20,000 |
| | | | | | | **कुल** | **45,21,000** | **19,02,000** | **26,19,000** |
| 8 | मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, सेक्टर 4, पंचकुला/ 13 अक्तूबर 2018 | प्रशासन | 16,400 | 0 | 16,400 | - | 16,400 | 32,800 | -16,400 |
| | | राइट ऑफ वे | 16,400 | 0.04 | 656 | 50,000 | 32,80,000 | 13,12,000 | 19,68,000 |
| | | मैनहोल | 22 | 4 | 88 | 50,000 | 4,40,000 | 2,64,000 | 1,76,000 |
| | | | | | | **कुल** | **37,36,400** | **16,08,800** | **21,27,600** |
| 9 | मेसर्स ओवरहेड टेलीकॉम केबल, सेक्टर 6, पंचकुला/ 9 अप्रैल 2019 | प्रशासन | 7,500 | 0 | 7,500 | - | 7,500 | 15,000 | -7,500 |
| | | राइट ऑफ वे | 7,500 | 0.04 | 300 | 53,000 | 15,90,000 | 6,00,000 | 9,90,000 |
| | | मैनहोल | 8 | 1 | 8 | 53,000 | 42,400 | 25,440 | 16,960 |
| | | | | | | **कुल** | **16,39,900** | **6,40,440** | **9,99,460** |
| 10 | मेसर्स रिलायंस जियो, सेक्टर 11, पंचकुला/ 9 अप्रैल 2019 | प्रशासन | 7,065 | 0 | 7,065 | - | 7,065 | 14,130 | -7,065 |
| | | राइट ऑफ वे | 7,065 | 0.04 | 283 | 41,000 | 11,58,660 | 5,65,200 | 5,93,460 |
| | | मैनहोल | 182 | 1 | 182 | 41,000 | 7,46,200 | 4,47,720 | 2,98,480 |
| | | | | | | **कुल** | **19,11,925** | **10,27,050** | **8,84,875** |
| 11 | मेसर्स रिलायंस जियो, कालका, पंचकुला/ 27 सितंबर 2017 | प्रशासन | 450 | 0 | 450 | - | 450 | 900 | -450 |
| | | राइट ऑफ वे | 450 | 0.04 | 18 | 36,000 | 64,800 | 36,000 | 28,800 |
| | | मैनहोल | 4 | 4 | 16 | 36,000 | 57,600 | 34,560 | 23,040 |
| | | | | | | **कुल** | **1,22,850** | **71,460** | **51,390** |
| 12 | मेसर्स वोडाफोन मोबाइल सर्विस, एमडीसी, पंचकुला/ 7 दिसंबर 2017 | प्रशासन | 887 | 0 | 887 | - | 887 | 1,774 | -887 |
| | | राइट ऑफ वे | 887 | 0.04 | 35 | 50,000 | 1,77,400 | 70,960 | 1,06,440 |
| | | मैनहोल | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **कुल** | **1,78,287** | **72,734** | **1,05,553** |
| 13 | मेसर्स रिलायंस जियो, सेक्टर 9, पंचकुला/ 6 अप्रैल 2018 | प्रशासन | 10,366 | 0 | 10,366 | - | 10,366 | 20,732 | -10,366 |
| | | राइट ऑफ वे | 10,366 | 0.04 | 415 | 50,000 | 20,73,200 | 8,29,280 | 12,43,920 |
| | | मैनहोल | 230 | 1 | 230 | 50,000 | 11,50,000 | 6,90,000 | 4,60,000 |
| | | | | | | **कुल** | **32,33,566** | **15,40,012** | **16,93,554** |

| क्र. सं. | फर्म, स्थान/अनुमति की तिथि | लेखा शीर्ष | लंबाई / संख्या | चौड़ाई / क्षेत्रफल | क्षेत्रफल / लंबाई | कलेक्टर दरें | सीसीआईपी 2017 के तहत देय राशि | सीसीआईपी 2013 के तहत वसूली गई राशि | कम वसूली |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | मेसर्स टाटा केबल कम्युनिकेशन लिमिटेड, सेक्टर 11, पंचकुला/17 मई 2018 | प्रशासन | 730 | 0 | 730 | - | 730 | 1,460 | -730 |
| | | राइट ऑफ वे | 730 | 0.04 | 29 | 50,000 | 1,46,000 | 58,400 | 87,600 |
| | | मैनहोल | 6 | 4 | 24 | 50,000 | 1,20,000 | 72,000 | 48,000 |
| | | | | | | **कुल** | **2,66,730** | **1,31,860** | **1,34,870** |
| 15 | मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, सेक्टर 20, पंचकुला/ 12 जुलाई 2018 | प्रशासन | 1,250 | 0 | 1,250 | - | 1,250 | 2,500 | -1,250 |
| | | राइट ऑफ वे | 1,250 | 0.04 | 50 | 50,000 | 2,50,000 | 1,00,000 | 1,50,000 |
| | | मैनहोल | 4 | 4 | 16 | 50,000 | 80,000 | 48,000 | 32,000 |
| | | | | | | **कुल** | **3,31,250** | **1,50,500** | **1,80,750** |
| 16 | मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, सेक्टर 2, पंचकुला/ 13 नवंबर 2018 | प्रशासन | 10,500 | 0 | 10,500 | - | 10,500 | 21,000 | -10,500 |
| | | राइट ऑफ वे | 10,500 | 0.04 | 420 | 53,000 | 22,26,000 | 8,40,000 | 13,86,000 |
| | | मैनहोल | 120 | 1 | 120 | 53,000 | 6,36,000 | 3,81,600 | 2,54,400 |
| | | | | | | **कुल** | **28,72,500** | **12,42,600** | **16,29,900** |
| 17 | मेसर्स रिलायंस जियो, कालका, पंचकुला/ 26 सितंबर 2018 | प्रशासन | 411 | 0 | 411 | - | 411 | 822 | -411 |
| | | राइट ऑफ वे | 411 | 0.04 | 16 | 50,000 | 82,200 | 32,880 | 49,320 |
| | | मैनहोल | 4 | 4 | 16 | 50,000 | 80,000 | 48,000 | 32,000 |
| | | | | | | **कुल** | **1,62,611** | **81,702** | **80,909** |
| 18 | मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, सेक्टर 11, पंचकुला/ 1 जून 2018 | प्रशासन | 12,000 | 0 | 12,000 | - | 12,000 | 24,000 | -12,000 |
| | | राइट ऑफ वे | 12,000 | 0.04 | 480 | 50,000 | 24,00,000 | 9,60,000 | 14,40,000 |
| | | मैनहोल | 20 | 1 | 20 | 50,000 | 1,00,000 | 60,000 | 40,000 |
| | | | | | | **कुल** | **25,12,000** | **10,44,000** | **14,68,000** |
| | | | | | | **कुल योग** | **2,81,03,708** | **1,26,50,692** | **1,54,53,016** |

## परिशिष्ट 4.2

**(संदर्भ: अनुच्छेद 4.3; पृष्ठ 33)**

### मोबाइल टावर अनुमतियों के वार्षिक पट्टा प्रभारों के अवनिर्धारण को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | अनुमति की तिथि (1) | फर्म | स्थान (सेक्टर/क्षेत्र) (2) | टावरों की संख्या (3) | चौड़ाई/ क्षेत्रफल (4) | कलेक्टर दरें (5) | सीसीआईपी 2013 के तहत प्रभारित राशि, कॉलम (3*4*5) के क्षेत्रफल के 6% की दर से (6) | सीसीआईपी 2013 के तहत देय राशि, कॉलम (3*4*5) के क्षेत्रफल के 10% की दर से (7) | हानि (कॉलम 7-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 सितंबर 18 | मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम | 12 | 1 | 25 | 2,60,000 | 3,90,000 | 6,50,000 | 2,60,000 |
| | | | 21 | 1 | 25 | 3,00,000 | 4,50,000 | 7,50,000 | 3,00,000 |
| 2 | 22 सितंबर 18 | | 7 | 1 | 25 | 2,25,000 | 3,37,500 | 5,62,500 | 2,25,000 |
| | | | इंडस्ट्रियल एरिया 2 | 1 | 25 | 90,000 | 1,35,000 | 2,25,000 | 90,000 |
| 3 | 11 अक्तूबर 18 | | 2, 20, 21 | 5 | 25 | 2,00,000 | 15,00,000 | 25,00,000 | 10,00,000 |
| 4 | 19 अप्रैल 19 | | 20 | 2 | 25 | 3,00,000 | 9,00,000 | 15,00,000 | 6,00,000 |
| | | | 7, 16, रेड बिशप के पास | 3 | 25 | 2,60,000 | 11,70,000 | 19,50,000 | 7,80,000 |
| | | | 4, 11 | 2 | 25 | 2,25,000 | 6,75,000 | 11,25,000 | 4,50,000 |
| 5 | 19 अप्रैल 19 | | 12, 15 | 2 | 25 | 2,60,000 | 7,80,000 | 13,00,000 | 5,20,000 |
| | | | 20 | 1 | 25 | 3,00,000 | 4,50,000 | 7,50,000 | 3,00,000 |
| | | | 25 | 1 | 25 | 1,80,000 | 2,70,000 | 4,50,000 | 1,80,000 |
| **कुल** | | | | | | | **70,57,500** | **1,17,62,500** | **47,05,000** |

## परिशिष्ट 4.3

### (संदर्भ: अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 35)

### निवल सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता को भुगतान किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

| क्र. सं. | फर्म का नाम | भुगतान का उद्देश्य | अवधि | भुगतान की गई कुल राशि | भुगतान किया गया जीएसटी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (₹ लाख में) | |
| 1. | **निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, पंचकुला** | | | | |
| | वैपकॉस लिमिटेड गुरुग्राम | परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार के लिए परामर्श | अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 726.98 | 110.89 |
| | याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर | अमृत के लिए जीआईएस तैयार करने की परामर्श फीस | अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 141.16 | 21.53 |
| | वैपकॉस लिमिटेड गुरुग्राम | अमृत के तहत जलापूर्ति, सीवरेज और जलभराव परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना | अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 1,011.86 | 154.35 |
| | याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर | स्थानिक विशेषता संग्रह और आधार मानचित्रों का सत्यापन | अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 564.65 | 86.13 |
| 2. | **नगर निगम, फरीदाबाद** | | | | |
| | आर्किटेक्चरल जेनेसिस | स्टेडियम के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श कार्य | अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 2.48 | 0.38 |
| | हाई-टेक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज | डिज़ाइन/ड्राइंग | | 13.76 | 2.1 |
| | हाई-टेक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज | सड़कों और संबंधित नागरिक सुविधाओं में कमियों को दूर करने के लिए परियोजना रिपोर्ट | | 8.73 | 1.02 |
| | आर्किटेक्चरल जेनेसिस | स्टेडियम के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श कार्य | | 42.81 | 6.53 |
| | आर्किटेक्चरल जेनेसिस | स्टेडियम के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श कार्य | | 49.82 | 7.6 |
| | एआरजी टेक्नोक्रेट्स | परामर्श कार्य | | 42.9 | 6.54 |
| 3. | **नगर निगम, गुरुग्राम** | | | | |
| | बालाजी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट | स्वच्छता कार्य | अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 362.27 | 55.26 |
| | वशिष्ठ मैनपावर | | | 631.42 | 95.86 |
| | केएस मल्टीफैसिलिटी सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, | | | 355.84 | 53.76 |
| | साई एंटरप्राइजेज | | | 478.85 | 73.04 |
| 4. | **नगर निगम, हिसार** | | | | |
| | प्रो-टेक कंसोर्टियम | नगर निगम के सिविल कार्य का थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन | जनवरी 2018 से नवंबर 2019 | 22.51 | 3.55 |
| | मेसर्स शिवा सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज, हिसार | फायर वाहनों के लिए फायरमैन/ड्राइवर | जनवरी 2018 से नवंबर 2019 | 141.54 | 21.1 |
| | मेसर्स शिवा सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज, हिसार | सफाई के कार्य के लिए सफाई कर्मचारी | | 116.45 | 17.8 |
| | मेसर्स हरियाणा मैनपावर सर्विसेज, हिसार | हुडा सेक्टरों की सफाई | | 183.71 | 28.02 |
| | मेसर्स शिवा सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज, हिसार | सफाई वाहन के लिए ड्राइवर उपलब्ध कराना | | 18.26 | 2.79 |

| क्र. सं. | फर्म का नाम | भुगतान का उद्देश्य | अवधि | भुगतान की गई कुल राशि | भुगतान किया गया जीएसटी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (₹ लाख में) | |
| **5.** | **नगर निगम, करनाल** | | | | |
| | जे के कंस्ट्रक्शन | बेलदार और चौकीदार जैसे कर्मचारी उपलब्ध कराना | जुलाई 2017 से मार्च 2019 | 124.3 | 18.96 |
| | चौधरी एसोसिएट्स | बिजली की मरम्मत के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराना | जुलाई 2017 से मार्च 2019 | 6.13 | 0.94 |
| **6.** | **नगर निगम, पंचकुला** | | | | |
| | नवनीत कुमार असेजा | सड़क सुरक्षा और सतत परिवहन के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त | जुलाई 2017 से मार्च 2019 | 1.77 | 0.27 |
| | मेसर्स ऑस्कर सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज | आउटसोर्सिंग के माध्यम से जनशक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त | | 706.83 | 80 |
| | मेसर्स आर्केड कंसल्टेंसी | सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-15, पंचकुला के लिए परामर्श कार्य | | 1.53 | 0.23 |
| | इंजीनियर पंकज नंदा | ग्राम सुखदर्शनपुर में कैनल हाउस के लिए स्टील स्ट्रक्चर के संरचनात्मक डिजाइन की तैयारी | | 1.77 | 0.27 |
| | क्रिएटिव कंसोर्टियम | नगर निगम, पंचकुला के कार्यालय भवन के प्राकलन, ड्राइंग, डिज़ाइन आदि की तैयारी | | 11.8 | 1.8 |
| **7.** | **नगर निगम, सोनीपत** | | | | |
| | जी. एस. इंटरनेशनल | सीवरमैन/हेल्पर का वेतन | अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 120.6 | 19.21 |
| **8.** | **नगर परिषद, थानेसर** | | | | |
| | परफेक्ट वेबटेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली | एमसी ऑफिस में सीएफसी सेवा उपलब्ध कराना। | अप्रैल 2016 से मई 2019 | 17.03 | 2.36 |
| **9.** | **नगर परिषद, रेवाड़ी** | | | | |
| | स्वामी को-ऑप एल एंड सी सोसाइटी | सफाई के कार्य के लिए फायरमैन, फायर ड्राइवर और स्टाफ उपलब्ध कराना | अप्रैल 2016 से मई 2019 | 147.02 | 16.47 |
| **10.** | **नगरपालिका, बावल** | | | | |
| | बाबा बलदेव एंटरप्राइजेज | फायरमैन और ड्राइवर का वेतन | अप्रैल 2014 से सितंबर 2019 | 48.43 | 7.37 |
| **11.** | **नगरपालिका, धारूहेड़ा** | | | | |
| | मेसर्स अशोक कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी नारनौल | फायरमैन, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, माली आदि उपलब्ध कराना | अप्रैल 2014 से सितंबर 2019 | 73.45 | 10.95 |
| **12.** | **नगरपालिका, कालांवाली** | | | | |
| | यूनाइटेड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सर्विस | सफाई कर्मचारी की व्यवस्था | अप्रैल 2014 से सितंबर 2019 | 7.09 | 0.84 |
| | पब्लिक सिक्योरिटी और प्लेसमेंट सर्विस | सफाई कर्मचारी की व्यवस्था | | 102.79 | 15.6 |
| | यूनाइटेड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सर्विस | फायरमैन और ड्राइवर का वेतन | | 23.36 | 3.56 |
| | आर. एस. मैनपावर एंड सिक्योरिटीज | फायरमैन और ड्राइवर का वेतन | | 30.71 | 3.95 |
| **13.** | **नगरपालिका, मेहम (रोहतक)** | | | | |
| | न्यू हिंदुस्तान सिक्योरिटी सर्विस एंड प्लेसमेंट ब्यूरो सांपला रोहतक | फायरमैन, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, माली आदि उपलब्ध कराना | अप्रैल 2014 से जुलाई 2019 | 59.36 | 8.28 |
| **14.** | **नगरपालिका, महेंद्रगढ़** | | | | |
| | वर्षा सिक्योरिटी एंड मैनपावर सर्विसेज | पार्क के लिए मैनपावर उपलब्ध कराना | अप्रैल 2015 से जून 2019 | 4.85 | 0.77 |
| | | **कुल** | | **6,404.82** | **940.08** |

## परिशिष्ट 4.4
### (संदर्भ: अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 37)
### ई-निविदा प्रक्रिया के बजाय कोटेशन के आधार पर की गई खरीद को दर्शाने वाली विवरणी

| क्र.सं. | आपूर्तिकर्ता/एजेंसी/ठेकेदार का नाम | मद/कार्य का विवरण | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| **नगर निगम, हिसार** | | | |
| 1. | मेसर्स खाट्टू इंटरनेशनल, 42, अग्रसेन कॉलोनी, हिसार | ढांसू रोड स्थित शिव नंदीशाला में मरम्मत/रखरखाव का कार्य, हिसार | 2.54 |
| 2. | | नगर निगम हिसार में सार्वजनिक शौचालय/यूरिनल की विशेष मरम्मत | 1.68 |
| 3. | श्री राजेंद्र कुमार ठेकेदार, मकान नं. 185, नंद विहार कॉलोनी, हिसार | राजगुरु मार्केट में दुकान नंबर 40 के पास शौचालय ब्लॉक का पुनर्निर्माण, हिसार | 4.37 |
| 4. | मेसर्स खाट्टू इंटरनेशनल, 42, अग्रसेन कॉलोनी, हिसार | नगर निगम कॉलोनी, हिसार में स्टाफ क्वार्टर के लिए नगर निगम आवास की विशेष मरम्मत | 2.48 |
| 5. | मेसर्स गोकल चंद हर भगवान, पारिजात चौक, हिसार | सैनियान मोहल्ला में पुरानी सब्जी मंडी के पास महाराजा शूरसैन पार्क में ओपन जिम के लिए सामग्री की खरीद, हिसार | 2.02 |
| 6. | मेसर्स शर्मा बुक सेंटर एंड स्टेशनर्स, जाट कॉलेज के सामने, हिसार | स्टेशनरी की खरीद | 1.48 |
| | | **कुल** | **14.57** |
| **नगरपालिका, सांपला** | | | |
| 7. | मेसर्स हरियाणा कंप्यूटर्स, दुकान नंबर 5, मान हॉस्पिटल के पीछे, रोहतक | कंप्यूटर, प्रिंटर और पेरिफेरल्स | 1.89 |
| 8. | मेसर्स राज महल फ़र्नीचर, आर्य नगर, झज्जर | ऑफिस फर्नीचर | 7.15 |
| 9. | मेसर्स तम्मना एंटरप्राइजेज, पुराना बस स्टैंड, झज्जर | सीसीटीवी कैमरे और इंटरकॉम | 1.59 |
| 10. | मेसर्स राज महल फ़र्नीचर, आर्य नगर, झज्जर | ऑफिस फर्नीचर की खरीद | 1.20 |
| 11. | मेसर्स दीपक, एससीओ-38, हुडा कॉम्प्लेक्स, देहरादून | नई एल्युमीनियम फिटिंग | 2.26 |
| 12. | मेसर्स जैन ट्रेडर्स, सिलानी गेट, झज्जर | सफेदी का सामान | 3.43 |
| 13. | मेसर्स महावीर नामाय ट्रेडर्स, काठ मंडी, सांपला | सीमेंट, रोड़ी, लोहे की छड़ें आदि की खरीद | 3.01 |
| 14. | मेसर्स चन्द्र शेखर ठेकेदार, सांपला | राजीव गांधी खेल स्टेडियम में पेंट का कार्य | 5.42 |
| 15. | मेसर्स रुहिल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 48 किमी स्टोन, रोहद | प्रीकास्ट स्लैब की खरीद | 10.57 |
| 16. | मेसर्स श्री बालाजी आयरन स्टोर, सिलानी गेट, झज्जर | बी-क्लास पाइप जिंदल ब्रांड - ¾" | 2.99 |
| 17. | | ए-क्लास पाइप जिंदल ब्रांड - ¾" | 2.05 |
| 18. | | जीआई पाइप - 3/4" (20एमएम) और जीआई पाइप 1" (25एमएम) | 6.00 |
| 19. | मेसर्स राज महल फ़र्नीचर, आर्य नगर, झज्जर | स्प्लिट एयर कंडीशनर और स्टेबलाइजर की खरीद | 3.49 |
| | | **कुल** | **51.05** |
| **नगरपालिका, बावल** | | | |
| 20. | - | लेबर | 1.17 |
| 21. | श्री आनंद ट्रेडर्स, सिविल हॉस्पिटल के सामने, बावल | स्टोन डस्ट, रोड़ी, ईंट का रोड़ा आदि | 1.01 |
| 22. | सिवाच ब्रिक्स कंपनी, गांव रसियावास, बावल | ईंट | 1.08 |
| 23. | श्री आनंद ट्रेडर्स, सिविल हॉस्पिटल के सामने, बावल | पाइप, जी.आई. शीट | 2.95 |
| | | **कुल** | **6.21** |
| | | **कुल योग** | **71.83** |

## परिशिष्ट 4.5

## (संदर्भ: अनुच्छेद 4.9; पृष्ठ 40)

## वसूलनीय विज्ञापन फीस

(राशि ₹ में)

| विज्ञापन फीस का विवरण | कुल मात्रा | दर | राशि |
|---|---|---|---|
| **1. ग्लोबल एडवरटाइजिंग इंडिया** | | | |
| निविदा के अनुसार आवंटित कुल साइटें | 13 | 2,70,329 + जीएसटी | |
| 6.3.2019 से 5.3.2020 | 13 | 2,70,329 | 32,43,948 |
| 6.3.2020 से 5.3.2021 (5% वार्षिक वृद्धि) | 13 | 2,83,845 | 34,06,140 |
| 6.3.2021 से 5.06.2021 | 13 | 2,98,037 | 8,94,112 |
| राशि | | | 75,44,200 |
| 18% की दर पर जीएसटी | | | 13,57,956 |
| लंबित पुराना जीएसटी | | | 1,11,869 |
| निष्पादन बैंक गारंटी | | | 3,24,385 |
| कुल राशि | | | 93,38,410 |
| रियायतग्राही द्वारा जमा की गई फीस | | | 28,22,624 |
| **देय राशि** | | | **65,15,786** |
| **2. श्री श्याम एंटरप्राइजेज** | | | |
| निविदा के अनुसार आवंटित कुल साइटें | 110 | 18,05,070 + जीएसटी | |
| आवंटन/करार के समय से मौजूद साइटें<br>अनाज के गोदाम = 14 (फीस 10.9.2019 से 26.01.2020) | 14 | 16,410 | 9,18,960 |
| परियोजना का कोड 27.01.2020 से 26.04.2020 | 110 | 18,05,070 | 54,15,300 |
| 27.04.2020 से 26.07.2020 | 110 | 18,05,070 | 54,15,300 |
| 27.07.2020 से 26.10.2020 | 110 | 18,05,070 | 54,15,300 |
| 27.10.2020 से 26.1.2021 | 110 | 18,05,070 | 54,15,300 |
| 27.1.2021 से 26.3.2021<br>(5% वार्षिक वृद्धि) | 110 | 18,95,324 | 37,90,647 |
| 27.3.2021 से 26.6.2021<br>(5% वार्षिक वृद्धि) | 110 | 18,95,324 | 56,85,971 |
| राशि | | | 3,20,56,778 |
| 18% की दर पर जीएसटी | | | 57,70,220 |
| लंबित पुराना जीएसटी | | | 1,11,869 |
| निष्पादन बैंक गारंटी | | | 21,66,084 |
| कुल राशि | | | 4,01,04,951 |
| रियायतग्राही द्वारा जमा की गई फीस | | | 54,57,520 |
| **देय राशि** | | | **3,46,47,431** |

| **विज्ञापन फीस का विवरण** | **कुल मात्रा** | **दर** | **राशि** |
|---|---|---|---|
| **3. मेसर्स स्क्वायर आउटडोर सर्विसेज** | | | |
| निविदा के अनुसार आवंटित कुल साइटें | 92 | 20,58,712 + जीएसटी | |
| आवंटन/करार के समय से मौजूद साइटें<br>अनाज के गोदाम =18 (फीस 10.9.2019 से 26.01.2020) | 18 | 22,377 | 16,11,166 |
| परियोजना का कोड 27.01.2020 से 26.04.2020 | 92 | 20,58,712 | 61,76,136 |
| 27.04.2020 से 26.07.2020 | 92 | 20,58,712 | 61,76,136 |
| 27.07.2020 से 26.10.2020 | 92 | 20,58,712 | 6176,136 |
| 27.10.2020 से 26.1.2021 | 92 | 20,58,712 | 61,76,136 |
| 27.1.2021 से 26.3.2021<br>(5% वार्षिक वृद्धि) | 92 | 21,61,648 | 43,23,295 |
| 27.3.2021 से 26.6.2021<br>(5% वार्षिक वृद्धि) | 92 | 21,61,648 | 64,84,943 |
| राशि | | | 3,71,23,948 |
| 18% की दर पर जीएसटी | | | 66,82,311 |
| लंबित पुराना जीएसटी | | | 1,45005 |
| निष्पादन बैंक गारंटी | | | 24,70,454 |
| कुल राशि | | | 4,64,21,718 |
| रियायतग्राही द्वारा जमा की गई फीस | | | 67,20,351 |
| **देय राशि** | | | **3,97,01,367** |
| **कुल योग (1+2+3)** | | | **8,08,64,584** |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/haryana/hi